अप्रैल, 2022

I.S.S.N. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान
श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह
श्री जाहन्वी शेखर शर्मा
श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2022 अंक - 4

प्रधान संपादक

कमला कान्त

संपादक

पुण्डरीक शर्मा

(2022) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on

Website → https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

दहेज की मांग को लेकर पीड़िता के विरुद्ध क्रूरता दर्शित करने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा किस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **नित्यालाल मलिक और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** (2022) 1 दा. नि. प. 436 वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में न्यायालय के अभिलेख पर इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के समय कतिपय नकद राशि का संदाय पीड़िता के ससुराल पक्ष को किया गया था और अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तों/याचियों ने पीड़िता को निरंतर लाठी, झाड़ू आदि से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और पीड़ित लड़की ने अपनी उक्त पिटाई/हिंसा के उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर मौजूद चिह्न अपने भाइयों को दिखाए थे, इस प्रकार विचारण न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से पूर्ण रूप से यह स्थापित होता है कि अभियुक्तों/याचियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया गया और इस कारणवश उसने आत्महत्या कर ली । अतः, निचले विद्वान् न्यायालयों द्वारा की गई याचियों की दोषसिद्धि पूर्णतया उपयुक्त और युक्तियुक्त है ।

क्या अभियुक्त द्वारा की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे सिद्धदोष ठहराया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **कृष्णा कालिंदी** बनाम **असम राज्य** (2022) 1 दा. नि. प. 464 वाले मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति बिना किसी प्रलोभन, धमकी या वचन के प्रस्तुत की गई थी और वह पूर्णतः स्वैच्छिक और विश्वसनीय प्रतीत होती है, इसलिए अपराध की उक्त न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति, जिसकी पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षियों तथा चिकित्सा साक्ष्य के माध्यम से की गई है, के आधार पर की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

क्या अंतरिम भरणपोषण का आदेश एक अंतर्वर्ती प्रकृति का आदेश है और इसलिए उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई पुनरीक्षण याचिका फाइल नहीं की जा सकती । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **उर्वशी अग्रवाल और अन्य** बनाम **इन्दरपाल अग्रवाल** (2022) 1 दा. नि. प. 513 वाले मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम भरण-पोषण का आदेश मात्र एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है अपितु वह एक मध्यवर्ती आदेश की प्रकृति का आदेश है और इसलिए उसके विरुद्ध फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका कायम रखे जाने योग्य है तथा उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए भरण-पोषण की रकम में वृद्धि भी मंजूर की ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2022

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अरुण ठाकुर **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	548
उर्वशी अग्रवाल और अन्य **बनाम** इन्दरपाल अग्रवाल	513
एक्स **बनाम** असम राज्य और अन्य	488
कृष्णा कालिंदी **बनाम** असम राज्य	464
नित्यालाल मलिक और अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	436
भारत संघ मार्फत पुलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, चेन्नई **बनाम** विवेकानंदन **उर्फ** विवेक **उर्फ** राजा **उर्फ** बालन	532
सादिक बाशा **उर्फ** कोली बाशा **बनाम** गोपाल रेड्डी	429
सेबेस्टियन **उर्फ** बाबीचन **बनाम** केरल राज्य	444

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 30

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125 और धारा 397 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19] – याची सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विवाह का अनुष्ठापन – विवाह से दो संतानों का जन्म होना – तदुपरांत पति-पत्नी के बीच परस्पर विवादों का उत्पन्न होना जिसके परिणामस्वरूप पति/प्रत्यर्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री हेतु आवेदन किया जाना – दोनों बालकों का पत्नी के साथ निवास करना – पत्नी/याची सं. 1 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अंतरिम भरणपोषण के लिए कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना – कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पत्नी/याची सं. 1 को भरण-पोषण देने से इनकार करना तथा कतिपय गणितीय समीकरण के साथ दोनों बालकों को भरणपोषण इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर किया जाना कि पुत्र को केवल 18 वर्ष की आयु पूरा किए जाने तक ही भरणपोषण प्राप्त होगा – उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याचियों द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल किया जाना – प्रत्यर्थी के काउंसेल द्वारा प्राथमिक रूप से यह प्रतिवाद करते हुए कि अंतरिम भरणपोषण का उक्त आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और इसलिए उसके विरुद्ध फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका कायम रखे जाने योग्य नहीं है – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि कुटुम्ब न्यायालय का उक्त आदेश मात्र एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है अपितु वह एक मध्यवर्ती आदेश की प्रकृति का आदेश है और इसलिए पुनरीक्षण याचिका कायम रखे जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त, याची

पृष्ठ संख्या

सं. 1/पत्नी स्वयं एक सरकारी सेवक है और उसकी मासिक आय लगभग 60,000/- रुपए है, किन्तु उसके पुत्र द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उसे अपने निजी व्ययों के अलावा अपने पुत्र की शिक्षा तथा अन्य व्ययों से संबंधित संपूर्ण व्ययों का अकेले ही वहन करना पड़ रहा है, पुत्र अभी अध्ययन कर रहा है और उसने हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, अतः, वर्तमान मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को तथा बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए याची सं. 1/पत्नी, याची सं. 2/पुत्र द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से उसके द्वारा उसकी स्नातक डिग्री पूरा करने तक या उस समय तक जबकि वह कुछ उपार्जन करना आरंभ करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, 15,000/- रुपए प्रतिमास के अंतरिम भरणपोषण की हकदार है ।

उर्वशी अग्रवाल और अन्य बनाम **इन्दरपाल अग्रवाल** 513

– धारा 156 – दांडिक मामलों में अन्वेषण की प्रक्रिया – आई.आई.टी., गुवाहाटी जैसे एक प्रमुख और ख्यातिप्राप्त संस्थान के परिसर में एक छात्रा पर लैंगिक हमला किया जाना तथा पीड़ित लड़की का बेहोशी की हालत में देर रात्रि परिसर में पाया जाना – उक्त लैंगिक हमले के संबंध में संस्थान द्वारा अपनी विभिन्न घरेलू समितियों के माध्यम से जांच-पड़ताल किया जाना – पीड़ित छात्रा द्वारा उक्त लैंगिक हमले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराया जाना और साथ ही संस्थान द्वारा अपनी घरेलू जांच-पड़ताल के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराया जाना – उक्त जांच-पड़ताल में कतिपय छात्रों का नाम सामने आना – उक्त छात्रों की

पृष्ठ संख्या

गिरफ्तारी के पश्चात् उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना तथा उक्त जमानत आवेदनों के संबंध में पुलिस द्वारा युक्तियुक्त विरोध प्रस्तुत न किया जाना – याची-पीड़िता द्वारा अन्वेषण अधिकारी द्वारा संचालित किए जा रहे अन्वेषण से संतुष्ट न होना – अन्वेषण से असंतुष्ट होकर याची-पीड़िता द्वारा वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया जाना – उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् असम पुलिस को यह निदेश दिया कि वह उक्त मामले का सुचारु अन्वेषण करने हेतु एक अनन्य अन्वेषण दल का गठन करे और उक्त दल आई.आई.टी., गुवाहाटी की जांच समितियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल के सभी पहलुओं के संबंध में जांच करेगा तथा इसके अतिरिक्त, इस मामले की व्यापक और दक्ष रीति में जांच/अन्वेषण 3 मास की अवधि में पूरा किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय तब तक इस मामले के अन्वेषण की आवधिक मॉनिटरी करेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र फाइल नहीं कर दिया जाता ।

एक्स बनाम **असम राज्य और अन्य** 488

– धारा 167(2) [सपठित अविधिपूर्ण क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43(घ)(2) तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 6] – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध 90 दिन की कानूनी अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे व्यतिक्रम जमानत पर रिहा किया जाना – वर्तमान मामले में अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा सोशल

पृष्ठ संख्या

मीडिया पर रोषकारी पोस्ट अपलोड किया जाना – प्रारंभ में मामले का अन्वेषण स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाना किन्तु उसके पश्चात् मामले को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को अंतरित किया जाना – अभियुक्त को एनआईए अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय की बजाय अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश हेतु नियमित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – 90 दिन की अवधि के अवसान पर अभियुक्त द्वारा व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन फाइल किया जाना जब कि एनआईए द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा की अवधि के विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना – लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष दो अपराधों को संयोजित करते हुए एक त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना – इसी दौरान अभियुक्त को जमानत मंजूर करते हुए तथा एनआईए के अभिरक्षा को विस्तारित करने के आवेदन को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा दो आदेश पारित किया जाना – एनआईए द्वारा उक्त दोनों आदेशों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – यह अभिनिर्धारित किया जाना कि राज्य ने अत्यंत लापरवाह रीति में कार्य करते हुए एक कैदी के कानूनी अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया है और राज्य द्वारा की गई कार्यवाही में अनेक प्रकार की त्रुटियां विद्यमान हैं और इसलिए निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत मंजूर करते हुए पारित किए जाने वाले आदेश में कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है और इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

भारत संघ मार्फत पुलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, चेन्नई बनाम **विवेकानंदन** उर्फ **विवेक** उर्फ **राजा** उर्फ **बालन** 532

पृष्ठ संख्या

– धारा 439 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 363, 366क, 376 और 370क तथा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 7] – अभिकथित रूप से पीड़ित लड़की को देह व्यापार में धकेला जाना – अभियुक्तों पर यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने एक अप्राप्तवय लड़की को प्रलोभन देकर उसका व्यपहरण किया और उससे देह व्यापार कराया और इस प्रकार उसके साथ बलात्संग किया – अभिकथित रूप से एक महिला द्वारा उस समय अप्राप्तवय पीड़ित लड़की के पास आना, जब वह क्रोधावश अपना घर छोड़कर एक उद्यान में बैठी थी और उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया जाना और उसके पश्चात् उसे होटल में ले जाकर उससे देह व्यापार कराना – अभियुक्तों जिनमें से एक अभियुक्त उक्त होटल का प्रबंधक था, द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान याचिका के याची के अलावा सभी अभियुक्तों के जमानत आवेदनों को नामंजूर किया जाना – उक्त अभियुक्त द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि उसने होटल के मालिक के कहने पर केवल अभियुक्तों के होटल में आने संबंधी प्रविष्टियों को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया था और वह देह व्यापार तथा बलात्संग के इस संपूर्ण मामले से अनभिज्ञ था – उक्त अभियुक्त द्वारा न तो पीड़ित लड़की का बलात्संग किया गया और न ही उसके द्वारा पीड़ित लड़की के विरुद्ध अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में कोई अन्य भूमिका निभाई गई – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा यह अभिवाक् भी किया जाना कि पीड़ित लड़की ने उससे किसी भी प्रकार

पृष्ठ संख्या

की सहायता नहीं मांगी थी अन्यथा वह उसकी सहायता करने को तत्पर होता – इसके अतिरिक्त याची का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न होना – उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त अभियुक्त को कड़ी शर्तों और निबंधनों के अधीन जमानत मंजूर की गई ।

अरुण ठाकुर बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 548

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 – अपीलार्थी पर हत्या का आरोप लगाया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति संबंधी अभिसाक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना – घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त ने उनके समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने दाव से काटकर अपनी पुत्री की हत्या की है – इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त अपनी पुत्री की हत्या करने के पश्चात् घटनास्थल से दूर जाकर धान के खेत में बैठ गया था, जहां से कुछ ग्रामीण व्यक्ति उसे पकड़कर वापस घटनास्थल पर लाए थे – पुलिस द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों की उपस्थिति में अपराध में प्रयुक्त दाव को अभिगृहीत किया जाना – चिकित्सा साक्ष्य से यह तथ्य सामने आना कि मृतका की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार करके क्षति कारित की गई थी – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति

पृष्ठ संख्या

बिना किसी प्रलोभन, धमकी या वचन के प्रस्तुत की गई थी और वह पूर्णत: स्वैच्छिक और विश्वसनीय प्रतीत होती है, इसलिए अपराध की उक्त न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति, जिसकी पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षियों तथा चिकित्सा साक्ष्य के माध्यम से की गई है, के आधार पर की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, अत: अपील खारिज की गई ।

कृष्णा कालिंदी बनाम **असम राज्य** 464

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और धारा 8] – अभियुक्त पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने अपने भाई के घर में घुसकर जबर्दस्ती ताश के खेल में उसे सम्मिलित करने पर बल दिया तथा उसके द्वारा इनकार किए जाने पर उससे झगड़ा और कहा-सुनी की – उसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा उस समय अपने भाई अर्थात् मृतक की छाती में चाकू घोंपा जाना, जब वह अपने मित्रों के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर से बाहर जा रहा था – उक्त चाकू के वार के कारण अभियुक्त के भाई की मृत्यु होना – अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए विचारण किया जाना – तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने ही अपने भाई की छाती में बलपूर्वक चाकू घोंपा था – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का चिकित्सा/शव-परीक्षा रिपोर्ट से भली-भांति समर्थित होना, जिसमें घातक क्षति के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि उसे किसी चाकू जैसे हथियार से कारित किया गया है – चाकू के अभिग्रहण से संबंधित साक्ष्य का सही रूप से विचारण

पृष्ठ संख्या

न्यायालय द्वारा अवलंब न लिया जाना और उसे परित्यक्त किया जाना – चूंकि पूर्ववर्ती कहा-सुनी और झगड़े के पश्चात् अभियुक्त के पास सोचने-विचारने का पर्याप्त समय विद्यमान था इसलिए स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य सोच-विचार कर अपने भाई की हत्या करने के आशय से किया गया प्रतीत होता है और इसलिए वह दंड संहिता की धारा 300 में उल्लिखित अपवादों का फायदा प्राप्त करने का हकदार नहीं है, अत:, अभियुक्त के दोष को सभी सुसंगत संदेहों से परे भली-भांति स्थापित किया गया है और निचले न्यायालय द्वारा की गई उसकी दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और निचले न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, अत: अपील खारिज की गई ।

सेबेस्टियन उर्फ **बाबीचन** बनाम **केरल राज्य** 444

– धारा 498क – याचियों/अभियुक्तों, जो पीड़िता/मृतका के पति और उसके नातेदार हैं, के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर पीड़िता के विरुद्ध क्रूरता दर्शित करने और उसकी प्रताड़ना करने का आरोप लगाया जाना – इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप लगाया जाना कि दहेज संबंधी मांग पूरी न होने पर पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण पीड़िता ने आत्महत्या कर ली – न्यायालय के अभिलेख पर इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि विवाह के समय कतिपय नकद राशि का संदाय पीड़िता के ससुराल पक्ष को किया गया था – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्तों/

पृष्ठ संख्या

याचियों ने पीड़िता को निरंतर लाठी, झाड़ू आदि से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और पीड़ित लड़की ने अपनी उक्त पिटाई/हिंसा के उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर मौजूद चिह्न अपने भाइयों को दिखाए थे, इस प्रकार विचारण न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से पूर्ण रूप से यह स्थापित होता है कि अभियुक्तों/याचियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया गया और इस कारणवश उसने आत्महत्या कर ली, अतः, निचले विद्वान् न्यायालयों द्वारा की गई याचियों की दोषसिद्धि पूर्णतया उपयुक्त और युक्तियुक्त है और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, तथापि, यह घटना 26 वर्ष पुरानी है और याची सं. 1 और याची सं. 2 पहले ही कतिपय अवधि अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं तथा याची सं. 3 और 4 महिलाएं हैं तथा वे अब वृद्ध हो चुकी हैं और उन्होंने भी विचारण और लंबित दंडादेश से संबंधित मानसिक संताप को लंबे समय से सहन किया है, अतः, याची सं. 1 और 2 के दंडादेश की अवधि को घटाकर उतनी अवधि का किया जाता है जितनी कि वे पहले ही अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं तथा याची सं. 3 और 4 के कारावास के दंडादेश को 10,000/- रुपए के जुर्माने में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रकार याचिका को भागतः मंजूर किया जाता है ।

नित्यालाल मलिक और अन्य बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 436

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 – याची के विरुद्ध चेक के अनादर संबंधी दांडिक मामला दर्ज कराया जाना – विचारण न्यायालय

पृष्ठ संख्या

द्वारा याची को सिद्धदोष ठहराया जाना – याची द्वारा उक्त निर्णय को प्रथम अपीली न्यायालय में चुनौती दिया जाना – प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि किया जाना – तत्पश्चात्, दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के संबंध में समझौता होना और दोनों पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव का संयुक्त ज्ञापन फाइल किया जाना – उक्त समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षकारों और उनके संबद्ध काउंसेलों के हस्ताक्षर विद्यमान होना – याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि याची द्वारा जुर्माने की रकम की 75 प्रतिशत रकम को विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कर दिया गया है – याची द्वारा उक्त रकम के आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र फाइल किया जाना – उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याची/अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है, अत: पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जाती है ।

सादिक बाशा उर्फ **कोली बाशा** बनाम **गोपाल रेड्डी** 429

सादिक बाशा उर्फ **कोली बाशा**

बनाम

गोपाल रेड्डी

(2020 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 309)

तारीख 17 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति के. सोमाशेखर

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 – याची के विरुद्ध चैक के अनादर संबंधी दांडिक मामला दर्ज कराया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा याची को सिद्धदोष ठहराया जाना – याची द्वारा उक्त निर्णय को प्रथम अपीली न्यायालय में चुनौती दिया जाना – प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि किया जाना – तत्पश्चात्, दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के संबंध में समझौता होना और दोनों पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव का संयुक्त ज्ञापन फाइल किया जाना – उक्त समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षकारों और उनके संबद्ध काउंसेलों के हस्ताक्षर विद्यमान होना – याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस प्रभाव का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि याची द्वारा जुर्माने की रकम की 75 प्रतिशत रकम को विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कर दिया गया है – याची द्वारा उक्त रकम के आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र फाइल किया जाना – उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याची/अभियुक्त दोषमुक्ति के लिए हकदार है, अत: पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जाती है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त/याची ने प्रत्यर्थी को कतिपय संदाय करने हेतु एक बैंक-चैक जारी किया था, जिसे नकदीकरण हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाने

पर बैंक द्वारा अनादर किया गया । उसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने सभी अपेक्षित प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन करने के पश्चात् अभियुक्त/याची के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए एक परिवाद फाइल किया । उक्त परिवाद का विचारण पूरा होने पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/याची को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । याची ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर उसे प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । किन्तु प्रथम अपीली न्यायालय ने मामले पर पुन: विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और दंडादेश की अभिपुष्टि की । इसके पश्चात्, याची और प्रत्यर्थी के बीच परस्पर समझौता हुआ तथा उन्होंने एक संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उनके बीच विद्यमान विवाद का समाधान किया । याची ने उसके विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दंडादेश, जिसकी अभिपुष्टि प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा की गई है, को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापन और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का परिशीलन करने तथा दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के पश्चात् याचिका को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में याची और प्रत्यर्थी, उनके द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार समझौते पर पहुंच गए हैं । परिणामत:, उस दशा में, जहां पक्षकारों ने अपने विवाद का समाधान कर लिया है तो ऐसी स्थिति में दांडिक कार्यवाहियों को अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं, यह प्रश्न प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । तथापि, वर्तमान मामले में याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अपराध मामला सं. 442/2012 की कार्यवाहियों से संबंधित आदेश पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा याची को दोषी ठहराया गया है क्योंकि अभियुक्त ने तारीख 17 मार्च, 2020 के मांगदेय ड्राफ्ट सं. 954074156 के माध्यम से जुर्माने की रकम की 75 प्रतिशत रकम, अर्थात् 7,20,000/- रुपए को न्यायालय में जमा करा

दिया है । विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य के साक्ष्य स्वरूप मांगदेय ड्राफ्ट की फोटोप्रतियों और साथ ही प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आनेकल के न्यायालय द्वारा बनाए रखे गए आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त ने अनुबंधित शर्त का अनुपालन करते हुए जुर्माने की रकम की 75 प्रतिशत रकम को जमा करा दिया है । उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अलावा, याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अपराध मामला सं. 442/2012 का विचारण करने वाले न्यायालय, जहां उक्त मामले से संबंधित आदेश पत्र को तैयार किया गया है, के समक्ष जमा की गई रकम को प्रत्यर्थी द्वारा आहरित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी फाइल किया है । जब वर्तमान मामले में दोनों पक्षकारों ने संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों में अपने विवाद के संबंध में परस्पर समझौता कर लिया है तो उक्त संयुक्त ज्ञापन पर विचार करना उपयुक्त होगा और इसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याची/अभियुक्त द्वारा फाइल की गई याचिका पर भी विचार किया जाना चाहिए । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि याची/अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई याचिका को, अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के खंड (2), (6) और (8) के अधीन पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार मंजूर किया जाता है । परिणामतः, विचारण न्यायालय द्वारा अपराध मामला सं. 442/2012 में तारीख 26 फरवरी, 2019 को पारित किए गए याची/अभियुक्त के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश तथा साथ ही दांडिक अपील सं. 5008/2019 में प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2019 को जारी समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त किए जाने के परिणामस्वरूप याची/अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है । प्रत्यर्थी/ परिवादी को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि वह अपराध मामला सं. 442/2012 में विचारण न्यायालय के पास जमा की गई रकम को

समुचित पहचान प्रस्तुत करके आहरित करे । तद्नुसार, आदेश जारी किया जाता है । दोनों पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार मुख्य मामले के निपटारे के परिणामस्वरूप, अंतर्वर्ती आवेदन सं. 2/2020, जिसे पुनरीक्षण याचिका को फाइल करने में हुए 68 दिनों के विलंब को क्षमा करने का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था, को आई. ए. सं. 2/2020 के समर्थन में फाइल किए गए शपथ पत्र में दिए गए कारणों से मंजूर किया जाता है । तद्नुसार, इसे स्वीकार किया जाता है और विलंब को ईप्सा किए गए अनुसार क्षमा किया जाता है । (पैरा 4 और 5)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 10 एस. सी. सी. 303 =
2012 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5333 :
ज्ञान सिंह बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** । 4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 309.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका, अभियुक्त/याची द्वारा अपराध मामला सं. 442/2012 में अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आनेकल, बेंगलुरु ग्रामीण जिला न्यायालय द्वारा तारीख 26 फरवरी, 2019 को पारित उसकी दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री बी. के. वेंकेटेश, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति के. सोमाशेखर – याची के विद्वान् काउंसेल श्री बी. के. वेंकेटेश न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित हैं । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री नवीन कुमार भी भौतिक रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं और उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि उन्होंने पहले ही तारीख 10 फरवरी, 2021 को प्रत्यर्थी के लिए वकालतनामा फाइल कर दिया था । उक्त वकालतनामे को न्यायालय के अभिलेख पर रख दिया गया है ।

2. वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका, अभियुक्त/याची द्वारा अपराध मामला सं. 442/2012 में अपर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आनेकल, बेंगलुरु ग्रामीण जिला न्यायालय द्वारा तारीख 26 फरवरी, 2019 को पारित उसकी दोषसिद्धि के ऐसे निर्णय और दंडादेश को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था ।

3. वर्तमान मामले के याची ने विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश पारित किए जाने के पश्चात्, तृतीय अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, आनेकल, बेंगलुरु ग्रामीण जिला न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए एक अपील फाइल की थी, जो दांडिक अपील सं. 5008/2019 के रूप में हैं । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ने अपने तारीख 21 सितम्बर, 2019 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अपराध मामला सं. 442/2012 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया था । तथापि, विभिन्न आधारों पर बल देते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश तथा साथ ही प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा निकाले गए समवर्ती निष्कर्षों को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

4. अब याची के विद्वान् काउंसेल और साथ ही प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 320 के खंड (2), (6) और (8) के अधीन एक संयुक्त ज्ञापन न्यायालय के समक्ष फाइल किया है । इस संयुक्त ज्ञापन में, याची और प्रत्यर्थी के बीच चैक से संबंधित विवाद का और साथ ही उससे संबंधित मामले के संबंध में भी समझौता हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया था । तथापि, दोनों पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्य सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है । इस मामले में, दोनों पक्षकारों ने उक्त ज्ञापन पर अपने-

अपने हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही उनके संबद्ध काउंसेलों ने भी उक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । अतः, इस प्रक्रम पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और 320 को निर्दिष्ट करते हुए, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की उन अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है, जिनका प्रयोग करते हुए न्यायालय गैर-शमनीय अपराधों को, जिनमें पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता हो गया है, अंतर्वलित करने वाली दांडिक कार्यवाहियों को अपास्त कर सकता है, यदि ऐसा है तो यह विवाद्यक उद्भूत होता है कि इसका व्यष्टिक प्रभाव किस प्रकार हो सकेगा और क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के संबंध में किसी प्रकार के वर्जन/परिसीमाओं का सृजन करती है । तथापि, वर्तमान मामले में याची और प्रत्यर्थी, उनके द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार समझौते पर पहुंच गए हैं । परिणामतः, उस दशा में, जहां पक्षकारों ने अपने विवाद का समाधान कर लिया है तो ऐसी स्थिति में दांडिक कार्यवाहियों को अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं, यह प्रश्न प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । तथापि, वर्तमान मामले में याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अपराध मामला सं. 442/2012 की कार्यवाहियों से संबंधित आदेश पत्र को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा याची को दोषी ठहराया गया है क्योंकि अभियुक्त ने तारीख 17 मार्च, 2020 के मांगदेय ड्राफ्ट सं. 954074156 के माध्यम से जुर्माने की रकम की 75 प्रतिशत रकम, अर्थात् 7,20,000/- रुपए को न्यायालय में जमा करा दिया है । विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य के साक्ष्य स्वरूप मांगदेय ड्राफ्ट की फोटोप्रतियों और साथ ही प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आनेकल के न्यायालय द्वारा बनाए रखे गए आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें यह

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 303 = 2012 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5333.

उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त ने अनुबंधित शर्त का अनुपालन करते हुए जुर्माने की रकम की 75 प्रतिशत रकम को जमा करा दिया है । उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अलावा, याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अपराध मामला सं. 442/2012 का विचारण करने वाले न्यायालय, जहां उक्त मामले से संबंधित आदेश पत्र को तैयार किया गया है, के समक्ष जमा की गई रकम को प्रत्यर्थी द्वारा आहरित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी फाइल किया है ।

5. जब वर्तमान मामले में दोनों पक्षकारों ने संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों में अपने विवाद के संबंध में परस्पर समझौता कर लिया है तो उक्त संयुक्त ज्ञापन पर विचार करना उपयुक्त होगा और इसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याची/अभियुक्त द्वारा फाइल की गई याचिका पर भी विचार किया जाना चाहिए । तद्नुसार, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं –

याची/अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई याचिका को, अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के खंड (2) और (8) के अधीन पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार मंजूर किया जाता है । परिणामत:, विचारण न्यायालय द्वारा अपराध मामला सं. 442/2012 में तारीख 26 फरवरी, 2019 को पारित किए गए याची/अभियुक्त के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश तथा साथ ही दांडिक अपील सं. 5008/2019 में प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2019 को जारी समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त किया जाता है ।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त किए जाने के परिणामस्वरूप याची/अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है ।

प्रत्यर्थी/परिवादी को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि वह अपराध मामला सं. 442/2012 में विचारण न्यायालय के पास जमा की गई रकम को समुचित पहचान प्रस्तुत करके आहरित करे ।

तद्नुसार, आदेश जारी किया जाता है ।

दोनों पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए संयुक्त ज्ञापन के निबंधनों के अनुसार मुख्य मामले के निपटारे के परिणामस्वरूप, अंतर्वर्ती आवेदन सं. 2/2020, जिसे पुनरीक्षण याचिका को फाइल करने में हुए 68 दिनों के विलंब को क्षमा करने का अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था, को आई. ए. सं. 2/2020 के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र में दिए गए कारणों से मंजूर किया जाता है । तद्नुसार, इसे स्वीकार किया जाता है और विलंब को ईप्सा किए गए अनुसार क्षमा किया जाता है ।

तद्नुसार, आदेश किया जाता है ।

पु.

(2022) 1 दा. नि. प. 436 **कलकत्ता**

नित्यालाल मलिक और अन्य

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2000 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3086)

तारीख 8 जून, 2021

न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क – याचियों/अभियुक्तों, जो पीड़िता/मृतका के पति और उसके नातेदार हैं, के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर पीड़िता के विरुद्ध क्रूरता दर्शित करने और उसकी प्रताड़ना करने का आरोप लगाया जाना – इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप लगाया जाना कि दहेज संबंधी मांग पूरी न होने पर पीड़िता के पति और ससुराल पक्ष के अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण पीड़िता ने आत्महत्या कर ली – न्यायालय के अभिलेख पर इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि विवाह के समय कतिपय नकद राशि का संदाय पीड़िता के ससुराल पक्ष को किया गया था – अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का

साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्तों/याचियों ने पीड़िता को निरंतर लाठी, झाड़ू आदि से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और पीड़ित लड़की ने अपनी उक्त पिटाई/हिंसा के उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर मौजूद चिह्न अपने भाइयों को दिखाए थे, इस प्रकार विचारण न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य से पूर्ण रूप से यह स्थापित होता है कि अभियुक्तों/याचियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया गया और इस कारणवश उसने आत्महत्या कर ली, अतः, निचले विद्वान् न्यायालयों द्वारा की गई याचियों की दोषसिद्धि पूर्णतया उपयुक्त और युक्तियुक्त है और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, तथापि, यह घटना 26 वर्ष पुरानी है और याची सं. 1 और याची सं. 2 पहले ही कतिपय अवधि अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं तथा याची सं. 3 और 4 महिलाएं हैं तथा वे अब वृद्ध हो चुकी हैं और उन्होंने भी विचारण और लंबित दंडादेश से संबंधित मानसिक संताप को लंबे समय से सहन किया है, अतः, याची सं. 1 और 2 के दंडादेश की अवधि को घटाकर उतनी अवधि का किया जाता है जितनी कि वे पहले ही अभिरक्षा में व्यतीत कर चुके हैं तथा याची सं. 3 और 4 के कारावास के दंडादेश को 10,000/- रुपए के जुर्माने में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रकार याचिका को भागतः मंजूर किया जाता है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़िता और याची सं. 1 का विवाह अनुष्ठापित हुआ था और विवाह के समय पीड़िता के कुटुम्ब की ओर से 20,000/- रुपए की नकद राशि का संदाय याचियों को किया गया था । इसके पश्चात्, याचियों ने और अधिक दहेज की मांग की, जिसे पूरा करने में असफल रहने पर याचियों द्वारा लगातार पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और साथ ही अक्सर उसकी पिटाई लाठी और झाड़ू से की जाती थी, जिसके चिह्न उसके शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर मौजूद थे । इस प्रकार के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से व्यथित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली । इसके उपरांत, याचियों के विरुद्ध पुरसुरह पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 498क के अधीन जीआर मामला सं. 331/95 दर्ज किया गया, जिसका विचारण विद्वान्

सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा किया गया और विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने याचियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर याचियों ने अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील प्रस्तुत की । विद्वान् अपीली न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की । याचियों ने अपीली न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की । विद्वान् उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् याचिका को भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह दर्शित होता है कि वर्तमान याचियों द्वारा सतत् रूप से पीड़िता को लाठी, झाड़ू आदि के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध की गई हिंसा के चिह्न उसके शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर विद्यमान थे जिसे उसके भाइयों को दिखाया गया था । अभिलेख पर इस प्रभाव का साक्ष्य भी विद्यमान है कि विवाह के समय 20,000/- रुपए नकद राशि का संदाय किया गया था और विवाह के पश्चात् पीड़िता के ससुराल पक्ष की ओर से और अधिक दहेज दिए जाने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया गया था । मृतका के नातेदारों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य संक्षिप्त रूप से यह दर्शित करता है कि और अधिक दहेज लाने में असफल होने के कारण वर्तमान याचियों ने पीड़िता को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया तथा उकसाया था । दोनों न्यायालयों द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पृष्ठभूमि में पूर्णतया तर्कपूर्ण प्रतीत होते हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का मत यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध का दोषी होने से संबंधित विवाद्यक में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । न्यायालय के अभिलेखों से यह उपदर्शित होता है कि घटना तारीख 23 अगस्त, 1995 को घटित हुई थी और अन्वेषण तथा विचारण के अनुक्रम में

याची सं. 1 और याची सं. 2 ने पहले ही तीन मास की अवधि अभिरक्षा में व्यतीत की है । जहां तक याची सं. 3 और याची सं. 4 का संबंध है, वे महिलाएं हैं और इसलिए उन्हें उस समय जमानत मंजूर की गई थी जब उन्होंने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था । चूंकि यह घटना 26 वर्ष पुरानी है और याचियों के विरुद्ध समाज में उनके आचार-व्यवहार के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मेरा मत यह है कि घटना के इतने लंबे समय पश्चात् याचियों को ऐसे समय अभिरक्षा में भेजना निरर्थक होगा, जब उन्होंने 20 वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित दंडादेश के कारण मानसिक संताप को झेला है । पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां तक याची सं. 1 और याची सं. 2, अर्थात् श्री नित्यालाल मलिक और बाबूलाल मलिक का संबंध है, उच्च न्यायालय का मत यह है कि उनके दंडादेश की अवधि को घटाकर उतनी अवधि कर दिया जाए, जितनी उन्होंने पहले ही अभिरक्षा में व्यतीत कर ली है । जहां तक याची सं. 3 और याची सं. 4, अर्थात् श्रीमती बकुल मलिक और श्रीमती काची मलिक का संबंध है, उच्च न्यायालय का मत यह है कि उनके विरुद्ध पारित दंडादेश को जुर्माने में परिवर्तित कर दिया जाए । तद्नुसार, याची सं. 3 और याची सं. 4, दोनों में से प्रत्येक 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करेंगी और उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर यह निदेश दिया जाता है कि उन्हें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निदेश किए गए अनुसार छह मास के कारावास का दंडादेश भोगना होगा । याची सं. 3 और याची सं. 4 को यह निदेश दिया जाता है कि वे तारीख 31 अगस्त, 2021 तक जुर्माने की रकम का संदाय कर दें । विद्वान् विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह उक्त जुर्माने की रकम को स्वीकार करे, यदि याची सं. 3 और याची सं. 4 द्वारा उसका संदाय किया जाता है । पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ वर्ष 2000 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका को भागत: मंजूर किया जाता है । यह आदेश केवल वर्तमान मामले के तथ्यों तक निर्बंधित है । निचले न्यायालय के अभिलेखों को संबद्ध निचले विद्वान् न्यायालयों को लौटा दिया जाए । विभाग को यह निदेश दिया जाता है कि वह संबद्ध निचले न्यायालय को इस आदेश की संसूचना दे । सभी पक्षकार, इस न्यायालय की शासकीय वेबसाइट से सम्यक् रूप से डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वर प्रति के अनुसार

कार्रवाई करेंगे । यदि पक्षकार इस आदेश की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति हेतु आवेदन करते हैं तो सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने के पश्चात् उन्हें तुरंत इस आदेश की फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए । (पैरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3086.

याचियों द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, आरामबाग द्वारा वर्ष 2000 की दांडिक अपील सं. 8 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री निलाद्री शेखर घोष

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अरिजीत गांगूली और संदीप चक्रबर्ती

न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष – वर्तमान पुनरीक्षण याचिका चार याचियों द्वारा विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, आरामबाग द्वारा वर्ष 2000 की दांडिक अपील सं. 8 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसमें विद्वान् अपीली न्यायालय ने विद्वान् सहायक सेशन न्यायाधीश, आरामबाग द्वारा जीआर मामला सं. 331/95 (जो पुरसुरह पुलिस थाने के तारीख 26 अगस्त, 1995 के अपराध मामला सं. 53 से संबंधित है) से उद्भूत होने वाले सेशन विचारण सं. 193/98 में पारित दोषसिद्ध के आदेश और दंडादेश की पुष्टि की थी । विद्वान् सहायक सेशन न्यायाधीश, आरामबाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'विचारण न्यायालय' कहा गया है) द्वारा पारित दंडादेश के माध्यम से याचियों/अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 498क के अधीन अपराध करने के लिए छह मास के साधारण कारावास का दंड अधिरोपित किया गया था और साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 1800/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था, इसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उनमें से प्रत्येक को छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ।

2. याचियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री

घोष द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि विद्वान् अपीली न्यायालय ने यांत्रिक रीति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और वस्तुतः, साक्ष्य का इस प्रकार मूल्यांकन किए जाने के कारण विद्वान् विचारण न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य की अनदेखी की है जिसे स्वयं अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था । विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सामूहिक रीति में मूल्यांकन किया जाए तो प्रथमदृष्ट्या रूप से वर्तमान याचियों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध स्थापित नहीं होता है और विद्वान् अपीली न्यायालय ने अनावश्यक रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/शिकायत पत्र पर बल दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान मामला प्रारंभ किया गया था ।

3. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री चक्रबर्ती ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया है और साथ ही उन्होंने विद्वान् अपीली न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील प्रस्तुत की है कि वर्तमान याचियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप के अनुसार अपराध किया गया था और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता को अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना दी गई थी, जिसके कारण वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई ।

4. मैंने विद्वान् विचारण न्यायालय और साथ ही विद्वान् अपीली न्यायालय द्वारा परिदत्त निर्णयों का परिशीलन और उन पर विचार किया है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, और अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह दर्शित होता है कि वर्तमान याचियों द्वारा सतत् रूप से पीड़िता को लाठी, झाड़ू आदि के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध की गई हिंसा के चिह्न उसके शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर विद्यमान थे जिसे उसके भाइयों को दिखाया गया था । अभिलेख पर इस प्रभाव का साक्ष्य भी विद्यमान है कि विवाह के समय 20,000/- रुपए नकद राशि का संदाय किया गया था और विवाह के पश्चात् पीड़िता के ससुराल पक्ष की ओर से और अधिक दहेज दिए जाने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया गया था ।

मृतका के नातेदारों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य संक्षिप्त रूप से यह दर्शित करता है कि और अधिक दहेज लाने में असफल होने के कारण वर्तमान याचियों ने पीड़िता को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया तथा उकसाया था । याचियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन की गई अपनी परीक्षा में इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

5. मैंने उस रीति पर भी विचार किया है, जिसमें विद्वान् विचारण न्यायालय और साथ में विद्वान् अपीली न्यायालय ने वर्तमान याचियों के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला है । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दोनों न्यायालयों द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पृष्ठभूमि में पूर्णतया तर्कपूर्ण प्रतीत होते हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध का दोषी होने से संबंधित विवाद्यक में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

6. न्यायालय के अभिलेखों से यह उपदर्शित होता है कि घटना तारीख 23 अगस्त, 1995 को घटित हुई थी और अन्वेषण तथा विचारण के अनुक्रम में याची सं. 1 और याची सं. 2 ने पहले ही तीन मास की अवधि अभिरक्षा में व्यतीत की है । जहां तक याची सं. 3 और याची सं. 4 का संबंध है, वे महिलाएं हैं और इसलिए उन्हें उस समय जमानत मंजूर की गई थी जब उन्होंने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था ।

7. चूंकि यह घटना 26 वर्ष पुरानी है और याचियों के विरुद्ध समाज में उनके आचार-व्यवहार के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मेरा मत यह है कि घटना के इतने लंबे समय पश्चात् याचियों को ऐसे समय अभिरक्षा में भेजना निरर्थक होगा, जब उन्होंने 20 वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित दंडादेश के कारण मानसिक संताप को झेला है ।

8. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां तक याची सं. 1 और याची सं. 2, अर्थात् श्री नित्यालाल मलिक और बाबूलाल मलिक का संबंध है, मेरा मत यह है कि उनके दंडादेश की अवधि को घटाकर उतनी अवधि कर दिया जाए, जितनी उन्होंने पहले ही अभिरक्षा में व्यतीत कर

ली है । जहां तक याची सं. 3 और याची. 4, अर्थात् श्रीमती बकुल मलिक और श्रीमती काची मलिक का संबंध है, मेरा मत यह है कि उनके विरुद्ध पारित दंडादेश को जुर्माने में परिवर्तित कर दिया जाए । तद्नुसार, याची सं. 3 और याची स. 4, दोनों में से प्रत्येक 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करेंगी और उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर यह निदेश दिया जाता है कि उन्हें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निदेश किए गए अनुसार छह मास के कारावास का दंडादेश भोगना होगा । याची सं. 3 और याची सं. 4 को यह निदेश दिया जाता है कि वे तारीख 31 अगस्त, 2021 तक जुर्माने की रकम का संदाय कर दें ।

9. विद्वान् विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह उक्त जुर्माने की रकम को स्वीकार करे, यदि याची सं. 3 और याची सं. 4 द्वारा उसका संदाय किया जाता है ।

10. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों के साथ वर्ष 2000 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3086 को भागत: मंजूर किया जाता है । यह आदेश केवल वर्तमान मामले के तथ्यों तक निर्बंधित है । निचले न्यायालय के अभिलेखों को संबद्ध निचले विद्वान् न्यायालयों को लौटा दिया जाए । विभाग को यह निदेश दिया जाता है कि वह संबद्ध निचले न्यायालय को इस आदेश की संसूचना दे ।

11. सभी पक्षकार, इस न्यायालय की शासकीय वेबसाइट से सम्यक् रूप से डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वर प्रति के अनुसार कार्रवाई करेंगे । यदि पक्षकार इस आदेश की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति हेतु आवेदन करते हैं तो सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने के पश्चात् उन्हें तुरंत इस आदेश की फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए ।

याचिका भागत: मंजूर की गई ।

पु.

सेबेस्टियन उर्फ **बाबीचन**

बनाम

केरल राज्य

(2017 की दांडिक अपील सं. 693)

तारीख 11 जून, 2021

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एम. आर. अनिता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और धारा 8] – अभियुक्त पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने अपने भाई के घर में घुसकर जबर्दस्ती ताश के खेल में उसे सम्मिलित करने पर बल दिया तथा उसके द्वारा इनकार किए जाने पर उससे झगड़ा और कहा-सुनी की – उसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा उस समय अपने भाई अर्थात् मृतक की छाती में चाकू घोंपा जाना, जब वह अपने मित्रों के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर से बाहर जा रहा था – उक्त चाकू के वार के कारण अभियुक्त के भाई की मृत्यु होना – अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए विचारण किया जाना – तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया जाना कि अभियुक्त ने ही अपने भाई की छाती में बलपूर्वक चाकू घोंपा था – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का चिकित्सा/शव-परीक्षा रिपोर्ट से भली-भांति समर्थित होना, जिसमें घातक क्षति के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि उसे किसी चाकू जैसे हथियार से कारित किया गया है – चाकू के अभिग्रहण से संबंधित साक्ष्य का सही रूप से विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब न लिया जाना और उसे परित्यक्त किया जाना – चूंकि पूर्ववर्ती कहा-सुनी और झगड़े के पश्चात् अभियुक्त के पास सोचने-विचारने का पर्याप्त समय विद्यमान था इसलिए स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य सोच-विचार कर अपने भाई की हत्या करने के आशय से किया गया प्रतीत होता है और इसलिए वह दंड संहिता की धारा 300 में उल्लिखित अपवादों का फायदा प्राप्त करने का हकदार नहीं है, अतः, अभियुक्त के दोष को सभी

सुसंगत संदेहों से परे भली-भांति स्थापित किया गया है और निचले न्यायालय द्वारा की गई उसकी दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और निचले न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, अत: अपील खारिज की गई ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 16 सितम्बर, 2013 को ओणम त्यौहार से संबंधित आमोद-प्रमोद तथा समारोह मनाने के पश्चात् मदिरा पान के नशे में धुत पांच मित्रों ने, उनमें से एक (मृतक/पीड़ित) व्यक्ति के घर ताश खेलने का निर्णय लिया । पीड़ित के भाई, जो समीप ही निवास कर रहा था, और जो घटना के समय मदिरा के नशे के प्रभाव में था, ने भी इस बात पर बल दिया कि उसे भी ताश के खेल में सम्मिलित किया जाए । उसके द्वारा इस प्रकार की गई मांग को ठुकराए जाने के उपरांत वहां एक झगड़ा और कहा-सुनी हुई और थोड़ी सी धक्का-मुक्की भी हुई । उसके पश्चात्, पीड़ित के भाई को पड़ोस में स्थित उसके घर भेज दिया गया और तदुपरांत पीड़ित की पत्नी ने पीड़ित के मित्रों से यह अनुरोध किया कि वे वहां से चले जाएं क्योंकि इस बात की संभावना बनी हुई थी कि पीड़ित का भाई निश्चित रूप से वापस आएगा और पुन:, झगड़ा करेगा । अत:, पांचों मित्रों ने उनमें से किसी अन्य मित्र के घर एकत्रित होकर अपने ताश के खेल को जारी रखने का प्रस्ताव रखा । जिस समय वे पांच मित्र तीन बाइकों, जिसमें से दो पर पीछे भी एक-एक व्यक्ति सवार थे, बैठकर पीड़ित के घर से निकल रहे थे, उसी समय पीड़ित का भाई वहां आया और उसने अपने भाई की बाइक को रोका तथा पीड़ित को चाकू घोंप दिया । आहत को उसके मित्रों द्वारा तुरंत सर्वप्रथम बाइक पर ही और उसके पश्चात् एक स्कॉर्पियो कार द्वारा चेट्टीकुहा स्थित अस्पताल ले जाया गया जहां उसे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और उसके पश्चात् उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, कोट्टायम ले जाया गया । उक्त अस्पताल में उसी रात्रि लगभग 10.30 बजे पीड़ित की उसे कारित की गई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रथम इत्तिला कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई और अभियुक्त को अगले दिन दोपहर 1.00 बजे गिरफ्तार

किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया तथा उस पर एक वर्ष के व्यतिक्रम दंडादेश खंड सहित 25,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त/ अपीलार्थी ने उसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य भी सम्मिलित है, पर विचार करते हुए तथा न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों का परिशीलन करने के पश्चात् अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कथन प्रथम इत्तिला कथन के तत्समान है । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा एक स्वर में मामले की अनिवार्य परिस्थितियों का एकसमान रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें मृतक और उसके मित्रों (अभि. सा. 1 से 3) द्वारा शांतिपूर्वक खेले जा रहे ताश के खेल में अभियुक्त द्वारा किया गया हस्तक्षेप, अभियुक्त द्वारा इस प्रकार खेल को बाधित करने के परिणामस्वरूप हुआ झगड़ा, मित्रों का, जो मृतक के घर एकत्रित हुए थे, वहां से किसी अन्य मित्र के घर जाने के लिए रवाना होना तथा चाकू घोंपने की घटना को अत्यधिक सजीव रीति में प्रस्तुत किया गया है । स्पष्ट रूप से उनके कथनों में कतिपय अतिश्योक्तियां सम्मिलित हैं किन्तु वे सारवान् नहीं हैं और उनके कारण हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है कि मामले में अंतर्वलित घटना किसी अन्य रीति में कारित हुई थी । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि चाकू घोंपे जाने की क्षति कारित होने के पश्चात् आहत व्यक्ति ने यह भी कहा था कि "बाबीचन (अभियुक्त) ने उसे चाकू घोंपा है" । इसी प्रकार का कथन अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5, जो मृतक की पत्नी है और जो घटना अर्थात् उसके पति को चाकू घोंपे जाने के तुरंत पश्चात् घटनास्थल पर आई थी, द्वारा भी किया गया है । अभि. सा. 3 वह व्यक्ति है जो आहत व्यक्ति की बाइक के पीछे सवार

था । इस संबंध में इस तर्क को उठाया गया है कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री विद्यमान नहीं है कि अभि. सा. 3 वह सोजन नामक व्यक्ति है जिसके बारे में अन्य साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । अभि. सा. 3 के नाम को जोसफ एम. के रूप में दर्शित किया गया है और उसे विनिर्दिष्ट रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार पहचान नहीं दी गई है कि वह सोजन के नाम से भी जाना जाता है । किसी भी अन्य साक्षी से यह प्रश्न नहीं किया गया है कि अभि. सा. 3 के अन्य नाम या कोई मुंह बोला नाम भी है । तथापि, अभि. सा. 1, 2 और 4 द्वारा वर्णित की गई परिस्थितियों पर पूर्णरूपेण विचार करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि सोजन घटना के समय मृतक की बाइक के पीछे सवार था और स्वीकार्य रूप से अभि. सा. 3 भी वह व्यक्ति है जो मृतक द्वारा चलाई जा रही बाइक की पिछली सीट पर सवारी के रूप में मौजूद था । अभि. सा. 3 ने भी प्रथम इत्तिला कथन में वर्णित की गई कहानी और अभि. सा. 1, 2 और 4 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अनुरूप घटना से संबंधित परिस्थितियों और अभिसाक्ष्य को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 3 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह और अन्य तीन व्यक्ति ताश का खेल, खेल रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति मृतक था तथा दो अन्य व्यक्ति अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 थे । जैसा कि उसके द्वारा कथन किया गया है कि अभि. सा. 4 खेल में भाग नहीं ले रहा था और वह केवल खेल को देख रहा था और इसी प्रभाव का कथन अभि. सा. 2 तथा अभि. सा. 3 द्वारा किया गया है । हमें अभि. सा. 3, जिसने एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में घटना को अपने सामने घटित होते देखा था क्योंकि वह उस समय मृतक द्वारा चलाई जा रही बाइक की पिछली सीट पर सवारी कर रहा था जब अभियुक्त ने मृतक की छाती में चाकू घोंपा था, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को परित्यक्त करने का कोई भी युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है । हत्या के हेतुक और पश्चात्वर्ती घटनाओं के संबंध में भी अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 द्वारा लगभग एक समान कथन किया गया है । अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तथ्य कि घटना के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अपील में अभियुक्त की दोषमुक्ति में कोई सहायता

प्रदान नहीं करता है । हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इस बात की नितांत रूप से कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त को आई क्षतियां उसे नुकीले जंगले पर गिरने के कारण कारित हुई थी । उच्च न्यायालय पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है । उच्च न्यायालय के घटना में प्रयुक्त हथियार के अभिग्रहण से संबिधित साक्ष्य पर विश्वास नहीं है । तथापि, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य निश्चित रूप से अभियुक्त के इस दोष को साबित करता है कि उसने बलपूर्वक अपने भाई की छाती में चाकू घोंपा था और ऐसा उसने सोच-विचार कर इस बात पर क्रोधित होकर किया था कि उसके भाई ने उसे ताश के खेल में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया था । अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करता है । क्षति के ब्यौरों पर विचार करने के पश्चात् भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त क्षति को बलपूर्वक तथा सोच-विचार कर मृतक के शरीर में चाकू घोंपकर कारित किया गया था जिससे स्वयमेव यह प्रकट होता है कि अभियुक्त का आशय पीड़ित की मृत्यु कारित करना था । हमें मृतक या उसके साथियों में से किसी अन्य द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य भी प्रतीत नहीं होता है जिसके कारण अभियुक्त को गंभीर और अकस्मात् प्रकोपन हुआ हो । हमें यह भी प्रतीत नहीं होता है कि घटना बिना सोचे-विचारे अकस्मात् हुए झगड़े के कारण क्षणिक आवेश में कारित की गई थी । अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि झगड़े के पश्चात् अभियुक्त को उसके अपने निकट स्थित घर भेज दिया गया था । मृतक के घर आमोद-प्रमोद के लिए एकत्रित हुए पांचों व्यक्तियों ने अभियुक्त द्वारा उत्पन्न की गई बाधा और झगड़े के कारण मृतक घर से जाने का विनिश्चय किया । इस प्रकार जब वे मृतक के घर से जा रहे थे तो उस समय अभियुक्त ने पीड़ित का रास्ता रोका और उसकी छाती में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी । यद्यपि, एम ओ 1 के संबंध में यह स्थापित नहीं हो सका है कि वह घटना में प्रयुक्त हथियार है और उसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा मृतक को क्षति कारित करने के लिए किया गया था, तथापि, शव-परीक्षा करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत

अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा किया गया घाव का वर्णन स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित करता है कि घातक क्षति किसी चाकू जैसे हथियार से कारित की गई थी । स्पष्ट रूप से अभियुक्त ने पूर्ववर्ती घटना अर्थात् उसके भाई के घर में हुई कहा-सुनी के पश्चात् एक चाकू का उपापन किया था, जिससे पुन:, यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा किया गया कृत्य भलीभांति सोच-विचार कर किया गया था और उसके पश्चात् उसने जानते-बुझते हुए, पूर्व में हुई घटना का बदला लेने के लिए अपने भाई की हत्या करने के आशय से उसकी छाती में चाकू घोंपा था । उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत किसी अपवाद के फायदे का हकदार है । अभियुक्त का दोष बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के स्थापित होता है । उच्च न्यायालय को निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश में हस्ताक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । (पैरा 9, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 13 एस. सी. सी. 657 =
2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 7049 :
सुनील कुमार शम्भू दयाल गुप्ता बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 693.

वर्तमान दांडिक अपील मामले के एकमात्र अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश तथा उस पर अधिरोपित जुर्माने को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री प्रीति आर. नायर, (स्टेट ब्रीफ)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. यू. नाजर, वरिष्ठ सरकारी अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने दिया ।

न्या. चंद्रन – वर्तमान मामले में, ताश खेलने और मदिरा पान के घातक सम्मिश्रण के कारण एक व्यक्ति की उसके अपने भाई के हाथों हत्या हो गई । तारीख 16 सितम्बर, 2013 को ओणम त्यौहार से संबंधित आमोद-प्रमोद तथा समारोह मनाने के पश्चात् मदिरा पान के नशे में धुत पांच मित्रों ने, उनमें से एक (मृतक/पीड़ित) व्यक्ति के घर ताश खेलने का निर्णय लिया । पीड़ित के भाई, जो समीप ही निवास कर रहा था, और जो घटना के समय मदिरा के नशे के प्रभाव में था, ने भी इस बात पर बल दिया कि उसे भी ताश के खेल में सम्मिलित किया जाए । उसके द्वारा इस प्रकार की गई मांग को ठुकराए जाने के उपरांत वहां एक झगड़ा और कहा-सुनी हुई और थोड़ी सी धक्का-मुक्की भी हुई । उसके पश्चात्, पीड़ित के भाई को पड़ोस में स्थित उसके घर भेज दिया गया और तदुपरांत पीड़ित की पत्नी ने पीड़ित के मित्रों से यह अनुरोध किया कि वे वहां से चले जाएं क्योंकि इस बात की संभावना बनी हुई थी कि पीड़ित का भाई निश्चित रूप से वापस आएगा और पुन:, झगड़ा करेगा । अत:, पांचों मित्रों ने उनमें से किसी अन्य मित्र के घर एकत्रित होकर अपने ताश के खेल को जारी रखने का प्रस्ताव रखा । जिस समय वे पांच मित्र तीन बाइकों, जिसमें से दो पर पीछे भी एक-एक व्यक्ति सवार थे, बैठकर पीड़ित के घर से निकल रहे थे, उसी समय पीड़ित का भाई वहां आया और उसने अपने भाई की बाइक को रोका तथा पीड़ित को चाकू घोंप दिया । आहत को उसके मित्रों द्वारा तुरंत सर्वप्रथम बाइक पर ही और उसके पश्चात् एक स्कॉर्पियो कार द्वारा चेट्टीकुहा स्थित अस्पताल ले जाया गया जहां उसे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और उसके पश्चात् उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, कोट्टायम ले जाया गया । उक्त अस्पताल में उसी रात्रि लगभग 10.30 बजे पीड़ित की उसे कारित की गई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रथम इत्तिला कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई और अभियुक्त को अगले दिन दोपहर 1.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 19 के रूप में कुल 19 साक्षियों की परीक्षा की तथा एम

ओ 1 से एम ओ 6 वस्तुओं को भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । इसके अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रदर्श पी-1 से पी-20 के रूप में चिह्नित किया गया । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4, जो घटना के समय अभियुक्त के साथ मौजूद थे और जो परस्पर ताश का खेल रहे थे, इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । एम ओ 1 के रूप में उस चाकू को प्रस्तुत किया गया है, जिसे मृतक पर वार करने के लिए हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था और जिसे अभिकथित रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से अभिगृहीत किया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया तथा उस पर एक वर्ष के व्यतिक्रम दंडादेश खंड सहित 25,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया ।

3. हमने अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् स्टेट ब्रीफ सुश्री प्रीति आर. नायर और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अभियोजक श्री एस. यू. नाजर को सुना । अपीलार्थी की विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एम ओ 1 के रूप में चिह्नित चाकू का अभिग्रहण नाटकीय ढंग से किया गया है । गिरफ्तारी के समय तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट में अभियुक्त के कब्जे से किए गए ऐसे किसी अभिग्रहण को दर्शित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस बात की संभावना अत्यंत क्षीण है कि चाकू घोंपने की अभिकथित घटना के पश्चात् अभियुक्त चाकू को अपने कब्जे में बनाए रखेगा । यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि गिरफ्तारी तारीख 17 सितम्बर, 2013 को की गई थी, फिर भी सारवान् वस्तु, जिसे अभिकथित रूप से अभियुक्त के कब्जे से अभिगृहीत किया गया था और जो अपराध में प्रयुक्त होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है, को तारीख 26 सितम्बर, 2013 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि इस प्रकार चाकू, जो एक

अत्यधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, को प्रस्तुत करने में इतना विलंब क्यों हुआ । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि यह दर्शित करने के लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि चाकू घोंपने का अपराध न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सारवान् वस्तु 1 चाकू से ही कारित किया गया था । यह उल्लेख किया गया है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4, हालांकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और वे घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद थे, फिर भी उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल से दूर जा रहे थे और उन्होंने अपने-अपने चलते हुए यानों से पीछे की ओर देखते हुए घटना को देखा था, जो संभव प्रतीत नहीं होता है । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अत्यधिक रूप से बढ़ा-चढ़ा कर कही गईं बातें और अनेक विसंगतियां और अतिश्योक्तियां विद्यमान हैं, जो निश्चित रूप से अभियुक्त को संदेह के लाभ के लिए हकदार बनाती हैं । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विद्यमान विसंगतियां घटना के उस रीति में, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया है, घटने के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती हैं । अभियुक्त के कथनानुसार उसका भाई उस समय आहत हुआ था जब उसके द्वारा चालित बाइक फिसलकर गिर गई और उस पर सवार उसका भाई नुकीले जंगले पर जा गिरा । जंगले के नुकीले कोनों के कारण उसके शरीर पर विभिन्न छिन्न घाव कारित हुए । साक्षियों में से एक साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जो अभियुक्त के इस कथन को बल प्रदान करती है कि वर्षा के कारण मृतक द्वारा चालित की जा रही बाइक फिसल गई और जिसके कारण उसका चालक नीचे गिर गया । शव-परीक्षा रिपोर्ट से भी यह उपदर्शित होता है कि बाइक का चालन करते समय मृतक मदिरा के नशे में था । वैकल्पिक रूप से यह अभिवाक् किया गया है कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 और 4 का हकदार है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि यदि फिर भी अभियुक्त को अपने भाई पर चाकू से प्रहार करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी घटना

आकस्मिक और क्षणिक आवेग में उस समय घटित हुई होगी जब दोनों भाइयों के बीच मौखिक रूप से कहा-सुनी हो रही थी । श्रीमती प्रीति आर. नायर द्वारा इस तथ्य पर बल दिया गया है कि घटना केवल दोनों भाइयों के बीच हुए अकस्मात् झगड़े के कारण घटित हुई थी और वह कोई सोची समझी साजिश के अधीन की गई घटना नहीं थी ।

4. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अभियोजक श्री एस. यू. नाजर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में कोई भी बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कही गई है और उनके साक्ष्य में ऐसी कोई बात विद्यमान है तो वह कोई सारवान् बात नहीं है । प्रथम इत्तिला कथन, जो कि सर्वाधिक सामयिक दस्तावेज है, में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को नामित किया गया है जो घटना और उससे पूर्व घटनास्थल पर उपस्थित था और उनमें से प्रत्येक की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा की गई है । प्रथम इत्तिला कथन में हत्या के हेतुक को भी वर्णित किया गया है, जिसके संबंध में यह कथन किया गया है कि ताश के खेल में मृतक द्वारा अभियुक्त को शामिल करने की अनुज्ञा नहीं दी गई थी, इसलिए उनके बीच झगड़ा हुआ था । घटना से संबंधित सारवान् विशिष्टियां और वे परिस्थितियां जिनके परिणामस्वरूप घटना घटित हुई और स्वयमेव घटना पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में अभियुक्त की समुचित रूप से शनाख्त की गई है । यद्यपि, प्रथम इत्तिला कथन में घटना के समय हो रही बूंदाबांदी का उल्लेख नहीं किया गया है और यह कोई सारवान् तथ्य नहीं है और इससे किसी भी प्रकार से यह दर्शित नहीं होता है कि मृतक बाइक से फिसलकर गिर गया था और नुकीले जंगले पर गिरने के कारण हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी । मृतक की शव-परीक्षा करने वाले डॉक्टर, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 11 के रूप में की गई है, ने स्पष्ट रूप से उस घातक क्षति के संबंध में कथन किया है और यह बताया है कि उक्त क्षति छाती के सामने की तरफ बाईं ओर हंसुली अस्थि के ठीक नीचे विद्यमान है, जिसने उदरीय गुहा को काट दिया है । चाकू घोंपे जाने का घाव इतने बलपूर्वक और सोच-विचार कर किया गया था कि इस तरह

का कोई घाव किसी व्यक्ति के बाइक से फिसलकर जंगले पर गिरने के कारण कारित नहीं हो सकता । यह आग्रह किया गया है कि अभियुक्त किसी भी प्रकार से संदेह के लाभ का हकदार नहीं है, विशेष रूप से उस समय जब साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि यह अपराध अभियुक्त द्वारा भली-भांति सोच-विचार करके किया गया कार्य था, जब उसे पहली बार उस समय घटनास्थल से दूर ले जाया गया था जब उसका अपने भाई/पीड़ित के साथ झगड़ा हुआ था । उसके पश्चात् जब मृतक अपने घर से बाहर जा रहा था तो उस समय अभियुक्त ने उसका रास्ता रोका और जानबूझकर उसे चाकू घोंप दिया । इस जघन्य कार्य को किसी भी प्रकार के अपवाद के अंतर्गत लाने का कोई कारण विद्यमान नहीं है । इस प्रकार विद्वान् अभियोजक ने विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश को कायम रखने की ईप्सा की ।

5. अभि. सा. 11 वह डॉक्टर है, जिसने मृतक की शव-परीक्षा की थी और प्रदर्श पी-6 उसके द्वारा जारी शव-परीक्षा प्रमाणपत्र है । उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित छिन्न क्षतियों को 1, 2, 3 और 8 के रूप में चिह्नित किया गया है । क्षति सं. 4 से 7 छोटी-मोटी खरोंचें हैं । जहां तक मृत्यु के कारण का संबंध है, अभि. सा. 11 द्वारा यह कथन किया गया है कि मृतक की मृत्यु उसकी छाती और उदर में हुई क्षतियों, अर्थात् क्षति सं. 1, के कारण हुई है, जिसका वर्णन प्रदर्श पी-6 में किया गया है जिसके लिए गए उद्धरण को नीचे प्रस्तुत किया गया है :–

> "2.3 सें.मी. लंबा छिन्न भेदक घाव, जो छाती के सामने बाईं ओर तिरछा विद्यमान है, बीच की रेखा के बाईं ओर इसका बाहरी धारदार कट 8 सें.मी. था जो हंसुली अस्थि से 17 सें.मी. नीचे विद्यमान था । इसका दूसरा कोना धारदार नहीं था । इस घाव ने छाती के भीतरी ओर स्थित कोमल ऊतकों को काट दिया था और यह घाव नीचे, पीछे की ओर विद्यमान था तथा अंदरूनी रूप से यह घाव आंतरिक उदर को भेदते हुए उदरीय गुहा तथा पैरिटोनियम में प्रवेश कर गया था और यह घाव उदर की आगे की ओर विद्यमान झिल्ली को छिन्न करते हुए समाप्त हुआ था । इस घाव

की कुल न्यूनतम गहराई 10.5 सें.मी. की थी । उदरीय गुहा में 800 मिली लीटर द्रव्य रक्त विद्यमान था जिसमें रक्त के थक्के और बिखरी हुई उदर की अंतर्वस्तु मिश्रित हो गई थी ।"

6. अभि. सा. 11 ने मृतक के शव पर पाई गई मृत्युपूर्व क्षतियों के संबंध में भी कथन किया, जिन्हें प्रदर्श पी-6 में वर्णित किया गया है । डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य में उसने अपनी यह राय प्रस्तुत की है कि विनिर्दिष्ट रूप से यह क्षति एम ओ 1 चाकू से कारित की जा सकती है और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यह क्षति मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त है । अभि. सा. 11 की प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे यह विनिर्दिष्ट प्रश्न किया गया था कि क्या उक्त क्षति बाइक सवार के जंगले पर गिरने के कारण कारित हो सकती है । उक्त प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से अपनी यह राय व्यक्त की थी कि क्षति सं. 1 किसी नुकीले जंगले पर गिरने के कारण कारित नहीं हो सकती । उसके अनुसार क्षति सं. 7 और 8 के सिवाय अन्य क्षतियां एम ओ 1 के रूप में मौजूद हथियार से भी कारित की जा सकती हैं । जैसा कि प्रदर्श पी-6 से लिए गए उपरोक्त उद्धरण में देखा जा सकता है, मृतक को घातक क्षति उसकी छाती पर कारित हुई है, जो छाती के बाईं ओर से हंसुली अस्थि के नीचे शरीर में प्रवेश करती है और वह छाती के अंदरूनी भाग के कोमल ऊतकों को चीरते हुए अंत: उदरीय झिल्ली तथा पैरिटोनियम को काटते हुए उदरीय गुहा में प्रवेश करती है तथा अमाशय की बाहरी झिल्ली को छिन्न करते हुए समाप्त होती है । उक्त घाव की कुल न्यूनतम गहराई 10.5 सें.मी. है । शव-परीक्षा रिपोर्ट तथा डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि घातक क्षति छाती पर चाकू से नीचे की ओर प्रहार करते हुए कारित की गई है और उक्त हथियार ने 10.5 सें.मी. गहराई तक शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काट दिया है जो कि किसी बाइक सवार के नुकीले जंगले पर गिरने के कारण कारित नहीं हो सकती । किसी जंगले पर गिरने से इस प्रकार की क्षति कारित करने हेतु शरीर को भूमि से 90 डिग्री के कोण पर जंगले के ऊपर गिरना होगा । हमें यह विश्वास है कि घातक क्षति एक धारदार हथियार, जैसे कि चाकू द्वारा कारित की गई है और उसे किसी मानव

द्वारा बलपूर्वक हथियार का प्रयोग करते हुए कारित किया गया है । आहत व्यक्ति की चाकू जैसे हथियार द्वारा घातक क्षति कारित किए जाने के कारण मृत्यु हो गई और यह तथ्य भी प्रकट होता है कि उक्त हथियार का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर वार करने के लिए किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को भलीभांति स्थापित किया गया है और साथ ही चिकित्सा साक्ष्य से भी यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि आहत व्यक्ति की हत्या की गई थी ।

7. अभियुक्त के कब्जे से चाकू के अभिग्रहण के संबंध में काफी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । हमें इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं है कि अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह पूर्ण रूप से असंभव है कि वह अभिकथित घटना के पश्चात् अपराध में प्रयुक्त हथियार को अपने पास रखे । तथापि, हमें भी उक्त हथियार के समुचित अभिग्रहण के संबंध में आशंकाएं हैं जैसा कि अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा उल्लेख किया गया है । गिरफ्तारी के समय तैयार किए गए निरीक्षण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) में अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए किसी चाकू के मौजूद होने या ऐसे किसी अभिग्रहण के संबंध में कोई उल्लेख विद्यमान नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभिग्रहण तारीख 17 सितम्बर, 2013 को किया गया था किन्तु उसे न्यायालय के समक्ष केवल तारीख 26 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत किया गया था, जिस तथ्य को मामले के अन्वेषण अधिकारी अभि. सा. 19 द्वारा स्वीकार किया गया है । अन्वेषण अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त हथियार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब के संबंध में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि उसने उक्त चाकू को अपनी अभिरक्षा में इसलिए रखा था ताकि डॉक्टर से उक्त हथियार के संबंध में उसके कथन को लेखबद्ध किए जाने के समय राय प्राप्त की जा सके तथा डॉक्टर के कथन को तारीख 26 सितम्बर, 2013 को लेखबद्ध किया गया था । दूसरी ओर, डॉक्टर ने यह कथन किया है कि उसने हथियार को देखा था किन्तु उसने उस तारीख का उल्लेख नहीं किया है जिस दिन उसने उक्त हथियार को देखा था । अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि चाकू को तब तक,

जब तक कि डॉक्टर से उसके संबंध में उसकी राय प्राप्त नहीं कर ली जाती, सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की अनुमति न्यायालय से प्राप्त नहीं की गई थी । यह भी उल्लेख करना अनिवार्य है कि यद्यपि चाकू की रासायनिक परीक्षा किए जाने पर उस पर रक्त पाया गया था किन्तु वह रक्त, रक्त समूह की पहचान करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं था । इस प्रकार, संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारी राय यह है कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से चाकू के अभिग्रहण से संबंधित साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता । जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार उक्त परिस्थिति में उपरोक्त साक्ष्य अभियुक्त के दोष को स्थापित करने हेतु पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है । तथापि, हमें यह संज्ञान लेना होगा कि अभियोजन का पक्षकथन केवल परिस्थितिजन्य नहीं है अपितु उसे चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित किया गया है ।

8. अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 ने पूर्णरूपेण अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । अभि. सा. 1 वह व्यक्ति है, जिसने प्रथम इत्तिला कथन (प्रदर्श पी-1) लेखबद्ध कराया था जिसके परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (पी-11) को रजिस्टर किया गया । जैसा कि विद्वान् अभियोजक द्वारा सही रूप से उल्लेख किया गया है, यह सर्वाधिक समसामयिक दस्तावेज है जिसे पूर्ववर्ती दिवस की रात्रि 10.30 बजे आहत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् प्रात: 3.00 बजे लेखबद्ध किया गया था । प्रथम इत्तिला कथन में घटना का ब्यौरोवार वर्णन किया गया है और साथ ही उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिनमें जार्ज थॉमस **उर्फ** बाबीचन को चाकू घोंपने की घटना घटित हुई । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 और मृतक सायं लगभग 6.00 बजे मृतक के घर के सामने वाले भाग में ताश खेल रहे थे और अभि. सा. 4 उनके उक्त खेल को देख रहा था । उसी समय अभियुक्त उनके पास आया और उसने यह मांग रखी कि उसे भी खेल में सम्मिलित किया जाए जिसे ताश खेलने वाले व्यक्तियों ने ठुकरा दिया । उसके पश्चात्, अभियुक्त व्यक्ति ने लड़ाई-झगड़ा किया और उसके पश्चात् मृतक की

पत्नी ने अपने पति और उसके मित्रों को वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि उसके अनुसार अभियुक्त निश्चित रूप से वापस आने वाला था । यह भी कथन किया गया है कि मृतक ने अपने भाई, जो अभियुक्त है, के इस प्रकार उनके खेल को बाधित करने के लिए डांट भी लगाई थी । तदुपरांत मित्रों ने यह विनिश्चय किया कि वे अपने खेल को अभि. सा. 1 के घर जाकर आगे बढ़ाएंगे और वे तीन बाइकों, जिनमें से दो पर पीछे एक-एक सवार मौजूद था, पर बैठकर अभि. सा. 1 के घर की ओर जाने लगे । उस समय अभि. सा. 3 मृतक द्वारा चालित की जाने वाली बाइक के पीछे सवार था । जब मृतक और अभि. सा. 3 अभियुक्त के घर के समाने पहुंचे तो अभियुक्त ने उनका मार्ग रोक लिया और उसके पश्चात् यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने बलपूर्वक मृतक की छाती के बाईं ओर चाकू घोंप दिया ।

9. इस प्रकार चाकू के बलपूर्वक वार के परिणामस्वरूप पीड़ित/मृतक बाइक से भूमि पर गिर गया । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 तुरंत आहत व्यक्ति को बचाने के लिए आगे आए और उसे बाइक पर ही प्राथमिक चिकित्सा हेतु समीप स्थित अस्पताल ले गए और उसके पश्चात् आहत व्यक्ति को एमसीएच, कोट्टायम उपचार हेतु ले जाया गया । उक्त अस्पताल में रात्रि 10.30 बजे आहत की, उसे कारित की गई क्षति के कारण मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कथन प्रथम इत्तिला कथन के तत्समान है । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा एक स्वर में मामले की अनिवार्य परिस्थितियों का एकसमान रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें मृतक और उसके मित्रों (अभि. सा. 1 से 3) द्वारा शांतिपूर्वक खेले जा रहे ताश के खेल में अभियुक्त द्वारा किया गया हस्तक्षेप, अभियुक्त द्वारा इस प्रकार खेल को बाधित करने के परिणामस्वरूप हुआ झगड़ा, मित्रों का, जो मृतक के घर एकत्रित हुए थे, वहां से किसी अन्य मित्र के घर जाने के लिए रवाना होना तथा चाकू घोंपने की घटना को अत्यधिक सजीव रीति में प्रस्तुत किया गया है । स्पष्ट रूप से उनके कथनों में कतिपय अतिश्योक्तियां सम्मिलित हैं किन्तु वे सारवान् नहीं हैं और उनके कारण हमारे मस्तिष्क

में इस प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है कि मामले में अंतर्वलित घटना किसी अन्य रीति में कारित हुई थी ।

10. **सुनील कुमार शम्भू दयाल गुप्ता** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित नियमों का पुनर्कथन किया गया था । उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कथनों में विद्यमान विसंगतियों, बढ़ा-चढ़ा कर कही गई बातों या अतिश्योक्तियों की परीक्षा उनकी महत्ता के आधार पर की जानी चाहिए और इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वह सारवान् रूप से विचारण को प्रभावित करती है । लघु प्रकृति की विसंगतियां, विरोधाभास, अतिश्योक्तियां या छोटे-मोटे विषयों पर किए गए सुधार, जो अभियोजन के पक्षकथन की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते हैं, पूर्णरूप से साक्ष्य को नामंजूर किए जाने का आधार नहीं बन सकते । वस्तुतः, कथनों में विद्यमान छोटे-मोटे अंतर आवश्यक रूप से सुधार नहीं माने जा सकते । ऐसे अंतर, पूर्व में किए गए कथन के ब्यौरों के वर्णन के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में राय बनाने हेतु साक्ष्य पर उसकी संपूर्णता में विचार करे । अतिश्योक्तियां, यदि उन्हें अभिसाक्ष्यों में सम्मिलित किया गया है और वे केवल घटना के ब्यौरे से संबंधित लघु प्रकृति की परिवृद्धियां हैं, जिसके संबंध में प्रथम इत्तिला कथन को लेखबद्ध किए जाने के समय उल्लेख नहीं किया गया था, सारवान् नहीं माना जा सकता । वे केवल किसी घटना से संबंधित ब्यौरेमात्र हैं, जो किसी साक्षी के मस्तिष्क में गहराई से सोच-विचार करने के पश्चात् आते हैं, जो घटना के तुरंत पश्चात् लेखबद्ध कराए जाने वाले प्रथम इत्तिला कथन के समय उसके मस्तिष्क में नहीं आए थे क्योंकि उस समय घटित हुआ अपराध और उसके परिणामों के कारण साक्षी, जिसने घटना को देखा था, के मस्तिष्क पर उनका नकारात्मक प्रभाव मौजूद था ।

11. अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि चाकू घोंपे जाने की क्षति कारित होने के पश्चात् आहत व्यक्ति ने यह भी कहा था कि

---

[1] (2010) 13 एस. सी. सी. 657 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 7049.

"बाबीचन (अभियुक्त) ने उसे चाकू घोंपा है" । इसी प्रकार का कथन अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5, जो मृतक की पत्नी है और जो घटना अर्थात् उसके पति को चाकू घोंपे जाने के तुरंत पश्चात् घटनास्थल पर आई थी, द्वारा भी किया गया है । अभि. सा. 3 वह व्यक्ति है जो आहत व्यक्ति की बाइक के पीछे सवार था । इस संबंध में इस तर्क को उठाया गया है कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कोई सामग्री विद्यमान नहीं है कि अभि. सा. 3 वह सोजन नामक व्यक्ति है जिसके बारे में अन्य साक्षियों द्वारा कथन किया गया है । अभि. सा. 3 के नाम को जोसफ एम. के रूप में दर्शित किया गया है और उसे विनिर्दिष्ट रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकार पहचान नहीं दी गई है कि वह सोजन के नाम से भी जाना जाता है । किसी भी अन्य साक्षी से यह प्रश्न नहीं किया गया है कि अभि. सा. 3 के अन्य नाम या कोई मुंह बोला नाम भी है । तथापि, अभि. सा. 1, 2 और 4 द्वारा वर्णित की गई परिस्थितियों पर पूर्णरूपेण विचार करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि सोजन घटना के समय मृतक की बाइक के पीछे सवार था और स्वीकार्य रूप से अभि. सा. 3 भी वह व्यक्ति है जो मृतक द्वारा चलाई जा रही बाइक की पिछली सीट पर सवारी के रूप में मौजूद था । अभि. सा. 3 ने भी प्रथम इत्तिला कथन में वर्णित की गई कहानी और अभि. सा. 1, 2 और 4 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अनुरूप घटना से संबंधित परिस्थितियों और अभिसाक्ष्य को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 3 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह और अन्य तीन व्यक्ति ताश का खेल, खेल रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति मृतक था तथा दो अन्य व्यक्ति अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 थे । जैसा कि उसके द्वारा कथन किया गया है कि अभि. सा. 4 खेल में भाग नहीं ले रहा था और वह केवल खेल को देख रहा था और इसी प्रभाव का कथन अभि. सा. 2 तथा अभि. सा. 3 द्वारा किया गया है । हमें अभि. सा. 3, जिसने एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में घटना को अपने सामने घटित होते देखा था क्योंकि वह उस समय मृतक द्वारा चलाई जा रही बाइक की पिछली सीट पर सवारी कर रहा था जब अभियुक्त ने मृतक की छाती में चाकू

घोंपा था, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को परित्यक्त करने का कोई भी युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है ।

12. हत्या के हेतुक और पश्चात्वर्ती घटनाओं के संबंध में भी अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 द्वारा लगभग एक समान कथन किया गया है । अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तथ्य कि घटना के समय हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अपील में अभियुक्त की दोषमुक्ति में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है । हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि इस बात की नितांत रूप से कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त को आई क्षतियां उसे नुकीले जंगले पर गिरने के कारण कारित हुई थी । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत विसंगतियों का अवलंब लिया है । अभि. सा. 4 द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए गए घटना से संबंधित उचित कथन के संबंध में जब साक्षी से उसके पूर्ववर्ती कथन के संबंध में पूछा गया तो उसने उससे इनकार किया । प्रदर्श पी-2 और पी-2(क) वे विसंगतियां हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष की ओर से चिह्नित किया गया है । तथापि, अभि. सा. 4 की मुख्य परीक्षा के प्रथम भाग में उसने उस विनिर्दिष्ट परिस्थिति के संबंध में बताया है जो मृतक के घर में उनके द्वारा ताश के खेल के दौरान घटित हुई । उसने यह भी कथन किया है कि वह खेल में सम्मिलित नहीं था और वह केवल खेल को देख रहा था और उसके कथन का यह भाग अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य के अनुरूप है । अभि. सा. 4 ने अभियुक्त और पीड़ित व्यक्ति के बीच हुई कहा-सुनी तथा पांचों मित्रों द्वारा मृतक के घर से कहीं अन्यत्र जाने के निर्णय के संबंध में भी कथन किया है । एकमात्र विचलन यह है कि उसने समुचित घटना को देखे जाने से संबंधित कथन नहीं किया है । उसने यह कथन किया है कि उसने उस समय एक तेज आवाज सुनी थी जब वे मित्र लोग मृतक के घर से बाहर जा रहे थे । जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मृतक को यह कहते हुए सुना कि "बाबीचन (अभियुक्त) ने उसे चाकू घोंपा है" । अभि. सा. 4 द्वारा चलाई जा रही बाइक पर बैठाकर आहत व्यक्ति को घटनास्थल से मुख्य मार्ग पर ले जाया गया था जहां से एक स्कॉर्पियो वैन से उसे निकट स्थित अस्पताल

ले जाया गया था । जहां तक अभि. सा. 4 का संबंध है उसके द्वारा पुलिस के समक्ष लेखबद्ध कराए गए कथन और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए कथन में सारवान् विचलन विद्यमान हैं, जैसे कि अभि. सा. 4 ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि उसने घटना को देखा था । किन्तु उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पूर्ववर्ती घटनाओं को देखा गया था और उसने आहत व्यक्ति द्वारा अभियुक्त की शनाख्त ऐसे व्यक्ति के रूप में किए जाते हुए भी सुना था, जिसने आहत व्यक्ति की छाती में चाकू घोंपा था । इसके अतिरिक्त, यदि यह पाया भी जाता है कि अभि. सा. 4 ने घटना को घटित होते नहीं देखा था, फिर भी न्यायालय के अभिलेख पर अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य विद्यमान है, जो बिना कोई संदेह उत्पन्न करते हुए निश्चित रूप से अभियुक्त के दोष को साबित करता है ।

13. हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है । हमें घटना में प्रयुक्त हथियार के अभिग्रहण से संबंधित साक्ष्य पर विश्वास नहीं है । तथापि, अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य निश्चित रूप से अभियुक्त के इस दोष को साबित करता है कि उसने बलपूर्वक अपने भाई की छाती में चाकू घोंपा था और ऐसा उसने सोच-विचार कर इस बात पर क्रोधित होकर किया था कि उसके भाई ने उसे ताश के खेल में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया था । अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करता है । क्षति के ब्यौरों पर विचार करने के पश्चात् भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त क्षति को बलपूर्वक तथा सोच-विचार कर मृतक के शरीर में चाकू घोंपकर कारित किया गया था जिससे स्वयमेव यह प्रकट होता है कि अभियुक्त का आशय पीड़ित की मृत्यु कारित करना था । हमें मृतक या उसके साथियों में से किसी अन्य द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य भी प्रतीत नहीं होता है जिसके कारण अभियुक्त को गंभीर और अकस्मात् प्रकोपन हुआ हो । हमें यह भी प्रतीत नहीं होता है कि घटना बिना सोचे-विचारे अकस्मात् हुए झगड़े के कारण क्षणिक आवेश में कारित की गई थी ।

अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि झगड़े के पश्चात् अभियुक्त को उसके अपने निकट स्थित घर भेज दिया गया था । मृतक के घर आमोद-प्रमोद के लिए एकत्रित हुए पांचों व्यक्तियों ने अभियुक्त द्वारा उत्पन्न की गई बाधा और झगड़े के कारण मृतक घर से जाने का विनिश्चय किया । इस प्रकार जब वे मृतक के घर से जा रहे थे तो उस समय अभियुक्त ने पीड़ित का रास्ता रोका और उसकी छाती में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी । यद्यपि, एम ओ 1 के संबंध में यह स्थापित नहीं हो सका है कि वह घटना में प्रयुक्त हथियार है और उसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा मृतक को क्षति कारित करने के लिए किया गया था, तथापि, शव-परीक्षा करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा किया गया घाव का वर्णन स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित करता है कि घातक क्षति किसी चाकू जैसे हथियार से कारित की गई थी । स्पष्ट रूप से अभियुक्त ने पूर्ववर्ती घटना अर्थात् उसके भाई के घर में हुई कहा-सुनी के पश्चात् एक चाकू का उपापन किया था, जिससे पुनः, यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा किया गया कृत्य भली-भांति सोच-विचार कर किया गया था और उसके पश्चात् उसने जानते-बूझते हुए, पूर्व में हुई घटना का बदला लेने के लिए अपने भाई की हत्या करने के आशय से उसकी छाती में चाकू घोंपा था । हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत किसी अपवाद के फायदे का हकदार है । अभियुक्त का दोष बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के स्थापित होता है । हमें निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

इस प्रकार वर्तमान दांडिक अपील को खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

कृष्णा कालिंदी

बनाम

असम राज्य

[2019 की दांडिक अपील (जेल) सं. 19]

तारीख 22 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मीर अलफ़ाज अली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – अपीलार्थी पर हत्या का आरोप लगाया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति संबंधी अभिसाक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना – घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त ने उनके समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने दाव से काटकर अपनी पुत्री की हत्या की है – इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा इस प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि अभियुक्त अपनी पुत्री की हत्या करने के पश्चात् घटनास्थल से दूर जाकर धान के खेत में बैठ गया था, जहां से कुछ ग्रामीण व्यक्ति उसे पकड़कर वापस घटनास्थल पर लाए थे – पुलिस द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों की उपस्थिति में अपराध में प्रयुक्त दाव को अभिगृहीत किया जाना – चिकित्सा साक्ष्य से यह तथ्य सामने आना कि मृतका की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार करके क्षति कारित की गई थी – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति बिना किसी प्रलोभन, धमकी या वचन के प्रस्तुत की गई थी और वह पूर्णत: स्वैच्छिक और विश्वसनीय प्रतीत होती है, इसलिए अपराध की उक्त न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति, जिसकी पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षियों तथा चिकित्सा साक्ष्य के माध्यम से की गई है, के आधार पर की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि सर्वथा उचित है और उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है, अत: अपील खारिज की गई ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि इत्तिलाकर्ता मोनीराम तेरंग, गांवबुरहा (ग्राम प्रमुख) को तारीख 25 नवम्बर, 2014 को प्रात: 8.20 बजे यह जानकारी प्राप्त हुई कि कृष्णा कालिंदी (अभियुक्त/अपीलार्थी) ने अपनी एक वर्षीय पुत्री की, अपने घर के आंगन में 'दाव' से उसे काटकर उसकी हत्या कर दी है । उसने तुरंत फोन पर अंगजोपानी पुलिस थाने की पुलिस को इस घटना की सूचना दी और वह स्वयं घटनास्थल की ओर गया । घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् उसने यह पाया कि मृतका घर के आंगन में मृत पड़ी थी और उसकी गर्दन पर एक घोर उपहति विद्यमान थी । उसने यह भी पाया कि अपीलार्थी को कुछ ग्रामीण व्यक्तियों ने पकड़ कर वहीं बिठाया हुआ था । इत्तिलाकर्ता मोनीराम तेरंग को अपीलार्थी के घर पर एकत्रित हुए ग्रामीण व्यक्तियों से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने अपनी पुत्री की हत्या की है । तद्नुसार, उसने एक लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-2) को दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने अंगजोपानी पुलिस थाने के दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध मामला सं. 7/2014 को रजिस्टर किया और उक्त मामले में अन्वेषण समाप्त होने पर वर्तमान मामले के अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया, जिसने अंतत: एक सेशन न्यायालय के समक्ष हत्या के आरोप के लिए विचारण का सामना किया । विचारण के दौरान विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए, जिसके संबंध में उसने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए आठ साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें डाक्टर और अन्वेषण अधिकारी सम्मिलित थे । अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रक्रम समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई, जिसमें उसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया, तथापि, उसने अपनी प्रतिरक्षा में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध उपरोक्तानुसार दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से

व्यथित होकर अपीलार्थी ने इसे वर्तमान अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने तथा विभिन्न मामला विधियों का परिशीलन करने के पश्चात् अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मौखिक परिसाक्ष्य के परिशीलन से, उच्च न्यायालय को यह पता चलता है कि घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने मुख्यत: अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के समक्ष की गई न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति का अवलंब लिया है । अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने अबोध बालिका को काटकर उसकी मृत्यु कारित की थी और उसके पश्चात् वह धान के खेतों की ओर चला गया था । तद्नुसार, अभि. सा. 3 ने अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के साथ अभियुक्त को खेत में से पकड़ा और वे उसे लेकर वापस घटनास्थल पर आए । उसने यह भी कथन किया कि उसके द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए यह कथन किया था कि उसने अपनी पुत्री को काटा है । उसके अनुसार, पुलिस ने उसकी उपस्थिति में एक 'दाव' का भी अभिग्रहण किया था । इस साक्षी द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन और घटना के पश्चात् अभियुक्त के धान के खेत में पाए जाने और स्वयं उसके तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा पकड़कर उसे घटनास्थल पर लाए जाने संबंधी प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य को संपूर्ण विचारण के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई और वह अकाट्य बना रहा । अभि. सा. 5 ने भी यह कथन किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् उसने यह पाया कि अभियुक्त/ अपीलार्थी की एक वर्षीय पुत्री घर के आंगन में मृत पड़ी थी । उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने मृतका की गर्दन पर काटे जाने की क्षति को देखा था । अभि. सा. 5 के अनुसार अभियुक्त/ अपीलार्थी की पत्नी ने उसे यह जानकारी दी थी कि उसके पति कृष्णा

कालिंदी ने एक 'दाव' से काटकर उनकी एक वर्षीय पुत्री की हत्या की है । उसने यह भी कथन किया है कि तलाश किए जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उसके घर के निकट स्थित धान के एक खेत में बैठा था और तद्नुसार, वह अभि. सा. 3 और अन्य ग्रामीणों के साथ खेत में गया और उन्होंने यह पाया कि अभियुक्त वहां बैठा था और उसके पश्चात् वे उसे पकड़कर वापस उसके घर लेकर आए और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने एक 'दाव' से काटकर अपनी पुत्री की हत्या की थी । यद्यपि, अभि. सा. 5 की प्रतिपरीक्षा की गई थी, किन्तु उसके इस प्रभाव के परिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने उसके समक्ष मौखिक रूप से अपने अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन किया था और यह कि अभियुक्त को घटना के पश्चात् एक खेत में बैठा हुआ पाया गया था, को कोई भी चुनौती नहीं दी गई है । अतः, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दो साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष अपने अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की थी और इन दोनों साक्षियों द्वारा अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति से संबंधित परिसाक्ष्य संपूर्ण विचारण के दौरान अकाट्य बना रहा है । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5, दोनों ही स्वतंत्र साक्षी हैं और हमें अभिलेख पर नितांत रूप से ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है जिससे ऐसा कोई हेतुक सामने आ सके, जिसके कारण इन दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अभियुक्त को मिथ्या रूप से अपराध में फंसाने का प्रयास किया हो या उनके बीच किसी प्रकार की कोई शत्रुता विद्यमान हो । हमें अभिलेख पर ऐसी भी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे यह सुझाव प्राप्त होता हो कि अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के समक्ष की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी या उसे किसी प्रलोभन, धमकी या वचन के प्रभाव वर्ष प्रस्तुत किया गया था । अभिलेख पर इस प्रभाव का चिकित्सा साक्ष्य विद्यमान है कि मृतका को कारित की गई क्षति एक धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थी और

साथ ही इस प्रभाव का चाक्षुष साक्षियों का परिसाक्ष्य विद्यमान है कि मृतका की गर्दन पर काटे जाने की क्षति विद्यमान थी और साथ ही इससे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति कथन को भी समर्थन प्राप्त होता है कि उक्त क्षति 'दाव' से काटे जाने से कारित हुई थी । अतः, हमें अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन की सत्यता या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता है । यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि दोष को प्रभावी रूप से साबित करने के लिए किसी अपराध की स्वीकारोक्ति, चाहे वह न्यायिक हो अथवा न्यायिकेतर, को स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत किए जाने तथा अविश्वसनीय होने की दोहरी परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा । वर्तमान मामले में लेखबद्ध किया गया अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति संबंधी कथन अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता । किन्तु साथ ही, उच्च न्यायालय को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध करने के लिए उपबंधित प्रक्रियाओं को, अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अविधिपूर्ण दोषसिद्धि के विरुद्ध सुरोक्षोपाय के रूप में उपबंधित किया गया है और साथ ही उसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अपराध की स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और विश्वसनीय होनी चाहिए । यद्यपि, अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति को अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार विसंगतियां विद्यमान हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे पूर्ण रूप से परित्यक्त कर दिया जाना चाहिए । इसके बजाय अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति को अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जहां तक उसका संबंध मौखिक/न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की सत्यता और विश्वसनीयता से है । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य को उसकी संपूर्णता में विचार में लेने के पश्चात्, जैसा कि यहां ऊपर स्पष्ट किया गया है, हमें इस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करे कि वर्तमान मामले में

अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति ने सफलतापूर्वक दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, अर्थात् वर्तमान मामले में की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति अभियुक्त के दोष का प्रभावी सबूत है । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि उन्हें अभियुक्त के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा यह बताया गया था कि अभियुक्त अपराध कारित करने के पश्चात् धान के खेतों की ओर गया था और तद्नुसार अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के साथ धान के खेतों की ओर गए और उन्होंने वहां अभियुक्त को बैठे हुए देखा । अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव का चिकित्सीय साक्ष्य कि मृतका की गर्दन पर पाई गई क्षति किसी धारदार वस्तु द्वारा कारित की गई है, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के सामंजस्य में है जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया था कि उसने एक 'दाव' जो एक धारदार काटने वाला हथियार है, द्वारा अपनी पुत्री को क्षति कारित की थी । अभि. सा. 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना की तारीख से पूर्ववर्ती शाम को अभियुक्त में माता 'काली' की आत्मा आ गई थी और उसने उसे 'दाव' से काटने का प्रयास किया था और डर के कारण वह घर से भाग गई थी । उसने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि घटना के लगभग 2 घंटे पश्चात् जब वह घर वापस आई तो उसने मृतका के शव को देखा । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब अभि. सा. 8 घर में मौजूद नहीं थी और अभियुक्त जो मृतका का पिता है और वह उस समयांतराल में अबोध बालिका के साथ घर में मौजूद था, यह स्पष्ट करने के लिए आबद्धकर है कि घर में उसकी एक वर्षीय बालिका की हत्या किस प्रकार हुई । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव का मौखिक साक्ष्य कि घटना के पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से दूर चला गया था और वह एक धान के खेत में बैठा था और वहां से उसे पकड़कर घर वापस लाया गया था, से अभियुक्त का आचार उपदर्शित होता है जो कि स्पष्ट रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक सुसंगत परिस्थितिजन्य साक्ष्य है । इस प्रकार, ये सभी परिस्थितियां, अभियुक्त का इस प्रकार

का आचार कि वह अपराध करने के पश्चात् घर से दूर चला गया था और वह एक धान के खेत में बैठा था जहां से ग्रामीण व्यक्ति उसे पकड़कर घर वापस लाए, बालिका को कारित की गई क्षति की प्रकृति तथा क्षति कारित करने के लिए प्रयुक्त हथियार और साथ ही अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन का समर्थन करने वाला इस प्रभाव का चिकित्सा साक्ष्य कि बालिका को क्षति एक धारदार हथियार ('दाव') द्वारा कारित की गई थी, अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव का मौखिक परिसाक्ष्य कि पूर्ववर्ती शाम को अभियुक्त ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था क्योंकि वह 'काली' माता के प्रभाव में था और साथ ही अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह मृतक बालिका के साथ मौजूद था, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया जाना कि उसकी एक वर्षीय पुत्री की हत्या किस प्रकार हुई और साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध इस प्रभाव का साक्ष्य कि बालिका की माता (अभि. सा. 8) घर से चली गई थी और वह घटना के लगभग 2 घंटे पश्चात् घर वापस आई थी, उच्च न्यायालय की सुविचारित राय में पूर्णरूपेण अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति का समर्थन करता है, जो कि सत्य और स्वैच्छिक पाई गई है । इस प्रकार की परिस्थिति में उच्च न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार सबल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अभिपुष्ट अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के पश्चात् इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी ने ही अपने एक वर्षीय पुत्री की हत्या की है । अत:, उच्च न्यायालय विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष कि अभियुक्त दोषी है और उस आक्षेपित निर्णय, जिसके माध्यम से अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया गया, में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की भी पुष्टि की । परिणामत:, अपील खारिज की जाती है । (पैरा 17, 18, 19, 20, 21 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 12 एस. सी. सी. 699 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2802 :
कुमार बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 24

[2012] (2012) 6 एस. सी. सी. 403 =
ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2435 :
सहदेवन बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 22

[2011] (2011) 5 एस. सी. सी. 258 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 177 :
कुलिन्दर सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 23

[2010] (2010) 10 एस. सी. सी. 604 =
2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 372 :
संसार चंद बनाम **राजस्थान राज्य** ; 25

[1970] ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1248 :
शंकरिया बनाम **राजस्थान राज्य** । 19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील (जेल) सं. 19.

वर्तमान दांडिक अपील अपीलार्थी द्वारा सेशन मामला सं. 47/2015 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, करबी अंगलोंग, धिपु द्वारा तारीख 14 नवम्बर, 2018 को पारित निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री बिजिता शर्मा, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम. फुकन, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मीर अलफ़ाज अली ने दिया ।

न्या. अली – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् न्यायमित्र सुश्री बिजिता शर्मा और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित

होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एम. फुकन की दलीलों को सुना ।

2. वर्तमान दांडिक अपील अपीलार्थी द्वारा सेशन मामला सं. 47/2015 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, करबी अंगलोंग, धिपु द्वारा तारीख 14 नवंबर, 2018 को पारित उस निर्णय तथा आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा मामले के एकमात्र अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था और उस पर आजीवन कठोर कारावास भोगने का दंडादेश अधिरोपित किया गया था और साथ ही उस पर व्यतिक्रम खंड के साथ 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था ।

3. वर्तमान मामले में मृतका एक वर्ष की आयु की अबोध बालिका है, जिसकी उसके अपने पिता द्वारा जघन्य हत्या की गई है । विचारण न्यायालय के अभिलेख से अभियोजन का यह पक्षकथन सामने आता है कि इत्तिलाकर्ता मोनीराम तेरंग, गांवबुरहा (ग्राम प्रमुख) को तारीख 25 नवंबर, 2014 को प्रात: 8.20 बजे यह जानकारी प्राप्त हुई कि कृष्णा कालिंदी (अभियुक्त/अपीलार्थी) ने अपनी एक वर्षीय पुत्री की, अपने घर के आंगन में 'दाव' से उसे काटकर उसकी हत्या कर दी है । उसने तुरंत फोन पर अंगजोपानी पुलिस थाने की पुलिस को इस घटना की सूचना दी और वह स्वयं घटनास्थल की ओर गया । घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् उसने यह पाया कि मृतका घर के आंगन में मृत पड़ी थी और उसकी गर्दन पर एक घोर उपहति विद्यमान थी । उसने यह भी पाया कि अपीलार्थी को कुछ ग्रामीण व्यक्तियों ने पकड़ कर वहीं बिठाया हुआ था । इत्तिलाकर्ता मोनीराम तेरंग को अपीलार्थी के घर पर एकत्रित हुए ग्रामीण व्यक्तियों से यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने अपनी पुत्री की हत्या की है । तद्नुसार, उसने एक लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-2) को दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने अंगजोपानी पुलिस थाने के दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध मामला सं. 7/2014 को

रजिस्टर किया और उक्त मामले में अन्वेषण समाप्त होने पर वर्तमान मामले के अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया, जिसने अंतत: एक सेशन न्यायालय के समक्ष हत्या के आरोप के लिए विचारण का सामना किया ।

4. विचारण के दौरान विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए, जिसके संबंध में उसने अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए आठ साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें डाक्टर और अन्वेषण अधिकारी सम्मिलित थे । अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रक्रम समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई, जिसमें उसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया, तथापि, उसने अपनी प्रतिरक्षा में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया ।

5. बाबुल सेकिया नामक एक सह-ग्रामीण की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई है । उक्त साक्षी द्वारा यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि एक दिन प्रात: उसने यह चिल्लाने की आवाज सुनी कि अभियुक्त ने अपनी एक वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी है, इस प्रकार की आवाज सुनने के पश्चात् वह अभियुक्त के घर पहुंचा और वहां उसने यह देखा कि मृतका/बालिका आंगन में पड़ी थी और उसके शरीर पर क्षतियां विद्यमान थीं । उसने यह भी कथन किया कि उस समय अभियुक्त अपने घर में ही मौजूद था और उसे रस्सियों से बांधकर रखा गया था । इसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि पुलिस ने उसकी उपस्थिति में अभिग्रहण सूची (प्रदर्श-1) के माध्यम से एक 'दाव' को अभिगृहीत किया ।

6. इत्तिलाकर्ता मोनीराम तेरंग (अभि. सा. 2) के अनुसार ग्रामीण व्यक्तियों ने उसे फोन द्वारा यह जानकारी दी थी कि अभियुक्त ने अपनी एक वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी है । यह जानकारी प्राप्त होने के

पश्चात् वह अभियुक्त के घर अर्थात् घटनास्थल पर गया और वहां उसने यह देखा कि मृतका का शव घर के आंगन में पड़ा था । उसने यह भी देखा कि अभियुक्त को उसके अपने ही घर में रस्सियों से बांधकर रखा गया था । उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस उक्त सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल से, उसकी उपस्थिति में अभिग्रहण सूची (प्रदर्श-1) के माध्यम से एक 'दाव' को अभिगृहीत किया । उसने उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-2) को भी साबित किया ।

7. गणेश भूमिज, जो एक सह-ग्रामीण है, की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई है । उसके अनुसार, अभियुक्त की पत्नी द्वारा की गई चीख-पुकार को सुनकर वह अन्य ग्रामीणों के साथ अभियुक्त के घर पहुंचा और वहां उसने यह देखा कि मृतका का शव आंगन में पड़ा था और उसकी गर्दन पर काटे जाने की क्षतियां विद्यमान थीं । उसने उसके पश्चात् यह कथन किया कि अभियुक्त की पत्नी और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों ने यह जानकारी दी कि अभियुक्त ने बालिका को काट दिया था । उन्होंने यह भी कथन किया कि बालिका को काटने के पश्चात् अभियुक्त धान की खेत की ओर गया था । उसके पश्चात् ग्रामीणों ने अभियुक्त को 'दाव' के साथ पकड़ लिया और वे उसे वापस उसके घर ले आए । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि पूछे जाने पर अभियुक्त ने यह बताया था कि उसने अपनी पुत्री को काटा था किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने अपनी पुत्री को क्यों मारा था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसकी उपस्थिति में अभिग्रहण सूची (प्रदर्श-1) के माध्यम से एक 'दाव' को अभिगृहीत किया ।

8. दुर्गा मरदी (अभि. सा. 5) द्वारा यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के घर से कोलाहल की आवाजें सुनकर वह अभियुक्त के घर गया और वहां उसने यह देखा कि अभियुक्त की एक वर्षीय पुत्री मृत अवस्था में घर के आंगन में पड़ी थी । उसके अनुसार,

घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् उसे अभियुक्त की पत्नी (अभि. सा. 8) ने यह बताया था कि उसके पति ने 'दाव' से काटकर उनकी एक वर्षीय पुत्री की हत्या कर दी थी । जब उन्होंने अभियुक्त को तलाश करना आरंभ किया तो उसे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त एक जुताई वाले खेत में बैठा था । अभि. सा. 5 के अनुसार, वह और गणेश भूमिज (अभि. सा. 3) खेत में गए और अभियुक्त को पकड़कर उसके घर ले आए और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने अपनी पुत्री की 'दाव' से काटकर हत्या की है । प्रतिपरीक्षा के दौरान, यह तथ्य सामने आया कि उसका घर घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित था ।

9. डा. लतिबुर रहमान (अभि. सा. 4), जिसने मृतका की शव-परीक्षा की थी, के अनुसार उसने मृतका के शव पर 'गर्दन की बाईं ओर काटे जाने की गहरी क्षति' पाई थी जो आकार में 4 × 4 सें. मी. थी । डाक्टर के अनुसार, बालिका की मृत्यु 'उसे कारित की गई क्षतियों के परिणामस्वरूप लगे आघात और रक्तस्राव' के कारण हुई थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान डाक्टर से यह तथ्य सामने आया कि क्षति किसी तेज धारदार वस्तु से कारित की गई थी ।

10. अभियुक्त की पत्नी और मृतका की माता ने अभि. सा. 8 के रूप में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया है । उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना से एक दिन पूर्व सायं 4.00 बजे अभियुक्त पर 'काली' माता की आत्मा सवार हो गई थी और उसने उस समय अभि. सा. 8 को 'दाव' से काटने की चेष्टा की थी । वह डर गई थी और वह घर से भाग गई थी । उसे काटने में असफल रहने पर अभियुक्त ने बालिका की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात् उसने क्षति से निकलने वाले रक्त का पान किया था । घटना के दो घंटे पश्चात् वह घर वापस आई तो उसने मृतका के शव को देखा । उसने यह भी कथन किया है कि करवी समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने,

जिन्होंने इस घटना को देखा था । उसे यह बताया कि अभियुक्त ने मृतका की गर्दन को काटा था । अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य, जिसे विचारण के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई थी, से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभि. सा. 8 घटना के दिन घर से भाग गई थी और वह घटना से लगभग 2 घंटे पश्चात् वापस आई थी । अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत यह अभिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था और उससे डरकर वह घर से भाग गई थी और उसके पश्चात् अभियुक्त ने बालिका की हत्या की थी, संपूर्ण विचारण के दौरान अकाट्य बना रहा है, यहां तक कि प्रतिपरीक्षा के दौरान भी इस तथ्य की पुष्टि हुई थी कि अभियुक्त ने अभि. सा. 8 की हत्या कराने का प्रयास किया था । तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को बालिका की हत्या करते हुए नहीं देखा था ।

11. अभि. सा. 6 वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी था, जिसने न्यायालय के समक्ष यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-2) प्राप्त होने पर उसने मामले को रजिस्टर किया और उसका अन्वेषण स्वयं उसके द्वारा किया गया । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि मामले को रजिस्टर करने के पश्चात्, उसने घटनास्थल का दौरा किया और इस दौरान उसने यह पाया कि अभियुक्त को जनता द्वारा घटनास्थल पर रस्सी से बांधकर रखा गया था । उसने यह भी कथन किया कि उसने साक्षियों की उपस्थिति में अभियुक्त द्वारा दिखाए गए 'दाव' को भी अभिगृहीत किया । अभि. सा. 6 ने इसके पश्चात् यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसके समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने अपनी एक वर्षीय पुत्री की हत्या की है और इसलिए उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह अनुरोध प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन को लेखबद्ध किया जाए और तदुपरांत विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध किया । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया

कि अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् तथा सभी दस्तावेजों, जिसके अंतर्गत शव-परीक्षा रिपोर्ट भी है, को एकत्रित करने के पश्चात् उसने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

12. अभि. सा. 7 वह मजिस्ट्रेट है, जिसने अभियुक्त की अपराध संबंधी स्वीकारोक्ति के कथन को लेखबद्ध किया था । अभि. सा. 7 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि तारीख 26 नवम्बर, 2014 को, अपर उपायुक्त ने अपने आदेश, जिसे प्रदर्श-7 के रूप में साबित किया गया है, के माध्यम से उसे अभियुक्त कृष्णा कालिंदी के अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन को लेखबद्ध करने के लिए कहा था । अभि. सा. 7 ने यह भी कथन किया है कि अभिलेख के साथ अभियुक्त को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत उसने अभियुक्त को यह स्पष्टीकरण दिया था कि वह अपराध की स्वीकारोक्ति करने के लिए आबद्धकर नहीं है और यह भी कि यदि वह अपने अपराध के संबंध में कोई स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करता है तो उसे उसके विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य स्वरूप उपयोग में लाया जा सकता है । उसने यह भी कथन किया है कि उसके पश्चात् अभियुक्त को सोच-विचार हेतु एक घंटे का समय दिया गया था । एक घंटे के सोच-विचार के पश्चात् जब अभियुक्त को पुन: उसके समक्ष लाया गया तो अभियुक्त ने अपराध की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करने के संबंध में अपनी इच्छा अभिव्यक्त की । अभियुक्त द्वारा इस प्रकार वांछा अभिव्यक्त किए जाने पर अभि. सा. 7 ने पुन: उसे उसके द्वारा की जाने वाली अपराध की स्वीकारोक्ति के परिणामों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि अभियुक्त स्वैच्छिक रूप से अपराध की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करने के लिए तैयार था, उसने अभियुक्त की अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध किया, जिसे प्रदर्श-10 के रूप में साबित किया गया है । उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट को यह सुझाव दिया गया था कि अभियुक्त को वह भाषा समझ में नहीं आती, जिस भाषा में स्वीकारोक्ति संबंधी कथन के संबंध में उसे स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया था । इसके उत्तर में अभि. सा. 7 ने इस बात से इनकार किया ।

13. उपरोक्त साक्ष्य को विचार में लेते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्धदोष ठहराया और उसके विरुद्ध ऊपर इंगित किए गए अनुसार दंडादेश पारित किया गया ।

14. आक्षेपित निर्णय पर हमला करते हुए विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई कि घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि को एकमात्र रूप से न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति पर आधारित किया गया है । न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति एक दुर्बल साक्ष्य है और केवल न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के एकमात्र आधार पर दोषसिद्धि को तब तक लेखबद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से अपराध की पुष्टि न की गई हो और इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

15. आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एम. फुकन ने यह दलील प्रस्तुत की है कि यद्यपि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्यायिक स्वीकारोक्ति को परित्यक्त कर दिया था, फिर भी न्यायिक स्वीकारोक्ति को परित्यक्त करने के लिए कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया गया था, यहां तक कि अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध करने वाले मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 7) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया था कि उसने अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपराध की स्वीकारोक्ति प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अपना समाधान होने के पश्चात् ही स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध किया था और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह दर्शित करने के लिए कि अपराध की स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी, मजिस्ट्रेट की किसी प्रकार की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी । श्री एम. फुकन ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि न्यायिक स्वीकारोक्ति के अलावा दो साक्षियों द्वारा प्रस्तुत ऐसा परिसाक्ष्य भी अभिलेख पर विद्यमान है जिसे चुनौती नहीं दी गई है जहां तक न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य

का संबंध है, उनके आधार पर पर्याप्त रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को साबित किया गया है ।

16. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और साथ ही हमने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्रियों की अत्यंत सावधानीपूर्वक संवीक्षा की है ।

17. मौखिक परिसाक्ष्य के परिशीलन से, हमें यह पता चलता है कि घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने मुख्यत: अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के समक्ष की गई न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति का अवलंब लिया है । अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने अबोध बालिका को काटकर उसकी मृत्यु कारित की थी और उसके पश्चात् वह धान के खेतों की ओर चला गया था । तद्नुसार, अभि. सा. 3 ने अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के साथ अभियुक्त को खेत में से पकड़ा और वे उसे लेकर वापस घटनास्थल पर आए । उसने यह भी कथन किया कि उसके द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए यह कथन किया था कि उसने अपनी पुत्री को काटा है । उसके अनुसार, पुलिस ने उसकी उपस्थिति में एक 'दाव' का भी अभिग्रहण किया था । इस साक्षी द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन और घटना के पश्चात् अभियुक्त के धान के खेत में पाए जाने और स्वयं उसके तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा पकड़कर उसे घटनास्थल पर लाए जाने संबंधी प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य को संपूर्ण विचारण के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई और वह अकाट्य बना रहा ।

18. अभि. सा. 5 ने भी यह कथन किया है कि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् उसने यह पाया कि अभियुक्त/अपीलार्थी की एक वर्षीय पुत्री घर के आंगन में मृत पड़ी थी । उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने मृतका की गर्दन पर काटे जाने की क्षति को देखा था ।

अभि. सा. 5 के अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी की पत्नी ने उसे यह जानकारी दी थी कि उसके पति कृष्णा कालिंदी ने एक 'दाव' से काटकर उनकी एक वर्षीय पुत्री की हत्या की है । उसने यह भी कथन किया है कि तलाश किए जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उसके घर के निकट स्थित धान के एक खेत में बैठा था और तद्नुसार, वह अभि. सा. 3 और अन्य ग्रामीणों के साथ खेत में गया और उन्होंने यह पाया कि अभियुक्त वहां बैठा था और उसके पश्चात् वे उसे पकड़कर वापस उसके घर लेकर आए और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने एक 'दाव' से काटकर अपनी पुत्री की हत्या की थी । यद्यपि, अभि. सा. 5 की प्रतिपरीक्षा की गई थी, किन्तु उसके इस प्रभाव के परिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने उसके समक्ष मौखिक रूप से अपने अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन किया था और यह कि अभियुक्त को घटना के पश्चात् एक खेत में बैठा हुआ पाया गया था, को कोई भी चुनौती नहीं दी गई है ।

19. अतः, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दो साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष अपने अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की थी और इन दोनों साक्षियों द्वारा अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति से संबंधित परिसाक्ष्य संपूर्ण विचारण के दौरान अकाट्य बना रहा है । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5, दोनों ही स्वतंत्र साक्षी हैं और हमें अभिलेख पर नितांत रूप से ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है जिससे ऐसा कोई हेतुक सामने आ सके, जिसके कारण इन दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने अभियुक्त को मिथ्या रूप से अपराध में फंसाने का प्रयास किया हो या उनके बीच किसी प्रकार की कोई शत्रुता विद्यमान हो । हमें अभिलेख पर ऐसी भी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे यह सुझाव प्राप्त होता हो कि अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के समक्ष की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं थी या उसे किसी प्रलोभन, धमकी या वचन के प्रभाववश प्रस्तुत किया गया था । अभिलेख पर इस

प्रभाव का चिकित्सा साक्ष्य विद्यमान है कि मृतका को कारित की गई क्षति एक धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थी और साथ ही इस प्रभाव का चाक्षुष साक्षियों का परिसाक्ष्य विद्यमान है कि मृतका की गर्दन पर काटे जाने की क्षति विद्यमान थी और साथ ही इससे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति कथन को भी समर्थन प्राप्त होता है कि उक्त क्षति 'दाव' से काटे जाने से कारित हुई थी । अतः, हमें अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन की सत्यता या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता है । यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि दोष को प्रभावी रूप से साबित करने के लिए किसी अपराध की स्वीकारोक्ति, चाहे वह न्यायिक हो अथवा न्यायिकेतर, को स्वैच्छिक रूप से प्रस्तुत किए जाने तथा अविश्वसनीय होने की दोहरी परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा । **शंकरिया** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध की गई अपराध की स्वीकारोक्ति के कथन पर दोषसिद्धि को आधारित करने के लिए किसी न्यायालय को दोहरी परीक्षा लागू करनी होगी, अर्थात् (i) क्या अपराध की स्वीकारोक्ति पूर्णरूपेण स्वैच्छिक थी और (ii) यदि, हां तो क्या वह सत्य और विश्वसनीय है ।

20. वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराध की स्वीकारोक्ति कथन को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया गया था, जिसे प्रदर्श-10 के रूप में साबित किया गया है । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय इस कारण से उक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा था कि अभियुक्त को सोच-विचार हेतु पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया था और अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था । प्रदर्श-10 के रूप में साबित अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति के परिशीलन पर हमने यह पाया कि विद्वान्

---

[1] ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1248.

मजिस्ट्रेट ने अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध किए जाने के समय अभियुक्त/अपीलार्थी को सोच-विचार हेतु केवल एक घंटे का समय दिया था । विचारण न्यायालय के अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि अभियुक्त को अपराध की स्वीकारोक्ति अभिलिखित/प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वह लगभग 10 घंटे तक पुलिस की अभिरक्षा में था । यद्यपि, विधि में सोच-विचार हेतु समय की विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में कोई अनमनीय नियम या कानूनी अपेक्षा उपबंधित नहीं की गई है, फिर भी इस संबंध में स्थापित सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को युक्तियुक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने मस्तिष्क को पुलिस के प्रभाव या किसी अन्य बाहरी प्रभाव से मुक्त कर सके और इस प्रकार सोच-विचार हेतु समय दिए जाने का अंततोगत्वा अभिप्राय यह है कि अभियुक्त को शांतिपूर्वक इस विषय पर विचार करने का अवसर प्रदान किया जा सके कि क्या उसे अपराध की स्वीकारोक्ति करनी चाहिए अथवा नहीं । अतः, अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन को लेखबद्ध करने से पूर्व अभियुक्त को मामले पर सोच-विचार करने हेतु युक्तियुक्त समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे वह अपने मस्तिष्क को किसी भी बाह्य प्रभाव से मुक्त कर सके । जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि अभियुक्त लगभग 10 घंटे तक पुलिस अभिरक्षा में था, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा सोच-विचार हेतु अभियुक्त को दिया गया एक घंटे का समय हमारे सुविचारित मत में पर्याप्त और युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त, विद्वान् विचारण न्यायालय ने सही रूप से यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त के समक्ष कुछ महत्वूपूर्ण प्रश्नों को नहीं रखा गया था और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने भी इस संबंध में कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया है, जिसमें उन्होंने अपने इस समाधान को अभिलिखित किया हो कि अपराध की स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी और अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (4) द्वारा आज्ञापक बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार पर्याप्त रूप से अपराध की स्वीकारोक्ति के परिणामों के संबंध में सावधान किया गया था । अतः, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164

की उपधारा (4) के आज्ञापक उपबंधों का उल्लंघन किया गया है । इन सभी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् विचारण न्यायालय वर्तमान मामले में साबित किए गए अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति संबंधी कथन के आधार पर कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा था और इसलिए उसे विचारार्थ नहीं लिया गया था । हमारा भी यही मत है कि वर्तमान मामले में लेखबद्ध किया गया अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति संबंधी कथन अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता । किन्तु साथ ही, हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपराध की स्वीकारोक्ति को लेखबद्ध करने के लिए उपबंधित प्रक्रियाओं को, अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अविधिपूर्ण दोषसिद्धि के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में उपबंधित किया गया है और साथ ही उसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अपराध की स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और विश्वसनीय होनी चाहिए । यद्यपि, अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति को अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार विसंगतियां विद्यमान हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसे पूर्ण रूप से परित्यक्त कर दिया जाना चाहिए । इसके बजाय अपराध की न्यायिक स्वीकारोक्ति को अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जहां तक उसका संबंध मौखिक/न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की सत्यता और विश्वसनीयता से है ।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य को उसकी संपूर्णता में विचार में लेने के पश्चात्, जैसा कि यहां ऊपर स्पष्ट किया गया है, हमें इस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम यह अभिनिर्धारित करें कि वर्तमान मामले में अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति ने सफलतापूर्वक दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, अर्थात् वर्तमान मामले में की गई अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति अभियुक्त के दोष का प्रभावी सबूत है ।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतत् रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि, न्यायिकेतर अपराध की

स्वीकारोक्ति स्वयं में एक दुर्बल साक्ष्य है, किन्तु यदि उसकी अभिपुष्टि अन्य साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से होती है तो उसे दोष का एक प्रभावी सबूत मानते हुए उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सहदेवन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में किसी न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति की, दोषसिद्धि का आधार बनने के सामर्थ्य की स्वीकार्यता को शासित करने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से संक्षिप्तत: वर्णित किया है :–

> "(i) अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति स्वयं में एक दुर्बल साक्ष्य है । इसलिए इसकी परीक्षा न्यायालय द्वारा अत्यंत सावधानी तथा ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए ;
>
> (ii) इसे स्वैच्छिक होना चाहिए और साथ ही उसमें सत्यता होनी चाहिए ;
>
> (iii) उसे विश्वसनीय प्रतीत होना चाहिए ;
>
> (iv) किसी न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति को उस समय बेहतर विश्वसनीयता तथा साक्ष्य संबंधी मूल्य प्राप्त होता है, यदि वह अकाट्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला द्वारा समर्थित हो और उसका मूल्य उस समय और अधिक बढ़ जाता है यदि उसकी अभिपुष्टि अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा हो जाती है ;
>
> (v) किसी न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति को दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए अनिवार्य है कि उसमें कोई सारवान् विसंगतियां और अंतर्निहित असंभावनाएं नहीं होनी चाहिए ; और
>
> (vi) ऐसे कथन को अनिवार्य रूप से किसी अन्य तथ्य द्वारा तथा विधि के अनुसार साबित किया जाना चाहिए ।"

23. **कुलिन्दर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि किसी स्वतंत्र साक्षी के

---

[1] (2012) 6 एस. सी. सी. 403 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2435.

[2] (2011) 5 एस. सी. सी. 258 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 177.

समक्ष अपराध के संबंध में की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के संबंध में यदि ऐसे साक्षी को अभियुक्त के प्रति द्वेषपूर्ण या भेदभाव करने वाले व्यक्ति के रूप में साबित नहीं किया जाता है और इस संबंध में उसके किसी हेतुक को दर्शित नहीं किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ।

24. **कुमार** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अभियुक्त द्वारा किसी पैरामीटर के भीतर अपने अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की जाती है और ऐसी स्वीकारोक्ति तर्कसंगत और विश्वसनीयता की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेती है तो ऐसे स्वीकारोक्ति संबंधी कथन को अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है ।

25. **संसार चंद** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी स्वैच्छिक न्यायिकेतर अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर की गई दोषसिद्धि को उस समय कायम रखा जा सकता है यदि उसकी अभिपुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री द्वारा हो जाती है और उक्त स्वीकारोक्ति किसी धमकी, प्रलोभन और वचन के अधीन प्रस्तुत नहीं की गई है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 के अधीन अनुध्यात किया गया है ।

26. अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि उन्हें अभियुक्त के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा यह बताया गया था कि अभियुक्त अपराध कारित करने के पश्चात् धान के खेतों की ओर गया था और तद्नुसार अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के साथ धान के खेतों की ओर गए और उन्होंने वहां अभियुक्त को बैठे हुए देखा । अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव का चिकित्सीय साक्ष्य कि मृतका की गर्दन पर पाई गई क्षति किसी धारदार

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 699 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2802.

[2] (2010) 10 एस. सी. सी. 604 = 2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 372.

वस्तु द्वारा कारित की गई है, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के सामंजस्य में है जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया था कि उसने एक 'दाव' जो एक धारदार काटने वाला हथियार है, द्वारा अपनी पुत्री को क्षति कारित की थी । अभि. सा. 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना की तारीख से पूर्ववर्ती शाम को अभियुक्त में माता 'काली' की आत्मा आ गई थी और उसने उसे 'दाव' से काटने का प्रयास किया था और डर के कारण वह घर से भाग गई थी । उसने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि घटना के लगभग 2 घंटे पश्चात् जब वह घर वापस आई तो उसने मृतका के शव को देखा । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब अभि. सा. 8 घर में मौजूद नहीं थी और अभियुक्त जो मृतका का पिता है और वह उस समयांतराल में अबोध बालिका के साथ घर में मौजूद था, यह स्पष्ट करने के लिए आबद्धकर है कि घर में उसकी एक वर्षीय बालिका की हत्या किस प्रकार हुई । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव का मौखिक साक्ष्य कि घटना के पश्चात् अभियुक्त घटनास्थल से दूर चला गया था और वह एक धान के खेत में बैठा था और वहां से उसे पकड़कर घर वापस लाया गया था, से अभियुक्त का आचार उपदर्शित होता है जो कि स्पष्ट रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक सुसंगत परिस्थितिजन्य साक्ष्य है । इस प्रकार, ये सभी परिस्थितियां, अभियुक्त का इस प्रकार का आचार कि वह अपराध करने के पश्चात् घर से दूर चला गया था और वह एक धान के खेत में बैठा था जहां से ग्रामीण व्यक्ति उसे पकड़कर घर वापस लाए, बालिका को कारित की गई क्षति की प्रकृति तथा क्षति कारित करने के लिए प्रयुक्त हथियार और साथ ही अपराध की स्वीकारोक्ति संबंधी कथन का समर्थन करने वाला इस प्रभाव का चिकित्सा साक्ष्य कि बालिका को क्षति एक धारदार हथियार ('दाव') द्वारा कारित की गई थी, अभि. सा. 8 द्वारा प्रस्तुत इस प्रभाव का मौखिक परिसाक्ष्य कि पूर्ववर्ती शाम को अभियुक्त ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया था क्योंकि वह 'काली' माता के प्रभाव में था और साथ ही अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह मृतक बालिका के साथ मौजूद था, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया जाना कि उसकी एक वर्षीय पुत्री की हत्या

किस प्रकार हुई और साथ ही अभिलेख पर उपलबध इस प्रभाव का साक्ष्य कि बालिका की माता (अभि. सा. 8) घर से चली गई थी और वह घटना के लगभग 2 घंटे पश्चात् घर वापस आई थी, हमारी सुविचारित राय में पूर्णरूपेण अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति का समर्थन करता है, जो कि सत्य और स्वैच्छिक पाई गई है । इस प्रकार की परिस्थिति में हमारी यह सुविचारित राय है कि ऊपर उपदर्शित किए गए अनुसार सबल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अभिपुष्ट अपराध की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के पश्चात् इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलार्थी ने ही अपनी एक वर्षीय पुत्री की हत्या की है । अतः, हमें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष कि अभियुक्त दोषी है और उस आक्षेपित निर्णय, जिसके माध्यम से अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया गया, में हस्तक्षेप करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार, हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हैं और अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंडादेश की भी पुष्टि करते हैं ।

परिणामतः, अपील खारिज की जाती है ।

27. निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेजा जाए ।

28. अभिलेख को वापस भेजने से पूर्व, हम विद्वान् न्यायमित्र सुश्री बिजीता शर्मा द्वारा की गई सहायता की सराहना करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उन्हें उनकी वृत्तिक फीस के रूप में 7,500/- रुपए की राशि का संदाय किया जाए । इस निर्णय की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, गुवाहाटी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, गुवाहाटी विद्वान् न्यायमित्र सुश्री बिजीता शर्मा को उक्त फीस का संदाय करेगी ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

एक्स

बनाम

असम राज्य और अन्य

[2021 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 2966]

तारीख 28 मई, 2021

न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 156 – दांडिक मामलों में अन्वेषण की प्रक्रिया - आई.आई.टी., गुवाहाटी जैसे एक प्रमुख और ख्यातिप्राप्त संस्थान के परिसर में एक छात्रा पर लैंगिक हमला किया जाना तथा पीड़ित लड़की का बेहोशी की हालत में देर रात्रि परिसर में पाया जाना – उक्त लैंगिक हमले के संबंध में संस्थान द्वारा अपनी विभिन्न घरेलू समितियों के माध्यम से जांच-पड़ताल किया जाना – पीड़ित छात्रा द्वारा उक्त लैंगिक हमले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराया जाना और साथ ही संस्थान द्वारा अपनी घरेलू जांच-पड़ताल के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराया जाना – उक्त जांच-पड़ताल में कतिपय छात्रों का नाम सामने आना – उक्त छात्रों की गिरफ्तारी के पश्चात् उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना तथा उक्त जमानत आवेदनों के संबंध में पुलिस द्वारा युक्तियुक्त विरोध प्रस्तुत न किया जाना – याची-पीड़िता द्वारा अन्वेषण अधिकारी द्वारा संचालित किए जा रहे अन्वेषण से संतुष्ट न होना – अन्वेषण से असंतुष्ट होकर याची-पीड़िता द्वारा वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया जाना – उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् असम पुलिस को यह निदेश दिया कि वह उक्त मामले का सुचारु अन्वेषण करने हेतु एक अनन्य अन्वेषण दल का गठन करे और उक्त दल आई.आई.टी., गुवाहाटी की जांच समितियों द्वारा की गई जांच-पड़ताल के सभी पहलुओं के संबंध में जांच करेगा तथा इसके अतिरिक्त, इस मामले की

व्यापक और दक्ष रीति में जांच/अन्वेषण 3 मास की अवधि में पूरा किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय तब तक इस मामले के अन्वेषण की आवधिक मॉनिटरी करेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र फाइल नहीं कर दिया जाता ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आई.आई.टी., गुवाहाटी की एक छात्रा, अर्थात् याची ने विनिर्दिष्ट रूप से यह आरोप लगाया है कि तारीख 28 मार्च, 2021 की रात्रि को उसके कतिपय सहपाठियों, जो आई.आई.टी., गुवाहाटी में अध्ययन कर रहे हैं ने उस पर लैंगिक हमला किया । इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याची को बेहोशी की हालत में तारीख 29 मार्च, 2021 को सुबह-सुबह गुवाहाटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (जी.एम.सी.एच.) ले जाया गया था । जी.एम.सी.एच. में याची की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर ने समीप स्थित भांगागढ़ पुलिस थाने को यह सूचित किया था कि तारीख 29 मार्च, 2021 को रात्रि 1.05 बजे याची को आपातकालीन वार्ड में लाया गया था और उस समय उसे किसी अज्ञात पदार्थ के कारण अपच की शिकायत थी और साथ ही उस पर लैंगिक हमला भी किया गया था । उक्त रिपोर्ट भांगागढ़ पुलिस थाने द्वारा उसी दिन सुबह-सुबह अमीनगांव पुलिस थाने की बाहरी चौकी को अग्रेषित की गई थी क्योंकि घटना उसकी अधिकारिता के भीतर घटित हुई थी और उक्त सूचना के आधार पर तारीख 30 मार्च, 2021 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो अमीनगांव पुलिस थाने के मामला सं. 53/2021 के रूप में है । इसके पश्चात्, तारीख 2 अप्रैल, 2021 को सायं 7.00 बजे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, आई.आई.टी., गुवाहाटी द्वारा अमीनगांव पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक अन्य पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह कथन किया गया था कि तारीख 28 मार्च, 2021 को रात्रि लगभग 11.00 बजे एक छात्रा को संस्थान के परिसरों के भीतर बेहोश स्थिति में पाया गया था, जिसकी संस्थान के भीतर परीक्षा की गई और उसकी स्थिति गंभीर पाए जाने पर उसे तुरंत

एक एम्बुलेंस के माध्यम से आगे और चिकित्सा परीक्षा किए जाने हेतु गुवाहाटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल भेजा गया । उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्थान ने तारीख 29 मार्च, 2021 को इस घटना का अन्वेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट तारीख 2 अप्रैल, 2021 को सायं 6.00 बजे प्रस्तुत की थी । उक्त रिपोर्ट शिकायत के साथ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । इस प्रकार आई.आई.टी., गुवाहाटी के प्राधिकारियों ने उपरोक्तानुसार औपचारिक रूप से एक शिकायत पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसकी पुलिस द्वारा सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की गई थी और तद्नुसार तारीख 3 अप्रैल, 2021 को उत्तरी गुवाहाटी पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 376 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जो मामला संख्या 55/2021 के रूप में है । उसके पश्चात् याचिका ने अन्वेषण से संतुष्ट न होने पर या अभिकथित रूप से अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही न किए जाने के कारण तारीख 7 अप्रैल, 2021 को महिला पुलिस थाना, गुवाहाटी की प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया और एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसे महिला पुलिस थाने द्वारा सम्यक् रूप से याची के आठ सह-पाठियों के विरुद्ध उस पर लैंगिक हमला करने तथा उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग जाने तथा साथ ही उसकी परिनिंदा करने के लिए दंड संहिता की धारा 376/328/307/120ख/34 के अधीन दर्ज किया गया जो उत्तरी गुवाहाटी के पुलिस थाने के मामला सं. 56/2021 के रूप में है । अन्वेषण की प्रास्थिति रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी ने अनेक साक्षियों की परीक्षा की है और अन्वेषण संबंधी कार्य अभी जारी है । तथापि, याची इस बात से व्यथित है कि प्रत्यर्थी सं. 6 ने तारीख 30 मार्च, 2021 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के तुरंत पश्चात् शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई नहीं की । जैसाकि याचिका में उल्लेख किया गया है अन्वेषण अधिकारी घटना के अनेक दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् तारीख 2 अप्रैल, 2021 को पीड़ित लड़की की परीक्षा हेतु आया था । इस संबंध में भी अभिकथन किए गए हैं कि कुछ अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत आवेदनों का समुचित रूप से विरोध नहीं

किया गया और पांच छात्रों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के अगले दिन ही इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि उनके इस घटना में संलिप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जैसाकि प्रास्थिति रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत दलीलें को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन और उस पर विचार करने के पश्चात् याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से यद्यपि यह प्रकट होता है कि आपराधिक अन्वेषण अभी संचालित किया जा रहा है तथा मामले के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शायद इस मामले में अभी तक किए गए अन्वेषण की तुलना में एक बृहत्त अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है । तथ्य की खोजबीन करने वाली समिति तथा आंतरिक शिकायत समिति द्वारा निकाले गए उपरोक्त निष्कर्षों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों, जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, को ध्यान में रखते हुए इस मामले का व्यापक अन्वेषण किया जाना चाहिए । इन रिपोर्टों में मामले के अनेक तथ्यात्मक पहलुओं का वर्णन किया गया है किन्तु यह न्यायालय इस प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए उन्हें उद्धृत करने की वांछा नहीं करता है । तथापि, इस न्यायालय की राय में ये दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे इस मामले के साक्ष्य के संबद्ध स्रोत भी हैं तथा मामले के समुचित अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण संकेत भी उपलब्ध कराते हैं तथा यह न्यायालय अन्वेषण अभिकरण से यह अपेक्षा करता है कि वह इन रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किए गए इन पहलुओं की समुचित जांच करेगा तथा इस मामले का और अधिक व्यापक अन्वेषण करेगा जिससे अंततोगत्वा सत्य सामने आ सके । इस प्रकार, यह न्यायालय आई.आई.टी. की तथ्य खोजबीन समिति और आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में इंगित अभिकथनों की गंभीरता को विचार में लेते हुए यह मत व्यक्त करता है कि मामले को आगे और अधिक व्यापक रीति में अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है तथा यह

न्यायालय विद्वान् राज्य काउंसेल द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए मत पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश देता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को एक नए अन्वेषण दल का गठन करना चाहिए, जो तीन अनुभव प्राप्त पुलिस अधिकारियों से मिलकर बनेगा, जिसकी अध्यक्षता सुश्री मृगाक्षी डेका, आई.पी.एस. द्वारा की जाएगी, जो वर्तमान में एस.डी.पी.ओ., रंगिया है और दल के अन्य दो सदस्यों का चयन जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा सुश्री मृगाक्षी डेका के परामर्श से किया जाएगा । अन्वेषण दल के पुनर्गठन संबंधी यह निदेश, ऊपर निर्दिष्ट की गई एसओपी की अपेक्षा के आधार पर तथा वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिससे अन्वेषण को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके और वर्तमान मामले के दोषियों को, मामले के पूर्ववर्ती अन्वेषण अधिकारी, प्रत्यर्थी सं. 6 द्वारा पहले से किए गए अन्वेषण के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां न करते हुए शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके । नया गठित अन्वेषण दल अभी तक किए गए अन्वेषण कार्य का पुनर्विलोकन करेगा और साथ ही मामले में पाई जाने वाली त्रुटियों, यदि कोई हो, को दूर करेगा और साथ ही अन्वेषण कार्य को अग्रसर करेगा, विशिष्ट रूप से आई.आई.टी., गुवाहाटी की तथ्य खोजबीन समिति और साथ ही आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जो मामले के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करते हैं और साथ ही उक्त दल शीघ्रातिशीघ्र अन्वेषण कार्य पूरा करेगा । उक्त अत्यावश्यकता न केवल विधि की अपेक्षा के अनुसार है अपितु यह शैक्षिक संस्था की पवित्रता और प्रतिष्ठा को वापस लाने और पूर्व में उस पर लगे लांछन को दूर करने के लिए आवश्यक है । याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल ने यह एक अन्य चिंताजनक मुद्दे को उठाते हुए यह कथन किया है कि याची के माता-पिता को मुख्य अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों के कुटुम्ब सदस्यों द्वारा धमकी दी जा रही है । यद्यपि, यह न्यायालय इस प्रक्रम पर उसके सही होने के संबंध में कोई संप्रेक्षण करने की वांछा नहीं करता है किन्तु यह तथ्य कि ऐसे आरोप

लगाए गए हैं, अन्वेषण प्राधिकारियों के लिए परीक्षा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध कराते हैं । यह कहना आवश्यक नहीं है कि यदि लगाए गए आरोपों के अनुसार इस प्रकार की धमकियां दी गई हैं तो यह भी एक अपराध है, जो दी गई धमकियों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए दंडनीय अपराध हैं, जिसके संबंध में अन्वेषण प्राधिकारी को अन्वेषण करना चाहिए और उसे विधि के अनुसार इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए । अन्वेषण प्राधिकारी इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जिससे सभी साक्षियों या पीड़िता के नातेदारों को किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी न दी जा सके, जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी । यह न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि अन्वेषण को 3 (तीन) माह अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा । इस आदेश की एक प्रति श्रीनाथ, विद्वान् अपर वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता को प्रस्तुत की जाए, जिससे वे एफएसएल, गुवाहाटी के प्रमुख सहित सभी संबद्ध प्राधिकारियों को इस संबंध में संसूचित करने में समर्थ हो सके । यह भी निदेश दिया जाता है कि पुलिस महानिदेशक, असम, प्रत्यर्थी सं. 2 यह सुनिश्चित करेंगे कि पत्र/अधिसूचना सं. एफएन 15011/190/2020-अनु. जा./अनु. जन.-डब्ल्यू. तारीख 9 अक्तूबर, 2020, जिसे गृह मंत्रालय (महिला सुरक्षा प्रभाग), भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और जिसे पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दशा में आज्ञापक कार्रवाई किए जाने के लिए सभी प्रमुख सचिवों/और प्रशासकों के सलाहकारों को परिचालित किया गया था, को पुन: असम राज्य के सभी पुलिस थानों में परिचालित किया जाए जिससे वे सुसंगत कानूनों के साथ पठित इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सके क्योंकि यह दिशा-निर्देश उस समय तक सुसंगत बने रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उपयुक्त नियम/विनियम/कानून विरचित नहीं कर दिए जाते । यद्यपि, आई.आई.टी. के प्राधिकारी इन कार्यवाहियों के पक्षकार नहीं है, फिर भी उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आवश्यक पारिणामिक संस्थागत शास्तिक और उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे और पूर्वोक्त अन्वेषण के संबंध में अन्वेषण दल को संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

प्राधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की गलत संवेदना उपदर्शित किया जाना अपेक्षित नहीं है । तद्नुसार, इस न्यायालय की रजिस्टरी को यह निदेश दिया जाता है कि वह आई.आई.टी., गुवाहाटी के निदेशक को इस आदेश की प्रति सूचना और अनुपालन के लिए अग्रेषित करे और उक्त प्रति दोनों माध्यमों, अर्थात् प्रायिक संसूचना पद्धति और इलेक्ट्रानिक/ डिजीटल उपायों से अग्रेषित की जाएगी । इस आदेश की एक प्रति याची की विद्वान् काउंसेल सुश्री सरमा को भी प्रस्तुत की जाए । इस मामले को पुन: तारीख 21 जून, 2021 के लिए सूचीबद्ध किया जाए जिस तारीख को इस न्यायालय को, इस न्यायालय द्वारा आज जारी किए गए निदेशों के निबंधनानुसार अन्वेषण में हुई प्रगति से अवगत कराया जा सके क्योंकि उच्च न्यायालय सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किए जाने तक मामले के अन्वेषण की प्रगति को मॉनिटर करने का प्रस्ताव करता है । (पैरा 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] (2019) 14 एस. सी. सी. 615 =
ए. आई. आर. 2018 एस. सी. (सप्ली.) 2561 :
महेन्द्र चावला और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** । 26

दांडिक (मूल) अधिकारिता : 2021 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 2966.

वर्तमान याचिका, याची द्वारा उसके मामले में पुलिस के अन्वेषण अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग तथा अदक्ष रीति में किए जा रहे अन्वेषण से व्यथित होकर अन्वेषण अधिकारी को समुचित निदेश जारी किए जाने हेतु फाइल की गई है ।

याची की ओर से सुश्री सुमित्रा सरमा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री नाथ, सरकारी अधिवक्ता, असम

न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह – न्यायालय की कार्यवाहियां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की गई हैं ।

2. याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री सुमित्रा सरमा को सुना । प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता को भी सुना ।

3. इस मामले को आज सुनवाई हेतु रखा गया था, जिसमें श्री नाथ, विद्वान् सरकारी काउंसेल द्वारा इस न्यायालय को अभी तक किए गए अन्वेषण की प्रास्थिति के संबंध में अवगत कराया जाना था । उनके द्वारा तारीख 24 मई, 2021 की एक प्रास्थिति रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर रखा गया है ।

4. वर्तमान याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि, ये मुद्दे एक व्यष्टि, अर्थात् वर्तमान याचिका के याची से संबंधित हैं किन्तु यदि याची द्वारा लगाए गए आरोपों की समुचित रूप से अन्वेषण नहीं किया जाता है और उनके संबंध में कोई तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है तो भविष्य में उनके अत्यधिक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं ।

5. वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दे मुख्यत: एक प्रमुख शैक्षिक संस्था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), गुवाहाटी के परिसरों के भीतर एक छात्रा के विरुद्ध उसके सहपाठियों द्वारा किए गए लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक हमले और अन्य कदाचार के आरोपों पर आधारित हैं । अभिलेख पर रखी गई सामग्री से निश्चित रूप से कतिपय गंभीर अपराधों के गठित होने के संबंध में संकेत प्राप्त होते हैं, यद्यपि, उन अपराधों के संबंध में संपूर्ण कहानी अभी तक सामने नहीं आई है । यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की उत्कृष्टता वाली शैक्षिक संस्था में इस प्रकार की गंभीर घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो क्योंकि इस प्रकृति के आरोप न केवल एक ख्याति प्राप्त संस्थान की शैक्षिक ख्याति को धब्बा लगाते हैं अपितु उनका पूरे देश से ऐसी विख्यात संस्था में अध्ययन हेतु आए छात्रों, जो अपने-अपने पाठ्यक्रमों को पूरा कर रहे हैं पर अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ता है ।

6. इस प्रक्रम पर यह आवश्यक नहीं है कि हम लगाए गए आरोपों और तथ्यों का ब्यौरेवार परिशीलन करें । इसकी बजाए केवल इतना

पर्याप्त होगा कि हम कतिपय अनिवार्य तथ्यों के संबंध में अपना ध्यान केंद्रित करें ।

7. आई.आई.टी., गुवाहाटी की एक छात्रा, अर्थात् याची ने विनिर्दिष्ट रूप से यह आरोप लगाया है कि तारीख 28 मार्च, 2021 की रात्रि को उसके कतिपय सहपाठियों, जो आई.आई.टी., गुवाहाटी में अध्ययन कर रहे हैं ने उस पर लैंगिक हमला किया । इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याची को बेहोशी की हालत में तारीख 29 मार्च, 2021 को सुबह-सुबह गुवाहाटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (जी.एम.सी.एच.) ले जाया गया था । जी.एम.सी.एच. में याची की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर ने समीप स्थित भांगागढ़ पुलिस थाने को यह सूचित किया था कि तारीख 29 मार्च, 2021 को रात्रि 1.05 बजे याची को आपातकालीन वार्ड में लाया गया था और उस समय उसे किसी अज्ञात पदार्थ के कारण अपच की शिकायत थी और साथ ही उस पर लैंगिक हमला भी किया गया था । उक्त रिपोर्ट भांगागढ़ पुलिस थाने द्वारा उसी दिन सुबह-सुबह अमीनगांव पुलिस थाने की बाहरी चौकी को अग्रेषित की गई थी क्योंकि घटना उसकी अधिकारिता के भीतर घटित हुई थी और उक्त सूचना के आधार पर तारीख 30 मार्च, 2021 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो अमीनगांव पुलिस थाने के मामला सं. 53/2021 के रूप में है ।

8. यह प्रतीत होता है कि तारीख 2 अप्रैल, 2021 को सायं 7.00 बजे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, आई.आई.टी., गुवाहाटी द्वारा अमीनगांव पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष एक अन्य पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें यह कथन किया गया था कि तारीख 28 मार्च, 2021 को रात्रि लगभग 11.00 बजे एक छात्रा को संस्थान के परिसरों के भीतर बेहोश स्थिति में पाया गया था, जिसकी संस्थान के भीतर परीक्षा की गई और उसकी स्थिति गंभीर पाए जाने पर उसे तुरंत एक एम्बुलेंस के माध्यम से आगे और चिकित्सा परीक्षा किए जाने हेतु

गुवाहाटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल भेजा गया । उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्थान ने तारीख 29 मार्च, 2021 को इस घटना का अन्वेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट तारीख 2 अप्रैल, 2021 को सायं 6.00 बजे प्रस्तुत की थी । उक्त रिपोर्ट शिकायत के साथ पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । इस प्रकार आई.आई.टी., गुवाहाटी के प्राधिकारियों ने उपरोक्तानुसार औपचारिक रूप से एक शिकायत पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसकी पुलिस द्वारा सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की गई थी और तद्नुसार तारीख 3 अप्रैल, 2021 को उत्तरी गुवाहाटी पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 376 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई, जो मामला संख्या 55/2021 के रूप में है ।

9. यह प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् याचिका ने अन्वेषण से संतुष्ट न होने पर या अभिकथित रूप से अन्वेषण प्राधिकारियों द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही न किए जाने के कारण तारीख 7 अप्रैल, 2021 को महिला पुलिस थाना, गुवाहाटी की प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया और एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसे महिला पुलिस थाने द्वारा सम्यक् रूप से याची के आठ सह-पाठियों के विरुद्ध उस पर लैंगिक हमला करने तथा उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग जाने तथा साथ ही उसकी परिनिंदा करने के लिए दंड संहिता की धारा 376/328/307/120ख/34 के अधीन दर्ज किया गया जो उत्तरी गुवाहाटी के पुलिस थाने के मामला सं. 56/2021 के रूप में है ।

10. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अन्वेषण की प्रास्थिति रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी ने अनेक साक्षियों की परीक्षा की है और अन्वेषण संबंधी कार्य अभी जारी है ।

11. तथापि, याची की विद्वान् काउंसेल ने उस रीति में गंभीर आक्षेप उठाए हैं, जिसमें प्रत्यर्थी स. 6 अर्थात् मामले का अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण का संचालन कर रहा है । याची इस बात से व्यथित है कि प्रत्यर्थी सं. 6 ने तारीख 30 मार्च, 2021 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के तुरंत पश्चात् शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई नहीं की । जैसा कि

याचिका में उल्लेख किया गया है अन्वेषण अधिकारी घटना के अनेक दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् तारीख 2 अप्रैल, 2021 को पीड़ित लड़की की परीक्षा हेतु आया था । इस संबंध में भी अभिकथन किए गए हैं कि कुछ अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत आवेदनों का समुचित रूप से विरोध नहीं किया गया और पांच छात्रों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के अगले दिन ही इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि उनके इस घटना में संलिप्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जैसाकि प्रास्थिति रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है ।

12. याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी सं. 6 द्वारा की गई उपर्युक्त कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अन्वेषण पर प्रश्नचिह्न लगाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि, अन्वेषण प्राधिकारी को स्पष्ट संकेत उपलब्ध कराए गए थे फिर भी उसके द्वारा अत्यंत लापरवाही से मामले का अन्वेषण किया गया । यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि घटना के तुरंत पश्चात् गठित आई.आई.टी., गुवाहाटी की खोज-बीन समिति ने मामले की जांच पड़ताल की थी और उसे अनेक चिंताजनक तथ्यों का पता चला था जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से प्रकट होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से मुख्य अभियुक्त और साथ ही अन्यों के दोषी होने के संबंध में पता चलता है और उक्त रिपोर्ट की एक प्रति उस समय भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जब तारीख 2 अप्रैल, 2021 को आई.आई.टी., गुवाहाटी के प्राधिकारियों द्वारा द्वितीय प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । अन्य शब्दों में, यद्यपि, अन्वेषण अधिकारी की समिति की उक्त रिपोर्ट तक पहुंच थी, जिसमें न केवल मुख्य अभियुक्त के उक्त घटना में संलिप्त होने का उल्लेख किया गया था अपितु अन्य छात्रों के घटना में संलिप्त होने के संबंध में भी उल्लेख किया गया था, फिर भी मुख्य अभियुक्त के सिवाय इन सभी छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई गंभीर आक्षेप प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

13. उक्त रिपोर्ट को मामले के अभिवचनों का भाग भी बनाया गया था और उसे वर्तमान याचिका के अनुलग्नक 2 के रूप में उपाबद्ध किया गया है । उक्त रिपोर्ट के सुसंगत निर्णायक भाग को यहां नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "सभी छात्रों से चर्चा करने के पश्चात्, समिति को यह तथ्य ज्ञात हुआ कि रात्रि 9.30 बजे से रात्रि 11.45 बजे तक 'एक्स' (इस न्यायालय द्वारा पीड़ित लड़की के नाम को गुप्त रखा गया है जो वर्तमान मामले की याची है) पुराने अक्षरा विद्यालय में बेहोशी की स्थिति में थी । समिति को उत्सव और अन्य छात्रों से इस संबंध में कोई समाधानप्रद और ठोस उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है कि इन दो घंटों के दौरान क्या घटित हुआ, सिवाय इसके कि वे सब मिलकर एक्स को होश में लाने का प्रयास कर रहे थे । इस संबंध में भी अस्पष्टता विद्यमान है कि अन्य छात्र (भव्य, पार्थ और शालमली) किस समय घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि उत्सव के अनुसार उसने भव्य को रात्रि लगभग 9.15 बजे कॉल किया था । किन्तु भव्य ने यह उल्लेख किया है कि उसे उक्त कॉल रात्रि 10.26 बजे प्राप्त हुई थी । तथापि, रात्रि 9.30 से 11.45 बजे के बीच की अवधि में एम्बुलेंस को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था । एम्बुलेंस को केवल रात्रि 11.45 बजे के पश्चात् उस समय बुलाया गया था जब चेलसी और आर्यन घटनास्थल पर पहुंचे थे । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित लड़की दो घंटे से अधिक समय तक बेहोश थी और जी.एम.सी.एच. द्वारा जारी की गई डिस्चार्ज रिपोर्ट के अनुसार और साथ ही अन्य छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्यों के अनुसार समिति को यह विश्वास है कि वर्तमान मामला संभवतः, लैंगिक हमले से संबंधित मामला है । अतः, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त मामले को आगे और समीक्षा के लिए आई.आई.टी., गुवाहाटी की आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) के साथ साझा किया जाए ।"

14. यद्यपि, उक्त समिति के निष्कर्षों को निर्णायक नहीं कहा जा सकता किन्तु उक्त रिपोर्ट से अन्वेषण प्राधिकारी को ऐसे महत्वपूर्ण

संकेत प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर वह अपनी जांच आगे बढ़ा सकता है । यह उल्लेखनीय है कि उसके पश्चात् उक्त समिति ने इस मामले को आई.आई.टी., गुवाहाटी की आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) को निर्दिष्ट किया था, जिसका गठन आई.आई.टी. में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के अधीन लैंगिक उत्पीड़न/लैंगिक कदाचार के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए किया गया था । यद्यपि, उक्त रिपोर्ट की प्रति अभिवचनों का भाग नहीं है फिर भी याची की विद्वान् काउंसेल द्वारा उक्त रिपोर्ट की एक प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गई है और साथ ही उक्त रिपोर्ट की एक प्रति विद्वान् सरकारी काउंसेल श्री नाथ को भी उपलब्ध कराई गई है ।

15. इस संबंध में, यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि उक्त आंतरिक शिकायत समिति द्वारा कतिपय सिफारिशें की गई थीं जो निम्नानुसार हैं :–

> "6. आई.सी.सी. की सिफारिशें
>
> लैंगिक हमले की घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि 28 मार्च, 2021 को घटनास्थल पर उपस्थित तीन छात्रों द्वारा स्पष्ट रूप से उपदर्शित लापरवाही से भरी प्रतिक्रिया के आधार पर आई.सी.सी. संस्थान को यह सुझाव देना चाहती है कि वर्तमान मामले में संलिप्त होने के लिए दंड के उपाय स्वरूप निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए । लैंगिक अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता से संबंधित संदेश आई.आई.टी. गुवाहटी के परिसर में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए और साथ ही यह दर्शित करते हुए कि महिलाओं के विरुद्ध की गई हिंसा के संबंध में अत्यंत गंभीर कार्रवाई की जाएगी, संस्थान की कार्यसंस्कृति में सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । वर्तमान में संस्थान के परिसर में मौजूद लड़कियों और महिलाओं में डर और चिंता का माहौल है और यह माहौल संस्थान के

अंतरराष्ट्रीय महत्व तथा उसके विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है ।

अत:, समिति निम्नलिखित के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश करती है :

भव्य अग्रवाल

शालमली गायकवाड़

पार्थ बजाज

(i) एक्स (न्यायालय द्वारा नाम को गुप्त रखा गया है) के जीवन को अत्यधिक खतरे में डालने और लैंगिक हमले, उस पर प्रहार किए जाने तथा मादक पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में किसी को सूचित न किए जाने के लिए ।

(ii) पीड़ित लड़की को मानसिक आघात कारित करने, पीड़ा और संताप पहुंचाने तथा भावनात्मक कष्ट पहुंचाने के लिए ।

(iii) पीड़ित लड़की के कैरियर अवसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए (पीड़ित लड़की ने घटना के पश्चात् एफईसी क्लब से त्यागपत्र दे दिया था और उसे बिना किसी विधिमान्य कारण के तकनीकी बोर्ड के किसी अन्य क्लब में प्रवेश नहीं दिया गया था) ।

(iv) पीड़िता द्वारा चिकित्सा/शारीरिक उपचार के लिए उपगत चिकित्सा संबंधी व्ययों के लिए । लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 3(1) तथा 3(2)(iv) और (v) के अनुसार :

> '(i) किसी भी महिला को उसके कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ।
>
> (iv) उसके कार्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके लिए किसी प्रकार का कोई भयपूर्ण माहौल या नकारात्मक कार्यकरण माहौल तैयार नहीं किया जाएगा ; या
>
> (v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा ।'

संस्थान के प्रमुख को निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की जाती है :–

(1) उपरोक्त छात्रों के लिए तुरंत प्रभाव से एक शैक्षिक सेमेस्टर से निष्कासन ।

(2) छात्रावास से एक वर्ष के लिए निष्कासन ।

(3) 'एक्स' (न्यायालय द्वारा नाम गुप्त रखा गया है) को प्रत्येक द्वारा 50,000/- रुपए की राशि का संदाय ।

(4) निम्नलिखित के विरुद्ध, यदि विधि के न्यायालय द्वारा लैंगिक हमले के आरोप सत्य पाए जाते हैं तो निलंबित निष्कासन और निम्नलिखित हेतु कार्रवाई करने की सिफारिश :

सुधांशु भाटिया

तुषार बोहरा

(i) किसी महिला के विरुद्ध भलीभांति सोच-समझकर की गई आपराधिक कार्रवाई से अवगत होने के पश्चात् भी उसे रिपोर्ट न करने

(ii) 'एक्स' (न्यायालय द्वारा नाम गुप्त रखा गया है) के संबंध में पक्षपातपूर्ण रूप से चर्चा करने हेतु जिससे कि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और उसे अत्यधिक भावनात्मक कष्ट हुआ ।

लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 3(2)(iv) और (v) के उपबंधों के अनुसार

'(iv) उसके कार्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके लिए किसी प्रकार का कोई भयपूर्ण माहौल या नकारात्मक कार्यकरण माहौल तैयार नहीं किया जाएगा ; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा ।'

संस्थान के प्रमुख को निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की जाती हैं :–

(1) छात्रावास से एक वर्ष के लिए निष्कासन ।

(2) 'एक्स' (न्यायालय द्वारा नाम गुप्त रखा गया है) को प्रत्येक द्वारा 40,000/- रुपए की राशि का संदाय ।

(5) यदि विधि के न्यायालय द्वारा लैंगिक हमले के आरोप सत्य पाए जाते हैं तो सुधांशु भाटिया का निलंबित निष्काषन ।

"7. साधारण सिफारिशें

(1) इसके अतिरिक्त, आई.सी.सी., आई.आई.टी., गुवाहाटी के प्राधिकारियों को यह अनुरोध करना चाहेगी कि वे सुरक्षा कर्मचारीवृन्द को परिसर में ऐसी घटनाओं की संभावनाओं के संबंध में संवेदनशील और जागरूक बनाए ।

(2) इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परित्यक्त भवनों, आधे विनिर्मित भवनों को सील बंद किया जाता है और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो ऐसे सभी स्थानों को पहचान करके वहां सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाता है ।

(3) लैंगिक अपराधों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने संबंधी संदेश समय की आवश्यकता है । किन्तु इस प्रकार के लैंगिक अपराधों का निवारण करने के लिए छात्रों (पुरुष) को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना अत्यंत आवश्यक है । आई.आई.टी. के परिसर में विद्यमान लैंगिक असंतुलन सर्वज्ञात है और परिसरों में, जहां छात्राओं को उनके साथी छात्रों के बीच सुरक्षित महसूस नहीं होता है तो ऐसी स्थिति लैंगिक असहनशीलता की दूषित संस्कृति के गंभीर दुष्परिणामों की ओर संकेत करती है तथा हमारे संस्थान के परिसरों में यह स्थिति विद्यमान है ।

(4) हमें यह विश्वास है कि छात्र नेतृत्व और उनके प्रतिनिधियों को लैंगिक अपराध करने वाले छात्रों के विरुद्ध कठोर

दंड की मांग करने और साथ ही यह मांग करने में भी कि परिसरों के भीतर किसी भी समय पर और किसी भी स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं, अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए । ऐसी किसी दशा में जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घटना से संबंधित कोई बदनामी न हो । यह संस्कृति, जिसमें पीड़िता को सुगमता से उसके साथ हुई घटना के लिए दोषी कहा जा सकता है, ऐसे सभी समाजों के लिए श्राप है जहां महिलाओं को नियमित रूप से लैंगिक उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ता है । ऐसा करने से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वालों को बल मिलता है और वे भविष्य में इस प्रकार के और अधिक अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित होते हैं और इसलिए इस प्रकार की घटनाओं से हर संभव प्रयास करके बचा जाना चाहिए । महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए छात्राओं को लैंगिक रूप से पृथक् करना अपेक्षित नहीं है, इसकी बजाय सभी हितधारकों से और अधिक सक्रिय भूमिका की अपेक्षा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे परिसर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान माहौल सुनिश्चित किया जा सके ।"

16. संस्थान के एक कानून के अधीन गठित पूर्वोक्त आंतरिक शिकायत समिति ने कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं और उनके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं । यह उल्लेखनीय है कि ऐसे निष्कर्ष संक्षिप्त रीति में की गई जांच पड़ताल के पश्चात् निकाले गए हैं और वे संभावनाओं के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसकी तुलना एक पूर्णरूपेण आपराधिक अन्वेषण के साथ नहीं की जा सकती, जो वर्तमान में संचालित किया जा रहा है । फिर भी, उक्त समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से घटना के संबंध में संकेत उपलब्ध कराते हैं, जिनके आधार पर आपराधिक अन्वेषण अभिकरण सत्य को सामने लाने के लिए सक्रिय रूप से मामले के सभी कोणों के संबंध में छानबीन कर

सकता है । अनेक बार यह पाया गया है कि दांडिक कार्यवाहियां विधि के न्यायालय में केवल त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण अन्वेषणों के कारण असफल हुई हैं । हम यह नहीं चाहते हैं कि वर्तमान मामले में भी ऐसा हो ।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से यद्यपि यह प्रकट होता है कि आपराधिक अन्वेषण अभी संचालित किया जा रहा है तथा मामले के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शायद इस मामले में अभी तक किए गए अन्वेषण की तुलना में एक बृहत्त अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है । तथ्य की खोजबीन करने वाली समिति तथा आंतरिक शिकायत समिति द्वारा निकाले गए उपरोक्त निष्कर्षों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों, जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, को ध्यान में रखते हुए इस मामले का व्यापक अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

इन रिपोर्टों में मामले के अनेक तथ्यात्मक पहलुओं का वर्णन किया गया है किन्तु यह न्यायालय इस प्रक्रम पर, किसी भी पक्षकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए उन्हें उद्धृत करने की वांछा नहीं करता है । तथापि, इस न्यायालय की राय में ये दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे इस मामले के साक्ष्य के संबद्ध स्रोत भी हैं तथा मामले के समुचित अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण संकेत भी उपलब्ध कराते हैं तथा यह न्यायालय अन्वेषण अभिकरण से यह अपेक्षा करता है कि वह इन रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किए गए इन पहलुओं की समुचित जांच करेगा तथा इस मामले का और अधिक व्यापक अन्वेषण करेगा जिससे अंततोगत्वा सत्य सामने आ सके ।

17. इस संबंध में, यह न्यायालय गृह मंत्रालय (महिला सुरक्षा प्रभाग), भारत सरकार द्वारा पत्र/अधिसूचना सं. एफ.एन. 15011/190/ 2020-अनु.जा./अनु.जन.-डब्ल्यू. तारीख 9 अक्तूबर, 2020 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों, जिन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों की दशा में पुलिस द्वारा की जाने वाली आज्ञापक कार्रवाई के संबंध में सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों के सलाहकारों को परिचालित किया गया था, को निर्दिष्ट करना चाहेगा । उक्त पत्र महिला के विरुद्ध बलात्संग के मामलों में अन्वेषण तथा अभियोजन चलाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी निर्दिष्ट करता है और इसे पुलिस अनुसंधान और

विकास ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है । उक्त एसओपी, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए, पीड़िता के साथ व्यवहार किए जाने, मामले का अन्वेषण करने, साक्ष्य अभिलिखित करने, जमानत संबंधी विषयों, साक्षियों की संरक्षा, समयबद्ध अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करने, पीड़िता के पुनर्वास, मीडिया के साथ परस्पर क्रिया करने आदि जैसे विषयों के संबंध में ब्यौरेवार दिशा-निर्देशों को अधिकथित करती है ।

18. यह न्यायालय इस आदेश के प्रयोजन के लिए उक्त एसओपी के केवल कुछ सुसंगत उपबंधों को निर्दिष्ट करेगा । एसओपी के क्रम संख्यांक 7 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जहां तक संभव हो महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों का अन्वेषण किसी महिला अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना चाहिए । जब कभी आवश्यक हो, अन्वेषण दल का सृजन किया जाना चाहिए, जो तीन से चार अनुभव प्राप्त पुलिस कार्मिकों से मिलकर बनेगा, जिनमें से एक को मुख्य अन्वेषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाना चाहिए । यह भी उपबंधित किया गया है कि दल में कम से कम एक महिला अधिकारी को सम्मिलित किया जाना चाहिए । यथासंभव रूप से, बलात्संग के मामले को प्रायिक रूप से एक वरिष्ठ और अनुभव प्राप्त पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है ।

अन्वेषण पर लौटते हुए, उक्त एसओपी में न केवल पीड़ित लड़की अपितु साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने और यदि आवश्यक हो तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन साक्ष्यों को लेखबद्ध किए जाने संबंधी विभिन्न अनुदेश अधिकथित किए गए हैं । इसी प्रकार का उल्लेख इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के एकत्रण के संबंध में भी किया गया है ।

19. अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त और पीड़ित लड़की के बीच मोबाइल फोन पर परस्पर सम्पर्क और बातचीत होती थी । अत:, यह न्यायालय अन्वेषण अभिकरण से यह अपेक्षा करेगा कि

वह ऐसे मोबाइल फोनों या अन्य इलैक्ट्रानिक युक्तियों, जिनका उपयोग किया गया हो, से संबंधित सभी इलैक्ट्रानिक/डिजिटल डाटा को एकत्रित करेगा या जहां ऐसे साक्ष्य को अभिलिखित/सुरक्षित किया गया है और/या उसके पश्चात् उसका लोप कर दिया गया है, वहां ऐसे साक्ष्य को वापस लाया जाएगा । यदि आवश्यक हो तो सभी संबद्ध संदेहास्पद व्यक्तियों और हितबद्ध व्यक्तियों के मोबाइल फोनों और इलैक्ट्रानिक युक्तियों का मामले के समुचित अन्वेषण के लिए अभिग्रहण किया जाना चाहिए ।

20. एसओपी का क्रम संख्यांक 15 उसी रीति में संबंधित है जिसमें साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है और साथ ही वह वैज्ञानिक दलों से सहायता लिए जाने से भी संबंधित है । विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों में, जो उंगलियों के निशान आदि को लिए जाने, घटनास्थल के फोटोग्राफ लिए जाने के आदि से संबंधित है । न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि अन्वेषण अभिकरण अपने अन्वेषण का संचालन एसओपी में अधिकथित रीति में दक्षतापूर्वक करेगा ।

21. यह भी उल्लेखनीय है कि किसी अपराध के कारित किए जाने से संबंधित मिथ्या सूचना दिया जाना भी एक अपराध है जो दंड संहिता की धारा 203 के अधीन एक दंडनीय अपराध है । इसके अतिरिक्त, किन्हीं दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किए जाने से निवारित करने के लिए उन्हें नष्ट करना भी दंड संहिता की धारा 204 के अधीन एक दंडनीय अपराध है ।

अन्वेषण प्राधिकारी को अन्वेषण का संचालन करते समय उपरोक्त अनुदेशों तथा विधि के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखना चाहिए और जहां तक साक्ष्य को नष्ट किए जाने का प्रयास किए जाने का संबंध है, वहां अन्वेषण अभिकरण को विधि के अनुसार युक्तियुक्त कार्रवाई करनी चाहिए ।

22. एसओपी के क्रम संख्यांक 23 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, दो माह की अवधि के भीतर अन्वेषण को पूरा किए जाने का उल्लेख किया गया है । तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में अंतर्वलित अपराध दंड संहिता की

धारा 376 और 307 और साथ ही धारा 328 के अंतर्गत आने वाले अपराध हैं, जो ऐसे अपराध हैं जिन्हें यदि साबित कर दिया जाता है तो अभियुक्त व्यक्ति 10 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होंगे और उस दशा में अन्वेषण संबंधी कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की उपधारा (2) के परंतुक (क)(i) के आलोक में तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है । यद्यपि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में यह कथन किया गया है कि ऊपर निर्दिष्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के उपबंधों के आलोक में, दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के संबंध में अन्वेषण कार्रवाई, उस तारीख से, जिसको थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपराध के संबंध में सूचना अभिलिखित की गई थी, दो माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, किन्तु शायद अन्वेषण को थोड़ा और अधिक समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उसे तीन मास के अवधि के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है ।

एसओपी के क्रम संख्यांक 21 में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुसंगत आधारों के साथ अभियुक्तों के जमानत आवेदन का विरोध किया जाना चाहिए और यदि जमानत संबंधी आवेदन स्वयं अभियुक्त या अभियुक्त के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संबद्ध अभियोजन/अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसे किसी आवेदन के संबंध में पीड़िता को जानकारी प्रस्तुत करे, जिससे उसे, यदि वह इस प्रभाव की वांछा करती है तो ऐसे आवेदन का विरोध करने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके ।

23. अत:, यह न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि वर्तमान मामले का अन्वेषण तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और जैसा कि विद्वान् सरकारी काउंसेल श्रीनाथ द्वारा प्रस्तुत की गई प्रास्थिति रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है । आरोप पत्र तीन माह की अवधि के भीतर फाइल किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् अनुपूरक आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है । यह भी

उल्लेखनीय है कि बिना ठोस कारणों के अन्वेषण समय पर पूरा किए जाने में असफल रहने को सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा, जिनके अंतर्गत न्यायालय भी है, गंभीर रूप से लिया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के अनपेक्षित विलंब अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत के लिए हकदार बना देते हैं, जिसके लिए वह योग्य नहीं है क्योंकि उसके विरुद्ध सारवान् साक्ष्य मौजूद है । इस संबंध में भी कोई शक-शुबहा नहीं होना चाहिए कि वर्तमान मामले में अन्वेषण करने में शिथिलता प्रतीत होती है और उसे समय पर पूरा नहीं किया गया है जिसके कारण आरोप पत्र फाइल करने में विलंब हुआ है जबकि यह तथ्य नितांत रूप से सत्य है कि अपराध में अभिकथित रूप से संलिप्त व्यक्तियों की पहले ही पहचान स्थापित कर ली गई है ।

24. इस प्रकार, यह न्यायालय आई.आई.टी. की तथ्य खोजबीन समिति और आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में इंगित अभिकथनों की गंभीरता को विचार में लेते हुए यह मत व्यक्त करता है कि मामले को आगे और अधिक व्यापक रीति में अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है तथा यह न्यायालय विद्वान् राज्य काउंसेल द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए मत पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश देता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को एक नए अन्वेषण दल का गठन करना चाहिए, जो तीन अनुभव प्राप्त पुलिस अधिकारियों से मिलकर बनेगा, जिसकी अध्यक्षता सुश्री मृगाक्षी डेका, आई.पी.एस. द्वारा की जाएगी, जो वर्तमान में एस.डी.पी.ओ., रंगिया है और दल के अन्य दो सदस्यों का चयन जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा सुश्री मृगाक्षी डेका के परामर्श से किया जाएगा । अन्वेषण दल के पुनर्गठन संबंधी यह निदेश, ऊपर निर्दिष्ट की गई एसओपी की अपेक्षा के आधार पर तथा वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों की गंभीरता तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिससे अन्वेषण को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके और वर्तमान मामले के दोषियों को, मामले के पूर्ववर्ती अन्वेषण अधिकारी, प्रत्यर्थी सं. 6 द्वारा पहले से किए गए अन्वेषण के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां न करते हुए शीघ्रातिशीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ।

नया गठित अन्वेषण दल अभी तक किए गए अन्वेषण कार्य का पुनर्विलोकन करेगा और साथ ही मामले में पाई जाने वाली त्रुटियों, यदि कोई हो, को दूर करेगा और साथ ही अन्वेषण कार्य को अग्रसर करेगा, विशिष्ट रूप से आई.आई.टी., गुवाहाटी की तथ्य खोजबीन समिति और साथ ही आंतरिक शिकायत समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जो मामले के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करते हैं और साथ ही उक्त दल शीघ्रातिशीघ्र अन्वेषण कार्य पूरा करेगा । उक्त अत्यावश्यकता न केवल विधि की अपेक्षा के अनुसार है अपितु यह शैक्षिक संस्था की पवित्रता और प्रतिष्ठा को वापस लाने और पूर्व में उस पर लगे लांछन को दूर करने के लिए आवश्यक है ।

25. याची की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान् काउंसेल ने यह एक अन्य चिंताजनक मुद्दे को उठाते हुए यह कथन किया है कि याची के माता-पिता को मुख्य अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों के कुटुम्ब सदस्यों द्वारा धमकी दी जा रही है । यद्यपि, यह न्यायालय इस प्रक्रम पर उसके सही होने के संबंध में कोई संप्रेक्षण करने की वांछा नहीं करता है किन्तु यह तथ्य कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं, अन्वेषण प्राधिकारियों के लिए परीक्षा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध कराते हैं ।

26. यह कहना आवश्यक नहीं है कि यदि लगाए गए आरोपों के अनुसार इस प्रकार की धमकियां दी गई हैं तो यह भी एक अपराध है, जो दी गई धमकियों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए दंडनीय अपराध हैं, जिसके संबंध में अन्वेषण प्राधिकारी को अन्वेषण करना चाहिए और उसे विधि के अनुसार इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए ।

अन्वेषण प्राधिकारी इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा जिससे सभी साक्षियों या पीड़िता के नातेदारों को किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी न दी जा सके, जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी ।

इसके अतिरिक्त, यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **महेन्द्र चावला और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में

[1] (2019) 14 एस. सी. सी. 615 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. (सप्ली.) 2561.

अनुमोदित "साक्ष्य संरक्षा स्कीम, 2018" के उपबंधों का अवलंब लिए जाने की आवश्यकता है तो ऐसा किया जाएगा ।

27. इस तथ्य को भी इस न्यायालय की सूचना में लाया गया है कि श्रीनाथ द्वारा प्रस्तुत प्रास्थिति रिपोर्ट के अनुसार कतिपय अभिगृहीत वस्तुओं को न्यायालयिक परीक्षा हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), गुवाहाटी भेजा गया है । तद्नुसार, यह न्यायालय एफ.एस.एल., गुवाहाटी को यह निदेश जारी करता है, यद्यपि याची के प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में यह अभिवचन नहीं किया गया है कि वह परिणाम/रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करे जिससे अन्वेषण दल ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार 3 (तीन) माह की अवधि के भीतर अन्वेषण कार्य करने में समर्थ हो सके । एफ.एस.एल., गुवाहाटी की ओर से किसी प्रकार का ऐसा कोई विलंब नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप तीन माह की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करने में असफलता हाथ लगे ।

यह न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि अन्वेषण को 3 (तीन) माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

इस आदेश की एक प्रति श्रीनाथ, विद्वान् अपर वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता को प्रस्तुत की जाए, जिससे वे एफ.एस.एल., गुवाहाटी के प्रमुख सहित सभी संबद्ध प्राधिकारियों को इस संबंध में संसूचित करने में समर्थ हो सके ।

28. यह भी निदेश दिया जाता है कि पुलिस महानिदेशक, असम, प्रत्यर्थी सं. 2 यह सुनिश्चित करेंगे कि पत्र/अधिसूचना सं. एफ.एन. 15011/190/2020-अनु.जा./अनु.जन.-डब्ल्यू. तारीख 9 अक्तूबर, 2020, जिसे गृह मंत्रालय (महिला सुरक्षा प्रभाग), भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और जिसे पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दशा में आज्ञापक कार्रवाई किए जाने के लिए सभी प्रमुख सचिवों/और प्रशासकों के सलाहकारों को परिचालित किया गया था, को पुन: असम राज्य के सभी पुलिस थानों में परिचालित किया जाए जिससे वे सुसंगत कानूनों के साथ पठित इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकें क्योंकि

यह दिशा-निर्देश उस समय तक सुसंगत बने रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में उपयुक्त नियम/विनियम/कानून विरचित नहीं कर दिए जाते ।

29. हमने यह भी देखा है कि आई.आई.टी., गुवाहाटी की तथ्य खोजबीन समिति और आंतरिक शिकायत समिति द्वारा त्वरित जांच-पड़ताल की गई है । यद्यपि, आई.आई.टी. के प्राधिकारी इन कार्यवाहियों के पक्षकार नहीं हैं, फिर भी उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आवश्यक पारिणामिक संस्थागत शास्तिक और उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे और पूर्वोक्त अन्वेषण के संबंध में अन्वेषण दल को संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । प्राधिकारियों की ओर से किसी प्रकार की गलत संवेदना उपदर्शित किया जाना अपेक्षित नहीं है । तद्नुसार, इस न्यायालय की रजिस्ट्री को यह निदेश दिया जाता है कि वह आई.आई.टी., गुवाहाटी के निदेशक को इस आदेश की प्रति सूचना और अनुपालन के लिए अग्रेषित करे और उक्त प्रति दोनों माध्यमों, अर्थात् प्रायिक संसूचना पद्धति और इलेक्ट्रानिक/डिजिटल उपायों से अग्रेषित की जाएगी ।

30. इस आदेश की एक प्रति याची के विद्वान् काउंसेल सुश्री सरमा को भी प्रस्तुत की जाए ।

31. इस मामले को पुन: तारीख 21 जून, 2021 के लिए सूचीबद्ध किया जाए जिस तारीख को इस न्यायालय को, इस न्यायालय द्वारा आज जारी किए गए निदेशों के निबंधनानुसार अन्वेषण में हुई प्रगति से अवगत कराया जा सके क्योंकि यह न्यायालय सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किए जाने तक मामले के अन्वेषण की प्रगति को मॉनिटर करने का प्रस्ताव करता है ।

याचिका आंशिक रूप से मंजूर की गई ।

पु.

उर्वशी अग्रवाल और अन्य

बनाम

इन्दरपाल अग्रवाल

(2018 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 549)

तारीख 14 जून, 2021

न्यायमूर्ति सुब्रामोनियम प्रसाद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 और धारा 397 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19] – याची सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच विवाह का अनुष्ठापन – विवाह से दो संतानों का जन्म होना – तदुपरांत पति-पत्नी के बीच परस्पर विवादों का उत्पन्न होना जिसके परिणामस्वरूप पति/प्रत्यर्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री हेतु आवेदन किया जाना – दोनों बालकों का पत्नी के साथ निवास करना – पत्नी/याची सं. 1 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अंतरिम भरणपोषण के लिए कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना – कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पत्नी/याची सं. 1 को भरणपोषण देने से इनकार करना तथा कतिपय गणितीय समीकरण के साथ दोनों बालकों को भरणपोषण इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर किया जाना कि पुत्र को केवल 18 वर्ष की आयु पूरा किए जाने तक ही भरणपोषण प्राप्त होगा – उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याचियों द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल किया जाना – प्रत्यर्थी के काउंसेल द्वारा प्राथमिक रूप से यह प्रतिवाद करते हुए कि अंतरिम भरणपोषण का उक्त आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और इसलिए उसके विरुद्ध फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका कायम रखे जाने योग्य नहीं है – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि कुटुम्ब न्यायालय का उक्त आदेश मात्र एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है अपितु वह एक मध्यवर्ती आदेश की प्रकृति का आदेश है और इसलिए पुनरीक्षण याचिका कायम रखे जाने योग्य है, इसके अतिरिक्त, याची सं. 1/पत्नी स्वयं एक सरकारी सेवक है

और उसकी मासिक आय लगभग 60,000/- रुपए है, किन्तु उसके पुत्र द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उसे अपने निजी व्ययों के अलावा अपने पुत्र की शिक्षा तथा अन्य व्ययों से संबंधित संपूर्ण व्ययों का अकेले ही वहन करना पड़ रहा है, पुत्र अभी अध्ययन कर रहा है और उसने हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, अतः, वर्तमान मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को तथा बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए याची सं. 1/पत्नी, याची सं. 2/पुत्र द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से उसके द्वारा उसकी स्नातक डिग्री पूरा करने तक या उस समय तक जबकि वह कुछ उपार्जन करना आरंभ करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, 15,000/- रुपए प्रतिमास के अंतरिम भरणपोषण की हकदार है ।

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची सं. 1 का विवाह तारीख 11 नवम्बर, 1997 को वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी के साथ अनुष्ठापित हुआ था । उनके वैवाहिक संबंधों से दो बालकों का जन्म हुआ अर्थात् याची सं. 2 और 3 जिनकी जन्म की तारीख क्रमश: 14 अगस्त, 2000 और 14 अगस्त, 2002 है । वर्तमान मामले की याची सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच कतिपय विवाद उत्पन्न हुए । जिसके उपरांत याची सं. 1/पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन भरणपोषण मंजूर किए जाने के लिए एक याचिका फाइल की । प्रत्यर्थी/पति ने विवाह-विच्छेद हेतु एक सिविल वाद संस्थित किया । विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित रहने के दौरान, याची सं. 1/पत्नी ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के अधीन भरणपोषण की ईप्सा करते हुए एक याचिका फाइल की । कुटुम्ब न्यायालय ने याचिका सं. 1 को भरणपोषण प्रदान करने से इनकार कर दिया तथा दो बालकों के लिए प्रतिमास 7,000/- रुपए का भरणपोषण मंजूर किया जिसे उसके पश्चात् बढ़ाकर 13,000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया गया । याची और प्रत्यर्थी को तारीख 28 नवम्बर, 2011 को विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर की गई । याची सं. 1/पत्नी ने विवाह-विच्छेद की डिक्री को चुनौती देते हुए वर्ष 2012 की वैवाहिक अपील सं. 6 को फाइल किया, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

न्यायालय ने अपने तारीख 25 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया कि वह याची सं. 2 और 3 में से प्रत्येक को 15,000/- रुपए के भरणपोषण का संदाय करे । प्रत्यर्थी ने पुन: विवाह कर लिया है और दूसरे विवाह से उसका एक बालक भी है । अत:, आदेश से व्यथित होकर याचियों ने उसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुनने तथा मामले की संपूर्ण परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सर्वप्रथम, इस विवाद्यक पर विचार करना आवश्यक है कि क्या आक्षेपित आदेश अंतर्वर्ती आदेश है और इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती । इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसा कोई आदेश जो सारवान् रूप से किसी अभियुक्त के अधिकारों को प्रभावित करता है और पक्षकारों के कतिपय अधिकारों के संबंध में विनिश्चय करता है, अंतर्वर्ती आदेश के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका पुनरीक्षण वर्जित हो । तथापि, साक्षियों को समन करने वाले आदेश, मामलों को आस्थगित करने वाले आदेश, जमानत के लिए पारित किए जाने वाले आदेश, रिपोर्टों को मंगाने के लिए जारी किए जाने वाले आदेश और लंबित कार्यवाहियों को समाप्त करने में सहायता के लिए उठाए जाने वाले अन्य उपायों को अंतर्वर्ती आदेश माना जाता है, जिनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के अधीन कोई पुनरीक्षण याचिका फाइल नहीं की जा सकती । इसके विपरीत, ऐसे आदेश, जो किसी मामले में उद्भूत हुए विषयों के संबंध में विनिश्चय करते हैं और जो अभियुक्त के अधिकारों को प्रभावित या उनके संबंध में अधिनिर्णय प्रस्तुत करते हैं या वे विचारण के किसी विशिष्ट पहलू को प्रभावित करते हैं, अंतर्वर्ती आदेश के रूप में नहीं माने जा सकते । अत: आक्षेपित आदेश एक मध्यवर्ती या अर्ध अंतिम आदेश की प्रकृति का आदेश है और इसलिए वर्तमान याचिका कायम रखे जाने योग्य है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का मुख्य उद्देश्य किसी परित्यक्त पत्नी को एक त्वरित उपचार के माध्यम से खाना, वस्त्र और

आश्रय उपलब्ध कराके उसके भटकाव और निराश्रयता का निवारण करना है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य किसी ऐसी महिला के अवसाद और वित्तीय अभाव को कम करना है, जिसने अपने वैवाहिक घर का परित्याग कर दिया है जिससे कि उसके लिए इस प्रभाव की कोई व्यवस्था की जा सके कि वह अपना और अपने बालकों का गुजर-बसर कर सके । चूंकि अंतरिम भरणपोषण मंजूर करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि परित्यक्त पत्नी और बालक भुखमरी का शिकार न हों, इसलिए न्यायालयों से अंतरिम भरणपोषण की रकम निर्धारित किए जाने के समय यह आशा नहीं की जाती कि वे ऐसे गहरे और ब्यौरेवार तथ्यों पर विचार करेंगे, जिन्हें अंततोगत्वा पक्षकारों द्वारा साबित किया जाना है । जहां तक याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवाद का संबंध है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय को यह लेखबद्ध करने के पश्चात् कि दोनों बालकों में से प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा अर्जित वेतन के 25 प्रतिशत का हकदार है, कुटुम्ब न्यायालय को वेतन की रकम का आगे और विभाजन नहीं करना चाहिए था और प्रत्यर्थी के दायित्व को केवल उसके वेतन की रकम के 12.5 प्रतिशत तक सीमित नहीं करना चाहिए था, स्वीकार नहीं किया जा सकता । शेष रकम का प्रबंध पत्नी अर्थात् वर्तमान मामले की याची सं. 1 को करना होगा, जो स्वयं आय अर्जित करती है और समान रूप से बालकों के लिए उत्तरदायी है । प्रत्यर्थी ने पुन: विवाह कर लिया है और दूसरे विवाह से उसका एक पुत्र भी है । उच्च न्यायालय इस तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता कि प्रत्यर्थी का, अपने दूसरे विवाह से पैदा हुए बालक के प्रति भी समान प्रकार का उत्तरदायित्व है । दूसरे विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी के बालक के जन्म की तारीख के पश्चात् रकम में की गई कमी भी उचित प्रतीत होती है और उच्च न्यायालय को कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिए जाने के तर्क में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है और इसलिए इस प्रक्रम पर कुटुम्ब न्यायालय के उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने वर्तमान मामले की याची सं. 1 को भरणपोषण मंजूर करने से इस आधार पर इनकार किया है कि याची सं. 1 दिल्ली नगर निगम में उच्च

श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर रही और वह स्वयं के लिए पर्याप्त रूप से उपार्जन कर रही है । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक जीवन के स्तर का संबंध है, जिस समय याची सं. 1 और प्रत्यर्थी के विवाह में विवाद उत्पन्न हुआ तो वह किस स्तर के मानक का जीवन व्यतीत कर रही थी, यह एक तथ्य संबंधी प्रश्न है और इस पर उस समय विचार करना होगा जब दोनों पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा । याची सं. 1 दिल्ली नगर निगम में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर रही है और उसका वेतन लगभग 60,000/- रुपए प्रतिमास है । अभिलेखों से यह तथ्य उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी ने अपना वेतन प्रमाणपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित होता है कि नवम्बर, 2020 में उसकी कुल मासिक आय 1,67,920/- रुपए थी । उसके दोनों बालक अपनी माता के साथ निवास कर रहे हैं । वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् याची सं. 2/पुत्र के संपूर्ण व्यय का वहन याची सं. 1 द्वारा किया जा रहा है । याची सं. 1 को याची सं. 2 से संबंधित संपूर्ण व्यय के वहन का प्रबंध करना पड़ता है, जो वयस्क तो हो गया किन्तु उसने अभी उपार्जन आरंभ नहीं किया है क्योंकि वह अभी तक अध्ययन कर रहा है । अतः, विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि चूंकि याची सं. 2 के प्रति वर्तमान में प्रत्यर्थी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं प्रदान कर रहा है इसलिए याची सं. 1 द्वारा उपार्जित वेतन याची सं. 1 द्वारा स्वयं का भरणपोषण करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा । यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता कि 18 वर्ष की आयु में याची सं. 2 की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है और याची सं. 2 वर्तमान में स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है । याची सं. 2, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और इसलिए याची सं. 1 को याची सं. 2 की पूर्ण रूप से देखभाल करनी पड़ती है तथा उसके संपूर्ण व्ययों का वहन करना पड़ता है । यह कहना तर्कपूर्ण नहीं होगा कि किसी पिता का दायित्व उस समय समाप्त हो जाता है जब उसका पुत्र 18 वर्ष की आयु

प्राप्त कर लेता है और उसकी शिक्षा और अन्य व्ययों का संपूर्ण बोझ केवल उसकी माता को वहन करना चाहिए । माता द्वारा उपार्जित वेतन की रकम उसके स्वयं के व्ययों और उसके बालकों के व्ययों में खर्च होती है जिनमें पिता का, पुत्र द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् योगदान शून्य हो गया है । न्यायालय वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती आजीविका की लागत के तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता । यह आशा करना तर्कसंगत नहीं है कि केवल माता ही न केवल अपना स्वयं के खर्च वहन करेगी अपितु अपने पुत्र के संपूर्ण व्ययों का भी वहन करेगी तथा साथ ही पिता द्वारा अपनी पुत्री को दी जा रही भरणपोषण की लघु रकम के साथ पुत्री का भी शेष संपूर्ण खर्च वह स्वयं वहन करेगी । याची सं. 1 का वेतन तीन सदस्यों के कुटुम्ब, अर्थात् माता और दो बालकों की युक्तियुक्त आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है । याची सं. 2 के संबंध में व्यय की जा रही रकम याची सं. 1 के लिए उपलब्ध नहीं होगी । अत:, यह न्यायालय याची सं. 1 को, याची सं. 2 द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से उसके द्वारा उसकी स्नातक डिग्री पूरा करने तक या उस समय तक जबकि वह कुछ उपार्जन आरंभ करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अंतरिम भरणपोषण के रूप में 15,000/- रुपए प्रतिमास की राशि मंजूर करता है । वर्तमान याचिका वर्ष 2008 में फाइल की गई थी । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानी रूप से इस आदेश की प्रति की प्राप्ति से 12 मास के भीतर याचिका का निपटारा करे । तद्नुसार, पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से मंजूर की जाती है तथा लंबित आवेदन का उपरोक्तानुसार निपटारा किया जाता है । (पैरा 4, 8, 9, 10, 11, 12, और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 6 एस. सी. सी. 353 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2875 :
भुवन मोहन सिंह बनाम **मीना** ; 8

[2012] 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 4816 :
मनीष अग्रवाल बनाम **सीमा अग्रवाल** ; 4

[2008] (2008) 2 एस. सी. सी. 316 =
ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 530 :
चतुर्भुज बनाम **सीता बाई** । 8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 549.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा तारीख 21 अप्रैल, 2018 को पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

याचियों की ओर से श्री प्रवीण सूरी और सुश्री कोमल छिब्बर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री दिग्विजय राय और अमन यादव

न्यायमूर्ति सुब्रामोनियम प्रसाद – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा तारीख 21 अप्रैल, 2018 को पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् अपर प्रधान न्यायाधीश ने वर्तमान मामले की याची सं. 1/पत्नी को भरणपोषण प्रदान करने से इनकार किया था तथा केवल याची सं. 2 और 3 को भरणपोषण मंजूर किया था ।

2. वर्तमान याचिका को फाइल किए जाने को आवश्यक बनाने वाले कारण निम्नानुसार हैं :–

(क) याची सं. 1 का विवाह तारीख 11 नवम्बर, 1997 को वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी के साथ अनुष्ठापित हुआ था । उनके वैवाहिक संबंधों से दो बालकों का जन्म हुआ अर्थात् याची सं. 2 और 3 जिनकी जन्म की तारीख क्रमश: 14 अगस्त, 2000 और 14 अगस्त, 2002 है ।

(ख) वर्तमान मामले की याची सं. 1 और प्रत्यर्थी के बीच कतिपय विवाद उत्पन्न हुए । जिसके उपरांत याची सं. 1/पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन भरणपोषण मंजूर किए जाने के लिए एक याचिका फाइल की ।

(ग) प्रत्यर्थी/पति ने विवाह-विच्छेद हेतु एक सिविल वाद संस्थित किया ।

(घ) विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित रहने के दौरान, याची सं. 1/पत्नी ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 24 के अधीन भरणपोषण की ईप्सा करते हुए एक याचिका फाइल की । कुटुम्ब न्यायालय ने याचिका सं. 1 को भरणपोषण प्रदान करने से इनकार कर दिया तथा दो बालकों के लिए प्रतिमास 7,000/- रुपए का भरणपोषण मंजूर किया जिसे उसके पश्चात् बढ़ाकर 13,000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया गया ।

(ङ) याची और प्रत्यर्थी को तारीख 28 नवम्बर, 2011 को विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर की गई ।

(च) याची सं. 1/पत्नी ने विवाह-विच्छेद की डिक्री को चुनौती देते हुए वर्ष 2012 की वैवाहिक अपील सं. 6 को फाइल किया, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है । न्यायालय ने अपने तारीख 25 मार्च, 2015 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को यह निदेश दिया कि वह याची सं. 2 और 3 में से प्रत्येक को 15,000/- रुपए के भरणपोषण का संदाय करे ।

(छ) प्रत्यर्थी ने पुन: विवाह कर लिया है और दूसरे विवाह से उसका एक बालक भी है ।

(ज) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि याची सं. 1 और प्रत्यर्थी, दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं । आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के समय याची सं. 1 दिल्ली नगर निगम में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर रही थी और प्रत्यर्थी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के पद पर कार्य कर रहा था । याची सं. 1 द्वारा वर्ष 2016 में फाइल किए गए शपथ पत्र के अनुसार, याची सं. 1 की मासिक आय 43,792/- रुपए प्रतिमाह है और

उसने यह कथन किया है कि उसका मासिक व्यय 75,000/- रुपए है । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी शुद्ध आय 37,762/- रुपए है । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 6 फरवरी, 2016 को फाइल किए गए शपथ पत्र के अनुसार वह 96,089/- रुपए प्रतिमास के कुल वेतन का अर्जन कर रहा था ।

(झ) याची सं. 1 ने 40,000/- रुपए प्रतिमास की राशि का दावा करते हुए अंतरिम भरणपोषण मंजूर किए जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने विभिन्न कारकों पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि याची सं. 1 स्वयं के लिए पर्याप्त रूप से धन अर्जित कर रही है इसलिए वह किसी भरणपोषण की हकदार नहीं है । जहां तक याची सं. 2 और याची सं. 3 का संबंध है, विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने प्रत्यर्थी की आय को चार अंशों में विभाजित किया तथा उसमें से दो अंशों को प्रत्यर्थी के लिए रखा गया जबकि दोनों बालकों में से प्रत्येक को 25 प्रतिशत अंश मंजूर किया गया । प्रत्येक बालक के लिए उक्त 25 प्रतिशत के अंश में से, जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है, प्रत्यर्थी को अपनी कुल आय, जिसमें से न्यूनतम कानूनी कटौतियों को, जिनकी संगणना प्रत्यर्थी के नियोजक द्वारा की जानी होती है, घटा दिया गया हो, में से प्रत्येक बालक को 12.5 प्रतिशत अंश का संदाय करना था । इसके अतिरिक्त, विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यह निदेश भी दिया गया कि याची सं. 2 अर्थात् पक्षकारों का पुत्र वयस्कता की आयु प्राप्त करने तक तथा याची सं. 3, अर्थात् पक्षकारों की पुत्री नियोजन प्राप्त करने तक या उसका विवाह होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, भरणपोषण के लिए हकदार होंगे । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि चूंकि प्रत्यर्थी को अपने दूसरे विवाह से जन्म लेने वाले अपने पुत्र का भी भरणपोषण करना है इसलिए यह निदेश दिया गया कि दूसरे विवाह से पैदा हुए उसके पुत्र की जन्म की तारीख से, याची सं. 1 के साथ हुए विवाह से पैदा हुए दो बालकों में से प्रत्येक के लिए प्रत्यर्थी का अंश केवल 10 प्रतिशत होगा क्योंकि उसके संपूर्ण वेतन को पांच अंशों में

विभाजित किया गया था (दो अंश प्रत्यर्थी के लिए तथा तीन अंश प्रत्येक बालक के लिए) । कुटुम्ब न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी की दूसरी पत्नी भी नियोजन में है, इसलिए वह भी अपने पुत्र के भरणपोषण के लिए 50 प्रतिशत अंश प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है, इस प्रकार दूसरे विवाह से पैदा हुए बालक के प्रति वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी का अंश केवल 10 प्रतिशत रह जाता है । तारीख 21 अप्रैल, 2018 को पारित किया गया आदेश निम्नानुसार है –

> '8. इस प्रक्रम पर याची सं. 1 को अंतरिम भरणपोषण प्रदान किए जाने से इनकार किया जाता है क्योंकि वह एक समर्थवान महिला है जो स्वयं के लिए पर्याप्त रूप से उपार्जन कर रही है और जहां तक प्रत्यर्थी की हैसियत के अनुसार जीवन-स्तर के मानकों का संबंध है, यह एक तथ्य से संबंधित प्रश्न है और इसमें विचारणीय विवाद्यक अंतर्वलित है तथा इस संबंध में विचारण के पश्चात् अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा कि क्या याची सं. 1 भरणपोषण के लिए हकदार है अथवा नहीं ।
>
> 9. जहां तक याची सं. 2 और 3 का संबंध है, प्रत्यर्थी की आय को 25 प्रतिशत की दर से चार अंशों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् दो अंश उसके स्वयं के लिए और एक-एक अंश पहले विवाह से पैदा हुए दो बालकों के लिए तथा प्रत्येक बालक के लिए उक्त 25 प्रतिशत अंश में से 50 प्रतिशत राशि का संदाय प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्येक बालक के लिए किया जाएगा । इस प्रकार प्रत्यर्थी अपनी कुल आय, जिसमें से प्रत्यर्थी के नियोजक द्वारा संगणित की जाने वाली न्यूनतम कटौतियों को घटा दिया गया है, में से दोनों बालकों में से प्रत्येक को 12.5 प्रतिशत अंश के बराबर राशि का संदाय करने का दायी है । तथापि, बालकों के पक्ष में अंश के विभाजन के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी द्वारा अभिप्राप्त प्रतिपूर्ति की रकम को संगणित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसने स्वयं अपनी ओर से व्यय किया है । याची सं. 2

और 3 आवेदन की तारीख से मामले के लंबित रहने तक की अवधि के दौरान, पूर्वोक्त रीति में प्रत्यर्थी की कुल आय में से प्रत्येक मास 12.5 प्रतिशत अंश के हकदार होंगे । पक्षकारों का पुत्र वयस्कता की आयु प्राप्त करने तक भरणपोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जबकि पक्षकारों की पुत्री तब तक भरणपोषण प्राप्त करेगी जब तक कि उसे नौकरी नहीं मिलती या वह विवाह न कर लेती, इनमें से जो भी पूर्वतर हो । प्रत्यर्थी का अपनी सास और साली को भरणपोषण प्रदान करने संबंधी कोई दायित्व नहीं है क्योंकि वह किसी ऐसी विधिक बाध्यता के अध्यधीन नहीं है । प्रत्यर्थी माता जो कि प्रत्यर्थी की के पिता के सरकारी कर्मचारी होने के कारण पेंशन प्राप्त कर रही हैं इसलिए प्रत्यर्थी वित्तीय रूप से उसका भरणपोषण करने के लिए किसी बाध्यता के अधीन नहीं है ।

10. चूंकि वर्तमान मामले का प्रत्यर्थी अपने वर्तमान विवाह से पैदा हुए पुत्र का भरणपोषण करने के लिए दायी है इसलिए यह आदेश किया जाता है कि दूसरे विवाह से उसके पुत्र के जन्म की तारीख से प्रत्यर्थी का, अपने याची सं. 1 के साथ हुए विवाह से पैदा हुए दो बालकों में से प्रत्येक के लिए कुल आय का 10 प्रतिशत अंश देने का दायित्व होगा क्योंकि उसके संपूर्ण वेतन को, उपरोक्त निबंधनों के अनुसार पांच अंशों (प्रत्यर्थी के लिए दो तथा एक-एक अंश तीनों बालकों के लिए) में विभाजित किए जाने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार प्रत्येक अंश 20 प्रतिशत रकम के समरूप है । प्रत्यर्थी की दूसरी पत्नी भी नौकरी कर रही है और इसलिए वह भी अपने पुत्र के भरणपोषण के प्रति 50 प्रतिशत राशि का संदाय करने के दायित्व के अधीन है और इस प्रकार प्रत्यर्थी का अंश दूसरे विवाह से पैदा हुए उसके पुत्र के लिए उसकी आय का 10 प्रतिशत हो जाता हैं ।'

(ञ) उपरोक्त आदेश को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

(त) यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि पक्षकारों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अनेक याचिकाएं फाइल की गई हैं । यह न्यायालय उन याचिकाओं के ब्यौरों पर विचार नहीं कर रहा क्योंकि वह वर्तमान कार्यवाहियों के संबंध में सुसंगत नहीं हैं ।

3. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह कथन करते हुए प्राथमिक आक्षेप प्रस्तुत किया है कि वर्तमान आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं है और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के अधीन वर्जित है क्योंकि अंतरिम भरणपोषण मंजूर करने वाला आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है । याचियों के विद्वान् काउंसेल ने उक्त तर्क का विरोध किया है ।

4. याचियों के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय द्वारा **मनीष अग्रवाल** बनाम **सीमा अग्रवाल**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है जो निम्नानुसार है :–

"17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अंतरिम भरणपोषण मंजूर किया गया है और इस संबंध में यह विवाद्यक उत्पन्न हुआ है कि क्या इस आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण याचिका फाइल की जा सकती है क्योंकि यह अभिकथन किया गया है कि उक्त आदेश अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति का है । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अंतरिम भरणपोषण मंजूर किए जाने संबंधी आदेश एक मध्यवर्ती या अर्ध अंतिम आदेश की प्रकृति का आदेश है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के उपबंधों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य [(1977) 4 एस. सी. सी. 137 = ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 2185] वाले मामले में अधिकथित निर्णय के बीच समरूपता दर्शित की गई है क्योंकि उक्त उपबंध का अवलंब लिया गया था । इस प्रकार, ऐसा कोई आदेश जो सारवान् रूप से किसी अभियुक्त के अधिकारों को प्रभावित करता है और पक्षकारों के

[1] 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 4816.

कतिपय अधिकारों के संबंध में विनिश्चय करता है, अंतर्वर्ती आदेश के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता जिससे कि उसका पुनरीक्षण वर्जित हो । तथापि, साक्षियों को समन करने वाले आदेश, मामलों को आस्थगित करने वाले आदेश, जमानत के लिए पारित किए जाने वाले आदेश, रिपोर्टों को मंगाने के लिए जारी किए जाने वाले आदेश और लंबित कार्यवाहियों को समाप्त करने में सहायता के लिए उठाए जाने वाले अन्य उपायों को अंतर्वर्ती आदेश माना जाता है, जिनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397(2) के अधीन कोई पुनरीक्षण याचिका फाइल नहीं की जा सकती । इसके विपरीत, ऐसे आदेश, जो किसी मामले में उद्भूत हुए विषयों के संबंध में विनिश्चय करते हैं और जो अभियुक्त के अधिकारों को प्रभावित या उनके संबंध में अधिनिर्णय प्रस्तुत करते हैं या वे विचारण के किसी विशिष्ट पहलू को प्रभावित करते हैं, अंतर्वर्ती आदेश के रूप में नहीं माने जा सकते । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अंतरिम भरणपोषण के लिए फाइल किया गया आवेदन एक पृथक् कार्यवाही है, जिसका निपटारा मुख्य मामले में अंतिम आदेश किए जाने से काफी समय पूर्व किया जाना अपेक्षित है । उक्त विवाद्यक से संबंधित विषय का अंतिम रूप से विनिश्चय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) के दूसरे परंतुक के प्रति निर्देश द्वारा पारित आदेश के माध्यम से किया गया है । इस प्रकार ऐसे आदेश मध्यवर्ती या अर्ध अंतिम आदेश हैं । इसलिए, यदि कोई आदेश किसी मुख्य विवाद को समाप्त नहीं करता है और इसकी बजाय किसी विवाद्यक से संबंधित बिन्दु का निर्णायक रूप से विनिश्चय करता है तो इसे निश्चित रूप से अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता । इस निर्वचन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मधु लिमाय बनाम महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 551 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 47) वाले मामले में किए गए संप्रेक्षणों से भी बल प्राप्त होता है, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया

था कि सामान्य और साधारण अनुक्रम में 'अंतर्वर्ती आदेश' पद से 'अंतिम आदेश' पद का उलटा अर्थ अभिप्रेत है किन्तु इस सिद्धांत का सार्वभौमिक उपयोग और यह निर्वचन कि जो कोई आदेश, 'अंतिम आदेश' नहीं है, वह एक 'अंतर्वर्ती आदेश' है, न तो अपेक्षित और न ही न्यायोचित है । वी. सी. शुक्ला **बनाम** राज्य [1980] 2 एस. सी. आर. 380 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 962 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त 'अंतर्वर्ती आदेश' पद का निर्वचन, विचारण में पूर्ण रूप से निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त के पक्ष में निर्मुक्त संरचना प्रदान करते हुए किया जाना चाहिए तथा यदि ऐसा आदेश शुद्ध रूप से अंतर्वर्ती आदेश न होकर कोई मध्यवर्ती या अर्ध अंतिम आदेश है तो पुनरीक्षण संबंधी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

*** *** ***

26. इस प्रकार, हम निम्नानुसार निष्कर्ष पर पहुंचे हैं :–

(i) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 24 से धारा 27 के अधीन पारित किए गए आदेशों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस न्यायालय की खंडपीठ को अपील की जा सकेगी क्योंकि ऐसे आदेश अंतर्वर्ती आदेशों की प्रकृति की हैं । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) केवल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के संबंध में और न कि उपधारा (4) के संबंध में लागू है ।

(ii) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट आज्ञा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 (धारा 125 से धारा 128) के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन कोई अपील नहीं की जाएगी ।

(iii) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से धारा 128 के अधीन पारित दोनों प्रकार के अंतरिम और अंतिम आदेश के संबंध में दांडिक पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध होगा ।

(iv) पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किए जाने वाले ऐसे सभी आदेश, जो मध्यवर्ती आदेश की प्रकृति के हैं और जो मात्र अंतर्वर्ती आदेश नहीं हैं, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अपीली अधिकारिता के अध्यधीन होंगे ।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विवाद्यक अब कोई पूर्ण सत्य बात नहीं है और वह अब पूर्णत: याचियों के पक्ष में है और इस प्रकार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका कायम रखे जाने योग्य है ।

5. याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् प्रत्येक बालक प्रत्यर्थी की कुल आय के 25 प्रतिशत के बराबर रकम का हकदार है, उक्त रकम का आगे और विभाजन नहीं करना चाहिए था तथा प्रत्यर्थी के दायित्व को, प्रत्यर्थी द्वारा अर्जित वेतन की रकम के 12.5 प्रतिशत तक उक्त दायित्व को सीमित नहीं करना चाहिए था । याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी प्रतिवाद किया गया है कि प्रत्येक बालक प्रत्यर्थी द्वारा अर्जित वेतन के संपूर्ण 25 प्रतिशत के बराबर रकम का हकदार है । याचियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने कार्यवाहियों के दौरान यह भी प्रतिवाद प्रस्तुत किया है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने याची सं. 2/पुत्र को मंजूर किए जाने वाले भरणपोषण को, उसके द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने तक सीमित करके भी त्रुटि की है । याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी प्रतिवाद किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का निर्वचन ऐसी रीति में किया जाना चाहिए जिससे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उद्देश्यों की पूर्ति हो । याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा अंतत: यह प्रतिवाद किया गया कि किसी पिता की अपने बालक

की देखभाल करने का उत्तरदायित्व बालक के वयस्क होने के पश्चात् उस समय समाप्त नहीं हो जाता, यदि बालक स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है ।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई दोष अथवा त्रुटि विद्यमान नहीं है और यह एक युक्तियुक्त आदेश है । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि आज की तारीख तक प्रत्यर्थी द्वारा याची सं. 2 और 3 को संदत्त की गई कुल रकम लगभग 29,25,825/- रुपए है, जो कि उस रकम से काफी अधिक है जिसके संबंध में विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि याची सं. 1 के पास अपने वेतन के अलावा अनेक परिसंपत्तियां भी हैं और इसके अलावा वह अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त करती है तथा उसका सकल उपार्जन उसके वेतन तक ही सीमित नहीं है ।

7. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री प्रवीण सूरी को सुना और साथ ही प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री दिग्विजय राय को भी सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रयोजन को अधिकथित किया है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का मुख्य उद्देश्य किसी परित्यक्त पत्नी को एक त्वरित उपचार के माध्यम से खाना, वस्त्र और आश्रय उपलब्ध कराके उसके भटकाव और निराश्रयता का निवारण करना है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य किसी ऐसी महिला के अवसाद और वित्तीय अभाव को कम करना है, जिसने अपने वैवाहिक घर का परित्याग कर दिया है जिससे कि उसके लिए इस प्रभाव की कोई व्यवस्था की जा सके कि वह अपना और अपने बालकों की गुजर-बसर कर सके (**चतुर्भुज** बनाम **सीता बाई**[1] और **भुवन मोहन सिंह** बनाम **मीना**[2] वाले मामलों का संदर्भ लें) ।

---

[1] (2008) 2 एस. सी. सी. 316 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 530.

[2] (2015) 6 एस. सी. सी. 353 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2875.

9. चूंकि अंतरिम भरणपोषण मंजूर करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि परित्यक्त पत्नी और बालक भुखमरी का शिकार न हों, इसलिए न्यायालयों से अंतरिम भरणपोषण की रकम निर्धारित किए जाने के समय यह आशा नहीं की जाती कि वे ऐसे गहरे और ब्यौरेवार तथ्यों पर विचार करेंगे, जिन्हें अंततोगत्वा पक्षकारों द्वारा साबित किया जाना है ।

10. जहां तक याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवाद का संबंध है कि विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय को यह लेखबद्ध करने के पश्चात् कि दोनों बालकों में से प्रत्येक प्रत्यर्थी द्वारा अर्जित वेतन के 25 प्रतिशत का हकदार है, कुटुम्ब न्यायालय को वेतन की रकम का आगे और विभाजन नहीं करना चाहिए था और प्रत्यर्थी के दायित्व को केवल उसके वेतन की रकम के 12.5 प्रतिशत तक सीमित नहीं करना चाहिए था, स्वीकार नहीं किया जा सकता । शेष रकम का प्रबंध पत्नी अर्थात् वर्तमान मामले की याची सं. 1 को करना होगा, जो स्वयं आय अर्जित करती है और समान रूप से बालकों के लिए उत्तरदायी है । प्रत्यर्थी ने पुन: विवाह कर लिया है और दूसरे विवाह से उसका एक पुत्र भी है । यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता कि प्रत्यर्थी का, अपने दूसरे विवाह से पैदा हुए बालक के प्रति भी समान प्रकार का उत्तरदायित्व है । दूसरे विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी के बालक के जन्म की तारीख के पश्चात् रकम में की गई कमी भी उचित प्रतीत होती है और हमें कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिए जाने के तर्क में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है और इसलिए इस प्रक्रम पर कुटुम्ब न्यायालय के उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

11. विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने वर्तमान मामले की याची सं. 1 को भरणपोषण मंजूर करने से इस आधार पर इनकार किया है कि याची सं. 1 दिल्ली नगर निगम में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर रही और वह स्वयं के लिए पर्याप्त रूप से उपार्जन कर रही है । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक जीवन

के स्तर का संबंध है, जिस समय याची सं. 1 और प्रत्यर्थी के विवाह में विवाद उत्पन्न हुआ तो वह किस स्तर के मानक का जीवन व्यतीत कर रही थी, यह एक तथ्य संबंधी प्रश्न है और इस पर उस समय विचार करना होगा जब दोनों पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाएगा ।

12. याची सं. 1 दिल्ली नगर निगम में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य कर रही है और उसका वेतन लगभग 60,000/- रुपए प्रतिमास है । अभिलेखों से यह तथ्य उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी ने अपना वेतन प्रमाणपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित होता है कि नवम्बर, 2020 में उसकी कुल मासिक आय 1,67,920/- रुपए थी । उसके दोनों बालक अपनी माता के साथ निवास कर रहे हैं । वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् याची सं. 2/पुत्र के संपूर्ण व्यय का वहन याची सं. 1 द्वारा किया जा रहा है । याची सं. 1 को याची सं. 2 से संबंधित संपूर्ण व्यय के वहन का प्रबंध करना पड़ता है, जो वयस्क तो हो गया किन्तु उसने अभी उपार्जन आरंभ नहीं किया है क्योंकि वह अभी तक अध्ययन कर रहा है । अत:, विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय इस तथ्य का मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि चूंकि याची सं. 2 के प्रति वर्तमान में प्रत्यर्थी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं प्रदान कर रहा है इसलिए याची सं. 1 द्वारा उपार्जित वेतन याची सं. 1 द्वारा स्वयं का भरणपोषण करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा । यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता कि 18 वर्ष की आयु में याची सं. 2 की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है और याची सं. 2 वर्तमान में स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है । याची सं. 2, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और इसलिए याची सं. 1 को याची सं. 2 की पूर्ण रूप से देखभाल करनी पड़ती है तथा उसके संपूर्ण व्ययों का वहन करना पड़ता है । यह कहना तर्कपूर्ण नहीं होगा कि किसी पिता का दायित्व उस समय समाप्त हो जाता है जब उसका पुत्र 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और उसकी शिक्षा और अन्य व्ययों का संपूर्ण बोझ केवल उसकी माता को वहन

करना चाहिए । माता द्वारा उपार्जित वेतन की रकम उसके स्वयं के व्ययों और उसके बालकों के व्ययों में खर्च होती है जिनमें पिता का, पुत्र द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् योगदान शून्य हो गया है । न्यायालय वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती आजीविका की लागत के तथ्य के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकता । यह आशा करना तर्कसंगत नहीं है कि केवल माता ही न केवल अपना स्वयं के खर्च वहन करेगी अपितु अपने पुत्र के संपूर्ण व्ययों का भी वहन करेगी तथा साथ ही पिता द्वारा अपनी पुत्री को दी जा रही भरणपोषण की लघु रकम के साथ पुत्री का भी शेष संपूर्ण खर्च वह स्वयं वहन करेगी । याची सं. 1 का वेतन तीन सदस्यों के कुटुम्ब, अर्थात् माता और दो बालकों की युक्तियुक्त आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है । याची सं. 2 के संबंध में व्यय की जा रही रकम याची सं. 1 के लिए उपलब्ध नहीं होगी । अतः, यह न्यायालय याची सं. 1 को, याची सं. 2 द्वारा वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से उसके द्वारा उसकी स्नातक डिग्री पूरा करने तक या उस समय तक जबकि वह कुछ उपार्जन आरंभ करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अंतरिम भरणपोषण के रूप में 15,000/- रुपए प्रतिमास की राशि मंजूर करता है । वर्तमान याचिका वर्ष 2008 में फाइल की गई थी । विद्वान् कुटुम्ब न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह यथा संभव शीघ्रता से, अधिमानी रूप से इस आदेश की प्रति की प्राप्ति से 12 मास के भीतर याचिका का निपटारा करे ।

13. तद्नुसार, पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से मंजूर की जाती है तथा लंबित आवेदन का उपरोक्तानुसार निपटारा किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

पु.

भारत संघ मार्फत पुलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, चेन्नई

बनाम

विवेकानंदन उर्फ विवेक उर्फ राजा उर्फ बालन

[2021 की अपील (दांडिक) सं. 272]

तारीख 28 जून, 2021

न्यायमूर्ति पी. एन. प्रकाशन और न्यायमूर्ति आर. पोंगिअप्पन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 167(2) [सपठित अविधिपूर्ण क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43(घ)(2) तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 6] – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध 90 दिन की कानूनी अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसे व्यतिक्रम जमानत पर रिहा किया जाना – वर्तमान मामले में अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर रोषकारी पोस्ट अपलोड किया जाना – प्रारंभ में मामले का अन्वेषण स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाना किन्तु उसके पश्चात् मामले को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को अंतरित किया जाना – अभियुक्त को एनआईए अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय की बजाय अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश हेतु नियमित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना – 90 दिन की अवधि के अवसान पर अभियुक्त द्वारा व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन फाइल किया जाना जब कि एनआईए द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा की अवधि के विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना – लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष दो अपराधों को संयोजित करते हुए एक त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना – इसी दौरान अभियुक्त को जमानत मंजूर करते हुए तथा एनआईए के अभिरक्षा को विस्तारित करने के आवेदन को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा दो आदेश पारित किया

जाना – एनआईए द्वारा उक्त दोनों आदेशों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – यह अभिनिर्धारित किया जाना कि राज्य ने अत्यंत लापरवाह रीति में कार्य करते हुए एक कैदी के कानूनी अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया है और राज्य द्वारा की गई कार्यवाही में अनेक प्रकार की त्रुटियां विद्यमान हैं और इसलिए निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत मंजूर करते हुए पारित किए जाने वाले आदेश में कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है और इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विवेकानंदन **उर्फ** विवेक (अभियुक्त सं. 1/प्रत्यर्थी) ने अभिकथित रूप से अपने फेसबुक अकाउंट में एक रोषकारी पोस्ट अपलोड की, जिसके लिए पुलिस निरीक्षक, तल्लाकुल्लम पुलिस थाना, मदुरै में अविधिपूर्ण क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 505(1)(ख) के अधीन अपराध करने के लिए विवेक (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध दांडिक अपराध सं. 1916/2020 रजिस्टर किया गया और उसके पश्चात् उसे तारीख 16 दिसम्बर, 2020 को गिरफ्तार करके न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उसे अभिरक्षा में सौंप दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, समय-समय पर विवेक (अभियुक्त सं. 1) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन समय-समय पर न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित करते रहे हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन व्यतिक्रम जमानत मंजूर करने हेतु 90 दिन की अवधि विहित की गई है और वर्तमान मामले में उक्त 90 दिन की अवधि तारीख 15 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही थी । इसी दौरान केन्द्रीय सरकार ने तारीख 12 मार्च, 2021 के एक आदेश द्वारा तल्लाकुल्लम पुलिस थाने के वर्ष 2020 के अपराध मामला सं. 1916 के मामले का अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दिया था तथा एनआईए ने तारीख 14 मार्च, 2021 को अपनी प्रक्रिया के अनुसार उक्त मामले को यूएपी अधिनियम की धारा 13(1)(ख) तथा दंड संहिता की धारा 15(1)(ख) के अधीन आरसी/07/2021/एनआईए/ डीएलआई

के रूप में पुन: रजिस्ट्रीकृत किया । तथापि, पुलिस निरीक्षक, तल्लाकुल्लम, पुलिस थाने ने एनआईए अधिनियम की धारा 6(7) और धारा 10 के निबंधनानुसार मामले के अन्वेषण संबंधी कार्यवाही को जारी रखा । ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो वर्ष 2020 के दांडिक मामला सं. 2594 के रूप में है, को दर्ज किया गया, जिसमें राज्य पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे उक्त मामले में समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए । तारीख 15 मार्च, 2021 को, तल्लाकुल्लम पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने 2020 के दांडिक मामला सं. 1916 और दांडिक मामला सं. 2594 में यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन प्रधान सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि यूएपी अधिनियम के अधीन प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय एक विचारण न्यायालय है । यहां यह कथन करना अनिवार्य है कि विवेक को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै द्वारा वर्ष 2020 के दांडिक मामला सं. 1916 में समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए थे, जबकि स्थानीय पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने प्रधान जिला न्यायालय, मदुरै के समक्ष 90 दिन की विहित अवधि से परे अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने का अनुरोध करते हुए यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया था जहां उक्त मामले से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे । लोक अभियोजक ने दोनों मामलों, अर्थात् 2020 के अपराध मामला सं. 1916 और 2020 के अपराध मामला सं. 2594 के संबंध में प्रधान जिला न्यायालय, मदुरै के समक्ष 90 दिन की विहित अवधि को बढ़ाकर 180 दिन तक अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने का अनुरोध करते हुए यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका प्रस्तुत की थी । प्रधान जिला न्यायाधीश, मदुरै ने इस आधार पर याचिका को लौटा दिया कि लोक अभियोजक द्वारा प्रत्येक अपराध मामला सं. के लिए पृथक् रूप से यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन व्यष्टिक रिपोर्टें फाइल की जानी चाहिए ।

तद्नुसार, विद्वान् लोक अभियोजक ने तारीख 16 मार्च, 2021 को यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन दो पृथक् याचिकाएं (रिपोर्टें) प्रस्तुत की, जिसमें विवेक (अभियुक्त सं. 1) को सूचना जारी करने का आदेश दिया गया । यह अभिकथन किया गया है कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) ने कारागार में सूचना को उस समय लेने से इनकार कर दिया जब पुलिस ने उक्त सूचना को उसे तामील करने का प्रयास किया और इसलिए उक्त सूचना को यह पृष्ठांकित करते हुए लौटा दिया गया कि अभियुक्त ने उसे लेने से इनकार कर दिया है । चूंकि तारीख 15 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व न तो राज्य पुलिस और न ही एनआईए द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, अत:, विवेक (अभियुक्त सं. 1) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत के लिए एक याचिका फाइल की, किन्तु विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर याचिका को लौटा दिया कि मामले को एनआईए को अंतरित कर दिया गया है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा स्थानीय पुलिस की ओर से यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन वर्ष 2021 के तल्लाकुल्लम पुलिस थाने के अपराध मामला सं. 1916 में प्रधान सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष जिस याचिका को, यह अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था कि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाए, उस याचिका को वर्ष 2021 के दांडिक एमपी सं. 1924 के रूप में फाइल पर लिया गया और उसे तारीख 19 मार्च, 2021 के एक आदेश द्वारा मंजूर कर दिया गया । तमिलनाडु राज्य में, पूनामल्ली में बम विस्फोट संबंधी मामलों के विचारण के लिए एक सेशन न्यायालय को एनआईए अधिनियम के अधीन एक विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है । अत:, तल्लाकुल्लम पुलिस थाने के वर्ष 2021 के अपराध मामला सं. 1916 से संबंधित अभिलेखों को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के न्यायालय से तारीख 8 अप्रैल, 2021 को विशेष न्यायालय पुनामल्ली की फाइल पर अंतरित किया गया । इसके अतिरिक्त, विवेक (अभियुक्त सं. 1) को अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी कार्यवाहियों को भी

न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै की फाइल से विशेष न्यायालय पुनामल्ली को अंतरित किया गया । विशेष न्यायालय पूनामल्ली के समक्ष एनआईए ने तारीख 20 अप्रैल, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन विवेक (अभियुक्त सं. 1) को पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया, जिसे वर्ष 2021 के दांडिक एमपी सं. 168 के रूप में फाइल पर रखा गया । विवेक ने भी विशेष न्यायालय पूनामल्ली के समक्ष तारीख 26 अप्रैल, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे 2021 के दांडिक एमपी सं. 181 के रूप में फाइल पर रखा गया । उक्त आवेदन में अभियुक्त द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई कि उसे अभिरक्षा में रखे जाने की 90 दिन की अवधि तारीख 15 मार्च, 2021 को समाप्त हो गई थी और उसके पश्चात् उसने तारीख 17 मार्च, 2021 को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै, जिसके द्वारा उसे समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए थे, के समक्ष एक जमानत आवेदन फाइल किया था किन्तु मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर उक्त आवेदन में कोई आदेश पारित नहीं किया कि मामले को एनआईए को अंतरित कर दिया गया है और इस प्रकार उसे जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के उसके अपरिहार्य अधिकार से वंचित रखा गया है । विशेष न्यायालय पूनामल्ली ने विवेक (अभियुक्त सं. 1) द्वारा फाइल किए गए 2021 के दांडिक एमपी सं. 181, जिसके माध्यम से उसने उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था और एनआईए द्वारा फाइल किए गए वर्ष 2021 के दांडिक एमपी सं. 168, जिसके माध्यम से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाने का अनुरोध किया गया था, की सुनवाई की और तारीख 5 मई, 2021 को दो पृथक् आदेश पारित किए, जिनके माध्यम से विवेक (अभियुक्त सं. 1) को जमानत मंजूर की गई तथा एनआईए द्वारा अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आवेदन को इस आधार पर नामंजूर किया गया कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को जमानत मंजूर कर दी गई है । यद्यपि, 2021 की दांडिक अपील सं. 275 को 2021 की दांडिक एमपी सं. 181 में पारित तारीख 5 मई, 2021 के आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है,

वहीं 2021 की दांडिक अपील सं. 272 को 2021 की दांडिक एमपी सं. 168 में पारित तारीख 5 मई, 2021 के आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है । उच्च न्यायालय ने संपूर्ण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् दोनों दांडिक अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्तमान मामले में कोई तत्परता नहीं बरती गई है । विवेक को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै द्वारा समय समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को प्रधान जिला और सेशन न्यायालय मदुरै के समक्ष अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाता है । दुर्भाग्यवश राज्य ऐसा करने में असफल रहा । तथापि, लोक अभियोजक ने प्रधान जिला और सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष दो अपराधों का संयोजन करते हुए यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन एक स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की । इससे यह उपदर्शित होता है कि राज्य ने किस प्रकार लापरवाह रीति में कार्य किया है और इस प्रकार राज्य ने एक कैदी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत पर रिहा होने के कानूनी अधिकारी का हनन किया है । लोक अभियोजक ने अपनी रिपोर्ट केवल तारीख 16 मार्च, 2021 को प्रस्तुत की और वह भी प्रधान जिला और सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष, जब मामले को पहले ही तारीख 12 मार्च, 2021 को एनआईए को अंतरित कर दिया गया था । विवेक (अभियुक्त सं. 1) तारीख 15 मार्च, 2021 को व्यतिक्रम जमानत के लिए हकदार बन गया था क्योंकि उस समय तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । चूंकि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने व्यतिक्रम जमानत संबंधी आवेदन को उक्त न्यायालय के समक्ष तारीख 17 मार्च, 2021 को प्रस्तुत किया । न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै ने इस आधार पर तारीख 17 मार्च, 2021 को अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए व्यतिक्रम जमानत के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया कि एनआईए ने मामले के अन्वेषण कार्य को संभाल लिया है । आश्चर्यजनक रूप से प्रधान सेशन न्यायाधीश, मदुरै ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उसका न्यायालय एनआईए अधिनियम के अधीन अभिहित विशेष न्यायालय नहीं है, अभिरक्षा की अवधि को 180 दिन तक विस्तारित करते हुए तारीख 19

मार्च, 2021 को एक आदेश पारित किया । उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय पूनामल्ली द्वारा विवेक (अभियुक्त सं. 1) को वर्ष 2021 की दांडिक एमपी सं. 181 में जमानत मंजूर करते हुए तारीख 5 मई, 2021 को पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 की दांडिक अपील सं. 275 को खारिज किया जाता है । चूंकि, विशेष न्यायालय पूनामल्ली द्वारा विवेक (अभियुक्त सं. 1) को जमानत मंजूर करने वाले आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश को पारित नहीं किया जा सकता । इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 की दांडिक अपील सं. 272 को खारिज किया जाता है । इस प्रकार, दोनों दांडिक अपीलों को खारिज किया जाता है । (पैरा 7, 8 और 9)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) 10 एस. सी. सी. 616 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2020 एस. सी. 865 : **बिक्रमजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	7
[2018]	(2018) 4 एस. सी. सी. 405 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 688 : **रणबीर शौकीन** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, दिल्ली)** ;	6,7,8
[2004]	(2004) 6 एस. सी. सी. 672 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3946 : **मौलवी हुसैन हाजी अब्राहम उमरजी** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** ;	4
[1994]	(1994) 4 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2623 : **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	7
[1992]	(1992) 3 एस. सी. सी. 141 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1768 : **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अन्वेषण 2 प्रकोष्ठ - I, नई दिल्ली** बनाम **अनुपम जे. कुलकर्णी** ।	4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की अपील (दांडिक) सं. 272.

वर्तमान अपील, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन गठित विशेष न्यायालय, चेन्नई द्वारा तारीख 5 मई, 2021 को पारित दो आदेशों की विधिमान्यता और वैधता को प्रश्नगत करते हुए फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. कार्तिकेयन, विशेष लोक अभियोजक

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. शंकरासुब्बु

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. पोंगिअप्पन ने दिया ।

न्या. पोंगिअप्पन – पुलिस निरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, चेन्नई ने वर्तमान अपील, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के अधीन गठित (बम विस्फोट मामलों के अनन्य विचारण के लिए गठित सेशन न्यायालय), विशेष न्यायालय, पूनामल्ली, चेन्नई (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पूनामल्ली विशेष न्यायालय' कहा गया है) द्वारा वर्ष 2021 के दांडिक एम. पी. सं. 168 और 181 में तारीख 5 मई, 2021 को पारित उन दो आदेशों की विधिमान्यता और वैधता को प्रश्नगत करते हुए फाइल की गई है, जिनके माध्यम से प्रत्यर्थी (विवेक/अभियुक्त सं. 1) को पुलिस अभिरक्षा में रखने के प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए उसे जमानत मंजूर की गई थी ।

2. राष्ट्रीय अभिकरण ने इन दो दांडिक अपीलों के माध्यम से जो विधिक मुद्दा उठाया है, वह अत्यंत संकीर्ण पहलुओं से संबंधित है और उनका समाधान तथा विनिश्चय करने के लिए यह आवश्यक है कि कतिपय तारीखों और घटनाओं को निर्दिष्ट किया जाए ।

2.1 विवेकानंदन **उर्फ** विवेक (अभियुक्त सं. 1/प्रत्यर्थी) ने अभिकथित रूप से अपने फेसबुक अकाउंट में एक रोषकारी पोस्ट अपलोड की, जिसके लिए पुलिस निरीक्षक, तल्लाकुल्लम पुलिस थाना, मदुरै में अविधिपूर्ण क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'यूएपी अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(1)(ख) और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे

इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 505(1)(ख) के अधीन अपराध करने के लिए विवेक (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध दांडिक अपराध सं. 1916/2020 रजिस्टर किया गया और उसके पश्चात् उसे तारीख 16 दिसम्बर, 2020 को गिरफ्तार करके न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उसे अभिरक्षा में सौंप दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, समय-समय पर विवेक (अभियुक्त सं. 1) को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167(2) के अधीन समय-समय पर न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित करते रहे हैं ।

2.2 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन व्यतिक्रम जमानत मंजूर करने हेतु 90 दिन की अवधि विहित की गई है और वर्तमान मामले में उक्त 90 दिन की अवधि तारीख 15 मार्च, 2021 को समाप्त हो रही थी । इसी दौरान केन्द्रीय सरकार ने तारीख 12 मार्च, 2021 के एक आदेश द्वारा तल्लाकुल्लम पुलिस थाने के वर्ष 2020 के अपराध मामला सं. 1916 के मामले का अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एनआईए' कहा गया है) को सौंप दिया था तथा एनआईए ने तारीख 14 मार्च, 2021 को अपनी प्रक्रिया के अनुसार उक्त मामले को यूएपी अधिनियम की धारा 13(1)(ख) तथा दंड संहिता की धारा 15(1)(ख) के अधीन आरसी/07/2021/एनआईए/डीएलआई के रूप में पुन: रजिस्ट्रीकृत किया । तथापि, पुलिस निरीक्षक, तल्लाकुल्लम, पुलिस थाने ने एनआईए अधिनियम की धारा 6(7) और धारा 10 के निबंधनानुसार मामले के अन्वेषण संबंधी कार्यवाही को जारी रखा ।

2.3 ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) के विरुद्ध एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो वर्ष 2020 के दांडिक मामला सं. 2594 के रूप में है, को दर्ज किया गया, जिसमें राज्य पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे उक्त मामले में समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए ।

2.4 तारीख 15 मार्च, 2021 को, तल्लाकुल्लम पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने 2020 के दांडिक

मामला सं. 1916 और दांडिक मामला सं. 2594 में यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन प्रधान सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि यूएपी अधिनियम के अधीन प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय एक विचारण न्यायालय है ।

2.5 यहां यह कथन करना अनिवार्य है कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै द्वारा वर्ष 2020 के दांडिक मामला सं. 1916 में समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए थे, जबकि स्थानीय पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने प्रधान जिला न्यायालय, मदुरै के समक्ष 90 दिन की विहित अवधि से परे अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने का अनुरोध करते हुए यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया था जहां उक्त मामले से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे ।

2.6 लोक अभियोजक ने दोनों मामलों, अर्थात् 2020 के अपराध मामला सं. 1916 और 2020 के अपराध मामला सं. 2594 के संबंध में प्रधान जिला न्यायालय, मदुरै के समक्ष 90 दिन की विहित अवधि को बढ़ाकर 180 दिन तक अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने का अनुरोध करते हुए यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन संयुक्त याचिका प्रस्तुत की थी ।

2.7 प्रधान जिला न्यायाधीश, मदुरै ने इस आधार पर याचिका को लौटा दिया कि लोक अभियोजक द्वारा प्रत्येक अपराध मामला सं. के लिए पृथक् रूप से यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन व्यष्टिक रिपोर्टें फाइल की जानी चाहिए ।

2.8 तद्नुसार, विद्वान् लोक अभियोजक ने तारीख 16 मार्च, 2021 को यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन दो पृथक् याचिकाएं (रिपोर्टें) प्रस्तुत की, जिसमें विवेक (अभियुक्त सं. 1) को सूचना जारी करने का आदेश दिया गया । यह अभिकथन किया गया है कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) ने कारागार में सूचना को उस समय लेने से इनकार कर दिया जब पुलिस ने उक्त सूचना को उसे तामील करने

का प्रयास किया और इसलिए उक्त सूचना को यह पृष्ठांकित करते हुए लौटा दिया गया कि अभियुक्त ने उसे लेने से इनकार कर दिया है ।

2.9 चूंकि तारीख 15 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व न तो राज्य पुलिस और न ही एनआईए द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, अतः, विवेक (अभियुक्त सं. 1) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत के लिए एक याचिका फाइल की, किन्तु विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर याचिका को लौटा दिया कि मामले को एनआईए को अंतरित कर दिया गया है ।

2.10 विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा स्थानीय पुलिस की ओर से यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2)(ख) के अधीन वर्ष 2021 के तल्लाकुल्लम पुलिस थाने के अपराध मामला सं. 1916 में प्रधान सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष जिस याचिका को, यह अनुरोध करते हुए फाइल किया गया था कि अभियुक्त को अभिरक्षा में रखे जाने की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाए, उस याचिका को वर्ष 2021 के दांडिक एमपी सं. 1924 के रूप में फाइल पर लिया गया और उसे तारीख 19 मार्च, 2021 के एक आदेश द्वारा मंजूर कर दिया गया ।

2.11 तमिलनाडु राज्य में, पूनामल्ली में बम विस्फोट संबंधी मामलों के विचारण के लिए एक सेशन न्यायालय को एनआईए अधिनियम के अधीन एक विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया गया है । अतः, तल्लाकुल्लम पुलिस थाने के वर्ष 2021 के अपराध मामला सं. 1916 से संबंधित अभिलेखों को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के न्यायालय से तारीख 8 अप्रैल, 2021 को विशेष न्यायालय पुनामल्ली की फाइल पर अंतरित किया गया । इसके अतिरिक्त, विवेक (अभियुक्त सं. 1) को अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी कार्यवाहियों को भी न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै की फाइल से विशेष न्यायालय पुनामल्ली को अंतरित किया गया ।

2.12 विशेष न्यायालय पूनामल्ली के समक्ष एनआईए ने तारीख 20

अप्रैल, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन विवेक (अभियुक्त सं. 1) को पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया, जिसे वर्ष 2021 के दांडिक एमपी सं. 168 के रूप में फाइल पर रखा गया ।

2.13 विवेक (अभियुक्त सं. 1) ने भी विशेष न्यायालय पूनामल्ली के समक्ष तारीख 26 अप्रैल, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे 2021 के दांडिक एमपी सं. 181 के रूप में फाइल पर रखा गया । उक्त आवेदन में अभियुक्त द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई कि उसे अभिरक्षा में रखे जाने की 90 दिन की अवधि तारीख 15 मार्च, 2021 को समाप्त हो गई थी और उसके पश्चात् उसने तारीख 17 मार्च, 2021 को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै, जिसके द्वारा उसे समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए थे, के समक्ष एक जमानत आवेदन फाइल किया था किन्तु मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर उक्त आवेदन में कोई आदेश पारित नहीं किया कि मामले को एनआईए को अंतरित कर दिया गया है और इस प्रकार उसे जमानत पर निर्मुक्त किए जाने के उसके अपरिहार्य अधिकार से वंचित रखा गया है ।

2.14 विशेष न्यायालय पूनामल्ली ने विवेक (अभियुक्त सं. 1) द्वारा फाइल किए गए 2021 के दांडिक एमपी सं. 181, जिसके माध्यम से उसने उसे जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था और एनआईए द्वारा फाइल किए गए वर्ष 2021 के दांडिक एमपी सं. 168, जिसके माध्यम से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में सौंपे जाने का अनुरोध किया गया था, की सुनवाई की और तारीख 5 मई, 2021 को दो पृथक् आदेश पारित किए, जिनके माध्यम से विवेक (अभियुक्त सं. 1) को जमानत मंजूर की गई तथा एनआईए द्वारा अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आवेदन को इस आधार पर नामंजूर किया गया कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को जमानत मंजूर कर दी गई है ।

2.15 यद्यपि, 2021 की दांडिक अपील सं. 275 को 2021 की दांडिक एमपी सं. 181 में पारित तारीख 5 मई, 2021 के आदेश के

विरुद्ध फाइल किया गया है, वहीं 2021 की दांडिक अपील सं. 272 को 2021 की दांडिक एमपी सं. 168 में पारित तारीख 5 मई, 2021 के आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है ।

3. श्री आर. कार्तिकेयन, एनआईए अधिनियम से संबंधित मामलों के विद्वान् विशेष लोक अभियोजक, जो अपीलार्थी की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और श्री आर. शंकरासुब्बु, अभियुक्त सं. 1 विवेक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना ।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मौलवी हुसैन हाजी अब्राहम उमरजी** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए प्राधिकृत निर्णय को ध्यान में रखते हुए यूएपी अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए एनआईए द्वारा अन्वेषित किसी मामले में 15 दिन की अवधि से परे पुलिस अभिरक्षा मंजूर करने की किसी न्यायालय की शक्ति अब अनिर्णित विषय नहीं है । अतः, **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष अन्वेषण 2 प्रकोष्ठ - I, नई दिल्ली** बनाम **अनुपम जे. कुलकर्णी**[2] वाले मामले में विहित परिसीमाएं, यूएपी अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए एनआईए द्वारा अन्वेषित किसी मामले में लागू नहीं होंगी ।

5. अब यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने हेतु सामने आता है कि क्या विवेक (अभियुक्त सं. 1) को मंजूर की गई कानूनी जमानत समुचित और विधिपूर्ण है ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कार्तिकेयन ने **रणबीर शौकीन** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र, दिल्ली)**[3] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक अभिरक्षा की अवधि को विस्तारित किए जाने के अनुरोध को नामंजूर न कर दिया गया हो, तब तक कानूनी जमानत मंजूर किए

---

[1] (2004) 6 एस. सी. सी. 672 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3946.

[2] (1992) 3 एस. सी. सी. 141 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1768.

[3] (2018) 4 एस. सी. सी. 405 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 688.

जाने हेतु अभियुक्त के पक्ष में कोई अधिकार उद्भूत नहीं होगा । अन्य शब्दों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन लोक अभियोजक के अनुरोध पर विचार किए जाने के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त को कानूनी जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता । इसका तात्पर्य यह है कि यदि लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है तो अभियुक्त कानूनी जमानत के लिए हकदार हो जाएगा ।

7. हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उसमें **रणबीर शौकीन** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि को एनआईए द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन आवेदन तारीख 16 मार्च, 2021 को फाइल किया गया था जिसको 90 दिन की कानूनी अवधि का अवसान हो गया था । **रणबीर शौकीन** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि ऐसे तत्पर पुलिस अधिकारियों और लोक अभियोजकों की सहायता करेगी, जो यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन समय पर रिपोर्ट फाइल करके अभिरक्षा की अवधि को विस्तारित करने का अनुरोध प्रस्तुत करते हैं । इस मामले में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में कोई तत्परता नहीं बरती गई है । विवेक (अभियुक्त सं. 1) को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै द्वारा समय-समय पर अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश पारित किए गए और ऐसे आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बिक्रमजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में तारीख 12 अक्तूबर, 2020 को पारित प्राधिकृत निर्णय के पश्चात् भी जारी किए गए । राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को प्रधान जिला और सेशन न्यायालय मदुरै के समक्ष अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाता है । दुर्भाग्यवश राज्य ऐसा करने में असफल रहा । तथापि, लोक अभियोजक ने प्रधान जिला और सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष दो अपराधों का संयोजन करते हुए यूएपी अधिनियम की धारा 43(घ)(2) के अधीन एक स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की । इससे यह उपदर्शित होता है

[1] (2020) 10 एस. सी. सी. 616 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2020 एस. सी. 865.

कि राज्य ने किस प्रकार लापरवाह रीति में कार्य किया है और इस प्रकार राज्य ने एक कैदी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन व्यतिक्रम जमानत पर रिहा होने के कानूनी अधिकारी का हनन किया है । लोक अभियोजक ने अपनी रिपोर्ट केवल तारीख 16 मार्च, 2021 को प्रस्तुत की और वह भी प्रधान जिला और सेशन न्यायालय, मदुरै के समक्ष, जब मामले को पहले ही तारीख 12 मार्च, 2021 को एनआईए को अंतरित कर दिया गया था । विवेक (अभियुक्त सं. 1) तारीख 15 मार्च, 2021 को व्यतिक्रम जमानत के लिए हकदार बन गया था क्योंकि उस समय तक आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । चूंकि विवेक (अभियुक्त सं. 1) को न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने व्यतिक्रम जमानत संबंधी आवेदन को उक्त न्यायालय के समक्ष तारीख 17 मार्च, 2021 को प्रस्तुत किया । न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, मदुरै ने इस आधार पर तारीख 17 मार्च, 2021 को अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए व्यतिक्रम जमानत के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया कि एनआईए ने मामले के अन्वेषण कार्य को संभाल लिया है । आश्चर्यजनक रूप से प्रधान सेशन न्यायाधीश, मदुरै ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उसका न्यायालय एनआईए अधिनियम के अधीन अभिहित विशेष न्यायालय नहीं है, अभिरक्षा की अवधि को 180 दिन तक विस्तारित करते हुए तारीख 19 मार्च, 2021 को एक आदेश पारित किया । इस संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विधिमान्यता पर चर्चा करते हुए पारित किए गए निर्णय के निम्नलिखित पैरा को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा :–

> "23. .... धारा 20(4) द्वारा यथासंशोधित धारा 167 की उपधारा (2) के खंड (खख) में यथाविद्यमान 'अन्वेषण की प्रगति और उक्त अवधि से परे अभियुक्त को निरुद्ध रखे जाने के लिए विनिर्दिष्ट कारणों को उपदर्शित करते हुए लोक अभियोजक की रिपोर्ट के संबंध में' पद महत्वपूर्ण है और वह इस विधायी आशय

[1] (1994) 4 एस. सी. सी. 602 = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2623.

को उपदर्शित करता है कि किसी अभियुक्त को अयुक्तियुक्त रूप से अभिरक्षा में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे अभिरक्षा में रखे जाने की अवधि को केवल लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर ही विस्तारित किया जाना चाहिए । अत:, लोक अभियोजक की रिपोर्ट एक औपचारिकता मात्र नहीं है अपितु यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि उसे स्वीकार करने का परिणाम यह है कि अभियुक्त को निर्मुक्ति प्राप्त होगी और इसलिए उक्त रिपोर्ट में खंड (खख) में यथाअंतर्विष्ट अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ..."

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया है ।)

8. मामले में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए मतों को ध्यान में रखते हुए **रणबीर शौकीन** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलार्थी की कोई सहायता नहीं करेगा और इसलिए हमें विशेष न्यायालय पूनामल्ली द्वारा विवेक (अभियुक्त सं. 1) को वर्ष 2021 की दांडिक एमपी सं. 181 में जमानत मंजूर करते हुए तारीख 5 मई, 2021 को पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 की दांडिक अपील सं. 275 को खारिज किया जाता है ।

9. चूंकि, विशेष न्यायालय पूनामल्ली द्वारा विवेक (अभियुक्त सं. 1) को जमानत मंजूर करने वाले आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी आदेश को पारित नहीं किया जा सकता ।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2021 की दांडिक अपील सं. 272 को खारिज किया जाता है ।

इस प्रकार, दोनों दांडिक अपीलों को खारिज किया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

पु.

अरुण ठाकुर

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

[2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 527]

तारीख 15 जून, 2021

न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 439 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 363, 366क, 376 और 370क तथा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 7] – अभिकथित रूप से पीड़ित लड़की को देह व्यापार में धकेला जाना – अभियुक्तों पर यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने एक अप्राप्तवय लड़की को प्रलोभन देकर उसका व्यपहरण किया और उससे देह व्यापार कराया और इस प्रकार उसके साथ बलात्संग किया – अभिकथित रूप से एक महिला द्वारा उस समय अप्राप्तवय पीड़ित लड़की के पास आना, जब वह क्रोधावश अपना घर छोड़कर एक उद्यान में बैठी थी और उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया जाना और उसके पश्चात् उसे होटल में ले जाकर उससे देह व्यापार कराना – अभियुक्तों जिनमें से एक अभियुक्त उक्त होटल का प्रबंधक था, द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान याचिका के याची के अलावा सभी अभियुक्तों के जमानत आवेदनों को नामंजूर किया जाना – उक्त अभियुक्त द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि उसने होटल के मालिक के कहने पर केवल अभियुक्तों के होटल में आने संबंधी प्रविष्टियों को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया था और वह देह व्यापार तथा बलात्संग के इस संपूर्ण मामले से अनभिज्ञ था – उक्त अभियुक्त द्वारा न तो पीड़ित लड़की का बलात्संग किया गया और न ही उसके द्वारा पीड़ित लड़की के विरुद्ध अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में

कोई अन्य भूमिका निभाई गई – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा यह अभिवाक् भी किया जाना कि पीड़ित लड़की ने उससे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी थी अन्यथा वह उसकी सहायता करने को तत्पर होता – इसके अतिरिक्त याची का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न होना – उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त अभियुक्त को कड़ी शर्तों और निबंधनों के अधीन जमानत मंजूर की गई ।

वर्तमान जमानत आवेदन का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 30 जनवरी, 2021 को पीड़ित लड़की की माता ने पुलिस थाना माजरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को यह सूचित किया कि उसकी पुत्री, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, किसी को सूचित किए बिना तारीख 28 जनवरी, 2021 से घर से गायब है । नातेदारों के घरों तथा अन्य स्थानों पर जोर-शोर से तलाश किए जाने के बावजूद भी वे उसे ढूंढने में असफल रहे हैं । पीड़ित लड़की की माता ने पुलिस से यह अनुरोध किया कि उसकी पुत्री की तलाश करें । इस सूचना के आधार पर पुलिस ने व्यपहरण के अपराध के लिए ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । तारीख 31 जनवरी, 2021 को पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना माजरा में आई । अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध करने के पश्चात् सिविल अस्पताल, पांवटा साहिब से उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई । एक महिला डाक्टर ने पीड़ित लड़की की परीक्षा की । पीड़ित लड़की द्वारा उक्त डाक्टर को सुनाई गई कहानी के अनुसार तारीख 28 जनवरी, से 30 जनवरी, 2021 के दौरान पीड़ित लड़की लैंगिक हमलों का शिकार हुई थी । पीड़ित लड़की ने डाक्टर को यह सूचना भी दी कि चिकित्सा परीक्षा के समय उसके द्वारा पहनी हुई पैंटी वही पैंटी है जो उसने हमले की तारीखों के दौरान पहनी हुई थी । चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् डाक्टर ने उसके गुप्तांगों से योनिक लेप एकत्रित किया और नमूने के रूप में उसके वस्त्रों को भी प्राप्त किया जिसमें उसकी पैंटी भी सम्मिलित थी । उसके पश्चात् पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य को परीक्षा हेतु न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित किया । उक्त प्रयोगशाला से आंशिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है,

किन्तु पैंटी से संबंधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है और इसलिए वह पुलिस फाइल के भाग रूप में विद्यमान नहीं है । तारीख 1 अप्रैल, 2021 को अन्वेषण अधिकारी ने पीड़ित लड़की को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया । उसने यह कथन किया कि तारीख 26 जनवरी, 2021 को उसने अजय नामक एक लड़के के कारण अपने घर को छोड़ा था । उससे एक माह पूर्व जब वह अपनी बहन के घर गई थी तो वहां उसकी मुलाकात उक्त अजय नामक लड़के से हुई थी । जब रात्रि के समय वह अपने कक्ष से शौचालय में गई तो अजय ने उसे दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती की । उसके पश्चात् उसने उससे विवाह करने का वचन दिया और उसे यह चेतावनी दी कि वह उक्त घटना को किसी के समक्ष प्रकट न करे और यदि उसने इस घटना के संबंध में किसी को बताया तो वह उसके द्वारा की गई जबरदस्ती के कृत्य के वीडियो, जिसे अजय ने बनाया था, सार्वजनिक कर देगा । अजय ने पीड़ित लड़की को एक मोबाइल फोन दिया और उसे यह कहा कि वह उक्त फोन के माध्यम से उससे बात करे । उसने चुपचाप फोन ले लिया और इस घटना के संबंध में उसने किसी को कुछ नहीं बताया । तारीख 25 जनवरी, 2021 को जब वह अपने भाई के साथ मिलकर घास काट रही थी तो वह फोन उसकी जेब से नीचे गिर गया । उसके भाई ने उससे फोन के संबंध में पूछताछ की और तब उसने अपने भाई के समक्ष इस तथ्य को प्रकट किया कि अजय ने उसे उक्त फोन दिया था । यह सुनने के पश्चात् उसके भाई ने पीड़ित लड़की से यह कहा कि क्या वह अजय से विवाह करेगी जिसका उत्तर पीड़ित लड़की ने सकारात्मक दिया । उसके भाई ने अजय से यह अनुरोध किया कि वह अपने माता-पिता के साथ उसके घर आए और उन दोनों के विवाह के संबंध में बातचीत आरंभ करे और वह पीड़ित लड़की के साथ सगाई कर ले । उसके पश्चात्, पीड़ित लड़की ने अपने भाई के आग्रह पर अजय को फोन किया और उसे यह सारी बात बताई तथा उसे अपने घर बुलाया । अजय ने उसे यह बताया कि वह अगले दिन अपने माता-पिता के साथ उसके घर आएगा । तथापि, अजय

उसके घर नहीं आया । उसने तारीख 28 जनवरी, 2021 तक उसकी प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् उस दिन अपने घर से निकल गई । यद्यपि, उसे यह डर था कि उसका भाई उसे डांट लगाएगा किन्तु उसने उस दिन उसने उसे कुछ नहीं कहा । वह घर से निकलकर पांवटा साहिब गई और वहां वह एक उद्यान में बैठ गई । कुछ समय पश्चात् उसने रोना आरंभ कर दिया और उसके पश्चात् एक महिला उसके पास आई और उसने उसे दिलासा देते हुए उसे चुप कराने का प्रयास किया । उस महिला ने अपना नाम शालू बताया और उसने पीड़ित लड़की को यह बताया कि वह अकेली निवास कर रही थी और उसने पीड़ित लड़की को अपने साथ रहने का प्रस्ताव किया । यह विश्वास करते हुए कि शालू उसकी सहायता करेगी, पीड़ित लड़की उसके साथ उसके घर चली गई । तथापि, उसके पश्चात् उसे यह ज्ञात हुआ कि शालू मासूम लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने का कार्य करती थी और वस्तुत: वह एक व्यभिचारी महिला थी । घर पर शालू ने पीड़ित लड़की को वस्त्र बदलने के लिए कहा और पीड़ित लड़की ने वैसा ही किया । उसके पश्चात्, उसने उसका बनाव-श्रृंगार किया और वह उसे एक होटल में ले गई जहां दो लड़के उनके पास आए । शालू ने उनसे धन प्राप्त किया और पीड़ित लड़की को उनमें से एक लड़के के साथ होटल के कक्ष में भेज दिया जहां उस लड़के ने उसके साथ बलात्संग किया । 15 मिनट पश्चात् वह लड़का कक्ष से बाहर चला गया और उसी समय दूसरे लड़के ने कक्ष में प्रवेश किया और उसने भी पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग किया । तारीख 29 जनवरी, 2021 को पुन: शालू ने पीड़ित लड़की का बनाव-श्रृंगार किया और इस बार वह उसे एक अन्य होटल में ले गई । उक्त होटल में भी एक लड़का इनके पास आया और शालू ने उससे धन प्राप्त किया और उसके पश्चात् पीड़ित लड़की को तथा उक्त लड़के के साथ कक्ष में बंद कर दिया जहां उस लड़के ने उसके साथ बलात्संग किया । अगले दिन, शालू ने एक अन्य लड़के को बुलाया । जिसने पुन:, पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् वह वापस घर आ गए । तारीख 30 जनवरी, 2021 को पीड़ित लड़की के चाचा को एक जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़ित लड़की किसी एस्कार्ट कंपनी के साथ है । शालू को भी

यह तथ्य ज्ञात हो गया कि पीड़िता के चाचा को उसके निवास स्थान के संबंध में जानकारी है । शालू ने पीड़ित लड़की को अपने घर से तीन-चार दिन हेतु चले जाने के लिए कहा और उसे यह भी आग्रह किया कि उसके पश्चात् वह उसके पास लौट आए । शालू ने उसके आधार कार्ड को लौटाने से इनकार कर दिया किन्तु किसी प्रकार उसने अपना आधार कार्ड शालू से छिना और वह उसके घर से निकल आई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया पीड़ित लड़की का अनुपूरक कथन इस तथ्य को प्रकट करता है कि उसने उपरोक्त कक्षों की शनाख्त की तथा अन्वेषण अधिकारी को यह बताया कि शालू के साथ उसके निवास के दौरान बंटी नामक एक व्यक्ति अक्सर शालू के घर आता था । उसने यह भी कथन किया कि शालू ने उससे बलात्संग करने वाले एक लड़के को अरुण के नाम से पुकारा था । अन्वेषण अधिकारी ने एक मोबाइल ऐप पर अभियुक्तों की तस्वीरें पीड़ित लड़की को दिखाई और उन तस्वीरों को देखकर पीड़ित लड़की ने जसविन्दर सिंह और हुकम सिंह की शनाख्त की । अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उसने वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्रित किया । अन्वेषण कार्य पूरा हो जाने के कारण पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने शालू (ए-1), अजय कुमार (ए-2), बलदेव राज गोयल **उर्फ** बंटी (ए-3), होटल का प्रबंधक अरुण ठाकुर (ए-4), जसविन्दर सिंह (ए-5) और हुकम सिंह (ए-6) का अभियोजन करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन एक पुलिस रिपोर्ट फाइल की । इस साक्ष्य के आधार पर, राज्य ने इन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ किया । इसी दौरान याची ने कतिपय आधारों पर जमानत मंजूर करने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका फाइल की । मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रबंधक अरुण ठाकुर ने वर्ष 2021 की सीआरएमपीएम सं. 527 में इस आधार पर जमानत मंजूर किए जाने की ईप्सा की है कि वह रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात था और इसलिए उसे मालिक

द्वारा यह अनुदेश दिया गया था कि वह आगन्तुक पुस्तिका में प्रविष्टियां न करे । पीड़ित लड़की ने भी उस पर किए गए लैंगिक हमले के आरोप में उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई या भूमिका को वर्णित नहीं किया है । अन्वेषण अधिकारी ने उन दो होटलों, जहां शालू पीड़ित लड़की को लेकर गई थी, में से एक होटल के प्रबंधक को गिरफ्तार किया है । पीड़ित लड़की ने इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया है कि प्रबंधकों द्वारा उसका बलात्संग किया गया था या उक्त होटलों में चल रहे देह व्यापार के संबंध में उनकी कोई भूमिका थी या उन्हें उक्त देह व्यापार की जानकारी थी । पीड़ित लड़की ने उनसे सहायता भी नहीं मांगी थी । उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दबाव डालने या दुर्व्यपदेशन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । यह विस्मयपूर्ण बात है कि अन्वेषण अधिकारियों, थाना प्रभारी और पर्यवेक्षक अधिकारी ने दोनों होटलों में से केवल एक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया जबकि दूसरे होटल के प्रबंधक को छोड़ दिया गया । अन्वेषण की प्रक्रिया, संचालन या कार्रवाई के संबंध में कोई टिप्पणी किए बिना और प्रबंधक अरुण ठाकुर को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखने की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रबंधकों के विरुद्ध एकत्रित किए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रबंधक अरुण ठाकुर द्वारा जमानत मंजूर करने के संबंध में तैयार किए गए पक्षकथन में बल है । ऊपर दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए अरुण ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, अर्थात् 2021 की सीआरएमपीएम सं. 527 में उच्च न्यायालय ऐसे कड़े निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 में जमानत बंधपत्र के प्ररूप की अंतर्वस्तु के अतिरिक्त और उन पर ध्यान न देते हुए अधिरोपित किए जाएं, याची को जमानत मंजूर करता है । उक्त जमानत मंजूर करने के लिए याची पर कड़ी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित किया गया जैसे कि याची को ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में उसके द्वारा दस हजार रुपए (10,000/- रुपए) के निजी बंधपत्र को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा और इसके अतिरिक्त याची को अन्वेषण करने वाले पुलिस थाने पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके उपलब्ध न होने की दशा में किसी इलाका मजिस्ट्रेट के समाधनप्रद रूप से पच्चीस हजार रुपए

(25,000/- रुपए), प्रत्येक की दो प्रतिभूतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी । संबंधित मजिस्ट्रेट प्रतिभूतियों को स्वीकार करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहने की दशा में ऐसी प्रतिभूतियां अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हैं और यह विनिश्चय प्रतिभूतियों के पीछे विद्यमान न्याय-शास्त्र, जो अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित किए जाने पर बल देता है, को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । विकल्प के रूप में, याची संबद्ध जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पक्ष में दस हजार रुपए (10,000/- रुपए) के निजी बंधपत्र और दस हजार रुपए (10,000/- रुपए) के सावधि निक्षेप को प्रस्तुत कर सकता है । याची पीड़ित लड़की का पीछा नहीं करेगा, न ही उसे घूरेगा और न ही उसे किसी प्रकार के इशारे करेगा और न ही उसके प्रति कोई टीका-टिप्पणी करेगा और न ही भौतिक रूप से अथवा किसी फोन कॉल या अन्य सोशन मीडिया के माध्यम से उसे कॉल करने, उससे संपर्क करने या उसे संदेश देने का प्रयास करेगा और इसके अतिरिक्त वह पीड़ित लड़की के घर के आस-पास भी नहीं घूमेगा । याची, जब तक वह जमानत पर निर्मुक्त है, घटनास्थल से दूर रहेगा । इस प्रकार याची पीड़ित लड़की के घर के एक किलोमीटर की परिधि के भीतर नहीं आएगा । यह न्यायालय इस शर्त को इसलिए अधिरोपित कर रहा है जिससे अभियुक्त द्वारा पीड़ित लड़की को प्रभावित करने या उसे असहज करने या उसे असमर्थ बनाने का कोई प्रयास न किया जा सके । विचारण के लंबित रहने के दौरान यदि याची उस पर लगाए गए आरोप वाले अपराध को दोहराता है या ऐसा कोई अन्य अपराध करता है, जिसके लिए सात वर्ष से अधिक का दंडादेश विहित है या इस आदेश में यथा अनुबंधित किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो ऐसी दशा में प्रत्यर्थी के लिए सदैव यह अनुज्ञेय होगा कि वह इस जमानत को रद्द करने हेतु आवेदन करे । अन्वेषण अभिकरण के पास सदैव यह विकल्प रहेगा कि वह पश्चात्वर्ती आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय की सूचना में इस तथ्य को लाए कि अभियुक्त को पूर्व में सावधान किया गया था कि वह दांडिक कार्यवाहियों में अंतर्वलित न हो । अन्यथा यह जमानत बंधपत्र विचारण की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रवृत्त बना रहेगा और उसके पश्चात् भी वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के निबंधनों के अनुसार प्रवर्तन में

बना रहेगा । याची की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता और ऐसा अधिकारी, जिसकी उपस्थिति में याची ने निजी बंधपत्रों पर अपने हस्ताक्षर किए, जमानत आदेश मे अंतर्विष्ट सभी शर्तों को स्थानीय भाषा और यदि ऐसा करना साध्य नहीं है तो हिंदी भाषा में स्पष्ट करेगा । उस दशा में, जहां याची को यह प्रतीत होता है कि वर्तमान जमानत की शर्त (शर्तें) उसके मूल, मानव या अन्य अधिकारों की उल्लंघनकारी हैं या किसी परिस्थिति के कारण उसे उनके कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे निबंधन (निबंधनों) में उपांतरण करने के लिए याची इस न्यायालय के समक्ष एक युक्तियुक्त आवेदन फाइल कर सकेगा और यह न्यायालय उक्त आवेदन का संज्ञान लेने के पश्चात् या विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के पश्चात् वह न्यायालय भी किसी शर्त को उपांतरित करने या हटाने के लिए सक्षम होगा । यह आदेश किसी भी रीति में पुलिस या अन्वेषण अभिकरण द्वारा विधि के अनुसार आगे और अन्वेषण करने को सीमित या निर्बंधित नहीं करता है । यहां ऊपर किया गया कोई संप्रेक्षण मामले के गुणागुण के संबंध में इस न्यायालय की राय को अभिव्यक्त नहीं करता है और विचारण न्यायालय को यहां ऊपर की गई टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए । कैद से मुक्ति के बदले न्यायालय यह विश्वास करता है कि अभियुक्त भी वांछनीय व्यवहार के माध्यम से पुलिस और न्यायालय तथा अन्वेषण अभिकरण को अनुगृहीत करेगा । संबद्ध पुलिस थाने का थाना प्रभारी या अन्वेषण अधिकारी इस आदेश की प्रति, अधिमानी रूप से सॉफ्ट प्रति शीघ्रातिशीघ्र और दो दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित लड़की को अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा । यदि पीड़ित लड़की को इस आदेश के निबंधनों या शर्तों का कोई उल्लंघन प्रतीत होता है या उसकी सूचना में कोई आक्षेपपूर्ण व्यवहार आता है तो उस दशा में पीड़ित लड़की संबद्ध पुलिस थाने के थाना प्रभारी या विचारण न्यायालय या इस न्यायालय को भी सूचित कर सकती है । बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए इस आदेश की प्रमाणित प्रति की कोई आवश्यकता नहीं होगी । याची की ओर से कोई भी अधिवक्ता मामले की प्रास्थिति रिपोर्ट के साथ इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के शासकीय वेब पृष्ठ से डाउनलोड कर सकता है तथा उसे सत्यप्रति के रूप में अनुप्रमाणित कर सकता है । उस दशा में, जहां अनुप्रमाणन अधिकारी

या न्यायालय उसकी सत्यता को प्रमाणित करने की वांछा करता है तो ऐसा कोई अधिकारी उसकी सत्यता का सत्यापन स्वयं कर सकता है और इसके लिए वह उक्त प्रति को डाउनलोड कर सकता है तथा इस प्रकार डाउनलोड की गई प्रति का बंधपत्रों के अनुप्रमाणन के लिए उपयोग कर सकता है । ऊपर उल्लिखित निबंधनों के अनुसार सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाता है । (पैरा 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2021]	2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 230 : **अपर्णा भट्ट** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	20
[2020]	(2020) 5 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 831 : **सुशीला अग्रवाल** ;	6
[2018]	[2018] ऑल एस. सी. आर. (क्रिमिनल) 458 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 यूटीआर 679 : **विक्रम सिंह** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ।	20

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 527.

याची द्वारा वर्तमान दांडिक प्रकीर्ण याचिका, उस पर लगाए गए एक अप्राप्तवय लड़की के बलात्संग के आरोप के मामले में जमानत मंजूर किए जाने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से — सर्वश्री विनोद चौहान, टी. एस. चौहान, दीपक, अशोक के. त्यागी, कौशल, बी. सी. नेगी, एस. ए., नितीन ठाकुर के साथ

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री नंद लाल ठाकुर, अपर महाधिवक्ता, राम लाल ठाकुर, अपर महाधिवक्ता के साथ और रजत चौहान

न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा – याची ने, जिसे एक अप्राप्तवय लड़की को प्रलोभन देने तथा उसके साथ बलात्संग किए जाने का आरोप लगाए जाने पर गिरफ्तार किया गया था और जो वर्तमान में अभिरक्षा में है, नियमित जमानत की ईप्सा करते हुए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका फाइल की है ।

2. याची और प्रास्थिति रिपोर्ट से किसी भी प्रकार का आपराधिक पूर्ववृत्त प्रकट नहीं हुआ है ।

3. पुलिस फाइल के परिशीलन से निम्नलिखित साक्ष्य प्रकट होता है :–

(क) तारीख 30 जनवरी, 2021 को पीड़ित लड़की की माता ने पुलिस थाना माजरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को यह सूचित किया कि उसकी पुत्री, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, किसी को सूचित किए बिना तारीख 28 जनवरी, 2021 से घर से गायब है । नातेदारों के घरों तथा अन्य स्थानों पर जोर-शोर से तलाश किए जाने के बावजूद भी वे उसे ढूंढने में असफल रहे हैं । पीड़ित लड़की की माता ने पुलिस से यह अनुरोध किया कि उसकी पुत्री की तलाश करें । इस सूचना के आधार पर पुलिस ने व्यपहरण के अपराध के लिए ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की ।

(ख) तारीख 31 जनवरी, 2021 को पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना माजरा में आई । अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध करने के पश्चात् सिविल अस्पताल, पांवटा साहिब से उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई । एक महिला डाक्टर ने पीड़ित लड़की की परीक्षा की । पीड़ित लड़की द्वारा उक्त डाक्टर को सुनाई गई कहानी के अनुसार तारीख 28 जनवरी, से 30 जनवरी, 2021 के दौरान पीड़ित लड़की लैंगिक हमलों का शिकार हुई थी । पीड़ित लड़की ने डाक्टर को यह सूचना भी दी कि चिकित्सा परीक्षा के समय उसके द्वारा पहनी हुई पैंटी वही पैंटी है जो उसने हमले की तारीखों के दौरान पहनी हुई थी । चिकित्सा

परीक्षा के पश्चात् डाक्टर ने उसके गुप्तांगों से योनिक लेप एकत्रित किया और नमूने के रूप में उसके वस्त्रों को भी प्राप्त किया जिसमें उसकी पैंटी भी सम्मिलित थी । उसके पश्चात् पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य को परीक्षा हेतु न्यायलयिक विज्ञान प्रयोगशाला को अग्रेषित किया । उक्त प्रयोगशाला से आंशिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, किन्तु पैंटी से संबंधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है और इसलिए वह पुलिस फाइल के भाग रूप में विद्यमान नहीं है ।

(ग) तारीख 1 अप्रैल, 2021 को अन्वेषण अधिकारी ने पीड़ित लड़की को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया । उसने यह कथन किया कि तारीख 26 जनवरी, 2021 को उसने अजय नामक एक लड़के के कारण अपने घर को छोड़ा था । उससे एक माह पूर्व जब वह अपनी बहन के घर गई थी तो वहां उसकी मुलाकात उक्त अजय नामक लड़के से हुई थी । जब रात्रि के समय वह अपने कक्ष से शौचालय में गई तो अजय ने उसे दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती की । उसके पश्चात् उसने उससे विवाह करने का वचन दिया और उसे यह चेतावनी दी कि वह उक्त घटना को किसी के समक्ष प्रकट न करे और यदि उसने इस घटना के संबंध में किसी को बताया तो वह उसके द्वारा की गई जबरदस्ती के कृत्य के वीडियो, जिसे अजय ने बनाया था, सार्वजनिक कर देगा ।

(घ) अजय ने पीड़ित लड़की को एक मोबाइल फोन दिया और उसे यह कहा कि वह उक्त फोन के माध्यम से उससे बात करे । उसने चुपचाप फोन ले लिया और इस घटना के संबंध में उसने किसी को कुछ नहीं बताया ।

तारीख 25 जनवरी, 2021 को जब वह अपने भाई के साथ मिलकर घास काट रही थी तो वह फोन उसकी जेब से नीचे गिर गया । उसके भाई ने उससे फोन के संबंध में पूछताछ की और तब

उसने अपने भाई के समक्ष इस तथ्य को प्रकट किया कि अजय ने उसे उक्त फोन दिया था । यह सुनने के पश्चात् उसके भाई ने पीड़ित लड़की से यह कहा कि क्या वह अजय से विवाह करेगी जिसका उत्तर पीड़ित लड़की ने सकारात्मक दिया । उसके भाई ने अजय से यह अनुरोध किया कि वह अपने माता-पिता के साथ उसके घर आए और उन दोनों के विवाह के संबंध में बातचीत आरंभ करे और वह पीड़ित लड़की के साथ सगाई कर ले । उसके पश्चात्, पीड़ित लड़की ने अपने भाई के आग्रह पर अजय को फोन किया और उसे यह सारी बात बताई तथा उसे अपने घर बुलाया । अजय ने उसे यह बताया कि वह अगले दिन अपने माता-पिता के साथ उसके घर आएगा । तथापि, अजय उसके घर नहीं आया । उसने तारीख 28 जनवरी, 2021 तक उसकी प्रतीक्षा की और उसके पश्चात् उस दिन अपने घर से निकल गई । यद्यपि, उसे यह डर था कि उसका भाई उसे डांट लगाएगा किन्तु उसने उस दिन उसने उसे कुछ नहीं कहा ।

(ङ) वह घर से निकलकर पांवटा साहिब गई और वहां वह एक उद्यान में बैठ गई । कुछ समय पश्चात् उसने रोना आरंभ कर दिया और उसके पश्चात् एक महिला उसके पास आई और उसने उसे दिलासा देते हुए उसे चुप कराने का प्रयास किया । उस महिला ने अपना नाम शालू बताया और उसने पीड़ित लड़की को यह बताया कि वह अकेली निवास कर रही थी और उसने पीड़ित लड़की को अपने साथ रहने का प्रस्ताव किया । यह विश्वास करते हुए कि शालू उसकी सहायता करेगी, पीड़ित लड़की उसके साथ उसके घर चली गई । तथापि, उसके पश्चात् उसे यह ज्ञात हुआ कि शालू मासूम लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने का कार्य करती थी और वस्तुत: वह एक व्यभिचारी महिला थी ।

(च) घर पर शालू ने पीड़ित लड़की को वस्त्र बदलने के लिए कहा और पीड़ित लड़की ने वैसा ही किया । उसके पश्चात्, उसने उसका बनाव-श्रृंगार किया और वह उसे एक होटल में ले गई जहां दो लड़के उनके पास आए । शालू ने उनसे धन प्राप्त किया और

पीड़ित लड़की को उनमें से एक लड़के के साथ होटल के कक्ष में भेज दिया जहां उस लड़के ने उसके साथ बलात्संग किया । 15 मिनट पश्चात् वह लड़का कक्ष से बाहर चला गया और उसी समय दूसरे लड़के ने कक्ष में प्रवेश किया और उसने भी पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग किया । तारीख 29 जनवरी, 2021 को पुन: शालू ने पीड़ित लड़की का बनाव-श्रृंगार किया और इस बार वह उसे एक अन्य होटल में ले गई । उक्त होटल में भी एक लड़का इनके पास आया और शालू ने उससे धन प्राप्त किया और उसके पश्चात् पीड़ित लड़की को तथा उक्त लड़के के साथ कक्ष में बंद कर दिया जहां उस लड़के ने उसके साथ बलात्संग किया । अगले दिन, शालू ने एक अन्य लड़के को बुलाया । जिसने पुन:, पीड़ित लड़की के साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् वह वापस घर आ गए ।

(छ) तारीख 30 जनवरी, 2021 को पीड़ित लड़की के चाचा को एक जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़ित लड़की किसी एस्कार्ट कंपनी के साथ है । शालू को भी यह तथ्य ज्ञात हो गया कि पीड़िता के चाचा को उसके निवास स्थान के संबंध में जानकारी है । शालू ने पीड़ित लड़की को अपने घर से तीन-चार दिन हेतु चले जाने के लिए कहा और उसे यह भी आग्रह किया कि उसके पश्चात् वह उसके पास लौट आए । शालू ने उसके आधार कार्ड को लौटाने से इनकार कर दिया किन्तु किसी प्रकार उसने अपना आधार कार्ड शालू से छिना और वह उसके घर से निकल आई ।

(ज) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया पीड़ित लड़की का अनुपूरक कथन इस तथ्य को प्रकट करता है कि उसने उपरोक्त कक्षों की शनाख्त की तथा अन्वेषण अधिकारी को यह बताया कि शालू के साथ उसके निवास के दौरान बंटी नामक एक व्यक्ति अक्सर शालू के घर आता था । उसने यह भी कथन किया कि शालू ने उससे बलात्संग करने वाले एक लड़के को अरुण के नाम से पुकारा था । अन्वेषण अधिकारी ने एक मोबाइल ऐप पर अभियुक्तों की तस्वीरें पीड़ित लड़की को दिखाई और उन तस्वीरों को देखकर पीड़ित लड़की ने जसविन्दर सिंह और हुकम सिंह की शनाख्त की ।

(झ) अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उसने वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्रित किया । अन्वेषण कार्य पूरा हो जाने के कारण पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने शालू (ए-1), अजय कुमार (ए-2), बलदेव राज गोयल **उर्फ** बंटी (ए-3), होटल का प्रबंधक अरुण ठाकुर (ए-4), जसविन्दर सिंह (ए-5) और हुकम सिंह (ए-6) का अभियोजन करने का अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन एक पुलिस रिपोर्ट फाइल की ।

(ञ) इस साक्ष्य के आधार पर, राज्य ने इन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ किया ।

4. याचियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि मामले का अन्वेषण पूरा हो चुका है और इसलिए याचियों की अभिरक्षा वर्तमान परिस्थितियों में अपेक्षित नहीं है तथा दोष के सबूत से पूर्व कारावास में रखे जाने से याचियों और उनके कुटुम्ब के प्रति घोर अन्याय कारित होगा ।

5. इसके विपरीत, श्री नंद लाल ठाकुर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता, जो राज्य की ओर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं, ने एक अप्राप्तवय बेसहारा लड़की को देह व्यापार में धकेलने में अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के आधार पर उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया है ।

6. अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अन्वेषण को प्रभावित करने, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, साक्षियों को धमकाने और न्याय की पकड़ से फरार हो जाने की संभावनाओं को, व्यापक तथा कठोर शर्तें अधिरोपित करके समाप्त किया जा सकता है । **सुशीला अग्रवाल**[1] वाले मामले में सांविधानिक न्यायपीठ ने अपने निर्णय के पैरा 92 में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अधीन रहते हुए अप्रायिक रूप से निर्बंधनकारी शर्तें अधिरोपित कर सकते हैं ।

---

[1] (2020) 5 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 831.

तर्कसंगतता :

7. अभियुक्त शालू (ए.1) न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है जबकि जमानत संबंधी आवेदनों को उल्लिखित किया गया है ।

8. अजय कुमार (ए-2) ने इस न्यायालय के समक्ष वर्ष 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 882 फाइल की है और उसके माध्यम से उसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया है तथा उसने अपनी जमानत हेतु साधारण आधारों को वर्णित किया है । वह ऐसी किन्हीं परिस्थितियों को दर्शित करने में असफल रहा है, जिनके अधीन रहते हुए उसे जमानत मंजूर की जानी चाहिए तथा मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित लड़की एक अप्राप्तवय लड़की है और उसने अभिकथित रूप से उसके छलपूर्ण कार्यों के कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ा । अतः, वर्ष 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम. सं. 882 को खारिज किया जाता है ।

9. बलदेव राज गोयल **उर्फ** बंटी (ए-3) ने वर्ष 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 681 के रूप में अपने जमानत आवेदन को प्रस्तुत किया है । उक्त आवेदन में जमानत मंजूर किए जाने के लिए कोई भी निर्दिष्ट आधार दर्शित नहीं किए गए हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के अनुपूरक कथन के अनुसार बंटी अक्सर उसके निवास के कक्ष में आया-जाया करता था । अभियोजन पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि ए-3 शालू के दलाल के रूप में कार्य कर रहा था और वह उसके लिए ग्राहकों को ढूंढ कर लाता था । उक्त याची इतना अधिक असंवेदनशील व्यक्ति है कि उसने अपने कुटुम्ब के लिए धन अर्जित करने के लिए किसी की वासना को शांत करने के लिए एक अप्राप्तवय लड़की को बेचने से भी परहेज नहीं किया । पीड़ित लड़की एक अप्राप्तवय लड़की है और यह भार याची पर है कि वह जमानत के लिए समुचित रूप से अपने पक्षकथन को प्रस्तुत करे । उक्त याची द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका के परिशीलन से इस प्रकार का कोई सुदृढ़ पक्षकथन सामने नहीं आता जिसके आधार पर याची को जमानत मंजूर की जा सके । उपरोक्त

को ध्यान में रखते हुए, इस प्रक्रम पर 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 681 को खारिज किया जाता है ।

10. अप्राप्तवय पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन करने के लिए धन का संदाय करने वाले ग्राहक जसविन्दर सिंह (ए-5) द्वारा 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 773 के रूप में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है । उक्त जमानत याचिका के अनुसार, जसविन्दर सिंह (ए-5) ने एक बढ़ई होने का दावा किया है । उसकी ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल (उसके विरुद्ध अभिकथित तथ्यों को स्वीकार किए और माने बिना) ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उसने केवल पीड़ित लड़की के घर में बढ़ई का कार्य किया था और इसलिए उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । इसके अतिरिक्त, जमानत याचिका में उक्त अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने के लिए कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया है । उसके तर्क का तर्कसंगत निष्कर्ष यह है कि पीड़ित लड़की से परिचित होने के बावजूद उसने उसे बचाने की बजाय उसके साथ बलात्संग किया । इसलिए, इन परिस्थितियों में उक्त याची जमानत का हकदार नहीं है । परिणामत:, 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 773, अर्थात् जसविन्दर सिंह बनाम राज्य वाले मामले को खारिज किया जाता है ।

11. अप्राप्तवय पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन करने के लिए धन का संदाय करने वाले ग्राहक हुकम सिंह (ए-6) द्वारा 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 793 के रूप में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है, जो हुकम सिंह बनाम राज्य वाले मामले के रूप में है । हुकम सिंह (ए-6) द्वारा फाइल की गई जमानत याचिका के पैरा 9 को यहां नीचे उद्धृत किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> "वर्तमान मामले की अभिकथित पीड़ित लड़की 16 वर्ष और 4 मास की आयु प्राप्त कर चुकी है और उसके आचार व्यवहार तथा सोचने समझने के उसके सामर्थ्य से यह प्रतीत होता है कि वह एक बड़ी और वयस्क महिला होती है जिसके पास अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए मानसिक और शारीरिक क्षमता विद्यमान है जैसा कि उसके व्यवहार से स्पष्ट प्रतीत होता है ।"

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पोक्सो अधिनियम' कहा गया है) तारीख 20 जून, 2012 से प्रवृत्त हुआ था । पोक्सो अधिनियम की धारा 2घ में 18 वर्ष की आयु से नीचे के किसी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है । भारतीय दंड संहिता, 1973 (1974 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) में किए गए पश्चात्वर्ती संशोधनों के माध्यम से विधान मंडल ने सहमति दिए जाने की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याची द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त दलील बिना किसी विधिक आधार के है और इसलिए उसे जमानत दिए जाने से इनकार किया जाता है । परिणामत:, 2021 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका एम सं. 793, अर्थात् हुकम सिंह बनाम राज्य वाले मामले को खारिज किया जाता है ।

12. ऐसे व्यक्ति, जो कपटपूर्ण रीति में किशोर बालिकाओं या महिलाओं को वैश्यावृत्ति में धकेलते हैं, दलाल जो ग्राहकों को लुभाकर उनके पास लाते हैं तथा ऐसे ग्राहक जो यह अनुभव होने पर भी कि किशोरी या महिला की शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा नहीं है और ऐसी पीड़ित लड़की या महिला के हाव-भाव, इशारों से उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि वह लैंगिक मैथुन के लिए सहमत नहीं है या उन्हें यह पता चल जाता है कि पीड़ित लड़की सदमे में है या डरी हुई है लेकिन वह फिर भी वे अपनी वासना को शांत करने के लिए लैंगिक मैथुन करते हैं, विकृत प्रकृति के होते हैं तथा वे समाज के लिए खतरा हैं तथा वे जमानत मंजूर किए जाने हकदार नहीं हैं ।

13. प्रबंधक अरुण ठाकुर ने वर्ष 2021 की सीआरएमपीएम सं. 527 में इस आधार पर जमानत मंजूर किए जाने की ईप्सा की है कि वह रिसेप्शनिस्ट के पद पर तैनात था और इसलिए उसे मालिक द्वारा यह अनुदेश दिया गया था कि वह आगन्तुक पुस्तिका में प्रविष्टियां न करे । पीड़ित लड़की ने भी उस पर किए गए लैंगिक हमले के आरोप में उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई या भूमिका को वर्णित नहीं किया है । अन्वेषण अधिकारी ने उन दो होटलों, जहां शालू पीड़ित लड़की को लेकर गई थी, में से एक होटल के प्रबंधक को गिरफ्तार किया है । पीड़ित

लड़की ने इस प्रभाव का कोई आरोप नहीं लगाया है कि प्रबंधकों द्वारा उसका बलात्संग किया गया था या उक्त होटलों में चल रहे देह व्यापार के संबंध में उनकी कोई भूमिका थी या उन्हें उक्त देह व्यापार की जानकारी थी । पीड़ित लड़की ने उनसे सहायता भी नहीं मांगी थी । उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दबाव डालने या दुर्व्यपदेशन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । यह विस्मयपूर्ण बात है कि अन्वेषण अधिकारियों, थाना प्रभारी और पर्यवेक्षक अधिकारी ने दोनों होटलों में से केवल एक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया जबकि दूसरे होटल के प्रबंधक को छोड़ दिया गया । अन्वेषण की प्रक्रिया, संचालन या कार्रवाई के संबंध में कोई टिप्पणी किए बिना और प्रबंधक अरुण ठाकुर को गिरफ्तार करके अभिरक्षा में रखने की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रबंधकों के विरुद्ध एकत्रित किए गए साक्ष्य पर विचार करते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रबंधक अरुण ठाकुर द्वारा जमानत मंजूर करने के संबंध में तैयार किए गए पक्षकथन में बल है ।

14. ऊपर दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए अरुण ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, अर्थात् 2021 की सीआरएमपीएम सं. 527 में उच्च न्यायालय ऐसे कड़े निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 33 में जमानत बंधपत्र के प्ररूप की अंतर्वस्तु के अतिरिक्त और उन पर ध्यान न देते हुए अधिरोपित किए जाएं, याची को जमानत मंजूर करता है ।

15. मनीष लाल श्रीवास्तव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, अर्थात् 2020 की सीआरएमपीएम सं. 1734 में न्यायिक पूर्ववृत्तों का विश्लेषण करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया था कि प्रतिभूतियों के साथ जमानत मंजूर करने वाले किसी न्यायालय को अभियुक्त को यह विकल्प देना चाहिए कि वह या तो प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करे या कोई सावधि निक्षेप प्रस्तुत करे जिसमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अंतरित किए जाने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए ।

16. याची को ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में उसके द्वारा दस हजार रुपए (10,000/- रुपए) के निजी बंधपत्र को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा

और इसके अतिरिक्त याची को अन्वेषण करने वाले पुलिस थाने पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके उपलब्ध न होने की दशा में किसी इलाका मजिस्ट्रेट के समाधनप्रद रूप से पच्चीस हजार रुपए (25,000/- रुपए), प्रत्येक की दो प्रतिभूतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी । संबंधित मजिस्ट्रेट प्रतिभूतियों को स्वीकार करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने में असफल रहने की दशा में ऐसी प्रतिभूतियां अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हैं और यह विनिश्चय प्रतिभूतियों के पीछे विद्यमान न्याय-शास्त्र, जो अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित किए जाने पर बल देता है, को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

17. <u>विकल्प के रूप में, याची संबद्ध जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पक्ष में दस हजार रुपए (10,000/- रुपए) के निजी बंधपत्र और दस हजार रुपए (10,000/- रुपए) के सावधि निक्षेप को प्रस्तुत कर सकता है</u> ।

(क) ऐसे सावधि निक्षेपों को किसी भी ऐसे बैंक के माध्यम से दिया जा सकता है, जिसमें राज्य का हिस्सा पचास प्रतिशत से अधिक है या उसे किसी स्थिर प्राइवेट बैंकों के माध्यम से दिया जा सकता है, उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक आदि, जिसमें मूलधन को स्वत: नवीकृत करने का खंड सम्मिलित होगा तथा संबद्ध खाते में ब्याज को प्रतिवर्तित करने की स्वतंत्रता होगी ।

(ख) यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा सावधि निक्षेप याची के अपने स्वयं के खाते से ही किया हो और एक से अधिक सावधि निक्षेप भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

(ग) यदि ऐसा कोई सावधि निक्षेप भौतिक रूप, अर्थात् कागज पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी मूल रसीद संबद्ध न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(घ) यदि ऐसा सावधि निक्षेप ऑनलाइन पद्धति से प्रस्तुत किया गया है तो उसकी मुद्रित प्रति, जिसे किसी अधिवक्ता द्वारा

अधिप्रमाणित किया गया हो और यदि संभव हो तो अभियुक्त द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हों, को प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा निक्षेपकर्ता को उसके ऑनलाइन नकदीकरण को असमर्थ बनाना होगा ।

(ङ) याची या उसका अधिवक्ता शीघ्रातिशीघ्र बैंक की संबद्ध शाखा को यह जानकारी प्रस्तुत करेगा कि उसे प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया है । ऐसी सूचना ई-मेल या डाक/कोरियर के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है जिसमें सावधि निक्षेप चाहे उसे कागज पर प्रस्तुत किया गया हो या किसी अन्य पद्धति से, उसके संख्यांक और साथ ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संख्यांक को भी वर्णित किया जाएगा ।

(च) इसके पश्चात् याची संबद्ध न्यायालय को पृष्ठांकन के साथ ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

(छ) यह याची का विवेकाधिकार होगा कि वह प्रतिभूति बंधपत्र और सावधि निक्षेप में से किसी को भी चुन सकता है । याची के लिए यह विकल्प भी खुला होगा कि वह सावधि निक्षेप को प्रतिभूति बंधपत्र के साथ प्रतिस्थापित किए जाने और विलोमत: के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(ज) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के अधीन कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सावधि निक्षेप की संपूर्ण रकम को, उसमें जमा किए गए ब्याज सहित, यदि कोई हो, निक्षेपकर्ता को पृष्ठांकित/लौटाया जाएगा । ऐसे न्यायालय के पास, यथास्थिति, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के अधीन उल्लिखित अवधि के अवसान तक या प्रतिस्थापन के माध्यम से उसके उन्मोचन तक ऐसे निक्षेपों के संबंध में धारणाधिकार होगा ।

18. निजी बंधपत्रों को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में यह माना जाएगा कि याची ने निम्नलिखित और इस जमानत आदेश के अन्य सभी अनुबंधों, निबंधनों और शर्तों को स्वीकार किया है :–

(क) याची संबद्ध न्यायालय (न्यायालयों) के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा । विचारण आरंभ हो जाने पर याची किसी भी रीति में कार्यवाहियों को विलंबित करने

का प्रयास नहीं करेगा तथा वह यह वचनबंध करेगा कि वह संबद्ध न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और तब तक प्रत्येक तारीख पर विचारण में भाग लेगा, जब तक कि उसे इस प्रकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से छूट प्रदान न कर दी जाए । अपील की दशा में, इस बंधपत्र के द्वारा याची यह भी वचन देता है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के निबंधनों के अनुसार उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा ।

(ख) अनुप्रमाणन अधिकारी निजी बंधपत्र के पृष्ठ के पिछले हिस्से पर याची के स्थायी पते और साथ ही उसके फोन नम्बर, वाह्ट्सऐप नम्बर, यदि कोई हो, ई-मेल खाता, यदि कोई हो, का उल्लेख करेगा और साथ ही उसके निजी बैंक खाते (खातों) के ब्यौरे (यदि उपलब्ध हों) भी उल्लिखित करेगा तथा उक्त ब्यौरों में किसी परिवर्तन की दशा में याची तुरंत और ऐसे किसी उपांतरण से 30 दिन की अवधि के भीतर निवास के पते और फोन नम्बर, वाह्ट्सऐप नम्बर, ई-मेल खातों में हुए परिवर्तन के संबंध में इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिलखित करने वाले पुलिस थाने तथा संबद्ध न्यायालय को संसूचित करेगा ।

(ग) याची साक्षियों, पुलिस अधिकारियों या इस मामले के तथ्यों से परिचित किन्हीं अन्य व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, उन पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें प्रलोभन नहीं देगा और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई धमकी या वचन भी नहीं देगा जिससे वे ऐसे तथ्यों को पुलिस या न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से निवारित हों या याची किसी भी रीति में किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा ।

(घ) याची, जब कभी उसे अन्वेषण अधिकारी या किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा बुलाया जाए तो वह अन्वेषण में भाग लेगा और यथा अपेक्षित रूप में सभी प्रकार के आगामी प्रक्रमों पर अन्वेषण में सहायता प्रदान करेगा । उसके द्वारा ऐसा करने में असफल रहने पर अभियोजन पक्ष के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह जमानत रद्द करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सके ।

जब कभी पुलिस परिसरों में अन्वेषण किया जाता है तो याची को प्रात: 8.00 बजे से पूर्व नहीं बुलाया जाएगा और उसे सायं 5.00 बजे से पूर्व ऐसे परिसर से चले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और उसे थर्ड डिग्री के अध्यधीन नहीं किया जाएगा और न ही उसके साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया जाएगा और उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी नहीं किया जाएगा ।

(ङ) समनों की तामील की प्रक्रिया की मानक पद्धतियों के अतिरिक्त संबद्ध न्यायालय अभियुक्त को उसके संबंध में जारी होने वाले समनों, जमानती और गैर-जमानती वारंटों के संबंध में ई मेल (यदि कोई हो) और किसी तुरंत संदेश सेवा जैसे कि वाह्ट्सऐप आदि (यदि कोई हो) के माध्यम से तामील कर सकेगा या संसूचना प्रदान कर सकेगा । [भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वविवेकानुसार रिट याचिका (सिविल) सं. 3/2020, अंतर्वर्ती आवेदन सं. 48461/2020-10 जुलाई, 2020 वाले मामले में परिसीमाओं के विस्तारण के लिए संज्ञान के संबंध में कतिपय संप्रेक्षण किए हैं] –

"i. सर्वप्रथम न्यायालय समन जारी करेगा ।

ii. उस दशा में, जहां याची विनिर्दिष्ट तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां संबद्ध न्यायालय उसके विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर सकेगा ।

iii. अंततोगत्वा, यदि याची उसके पश्चात् भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संबद्ध न्यायालय याची के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर सकेगा जिससे न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके और उसके पश्चात् वह याची को ऐसी किसी अवधि के लिए, जिसे संबद्ध न्यायालय प्रयोजन की पूर्ति हेतु उचित समझे, न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकेगा ।"

19. याची पीड़ित लड़की का पीछा नहीं करेगा, न ही उसे घूरेगा और न ही उसे किसी प्रकार के इशारे करेगा और न ही उसके प्रति कोई

टीका-टिप्पणी करेगा और न ही भौतिक रूप से अथवा किसी फोन कॉल या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उसे कॉल करने, उससे संपर्क करने या उसे संदेश देने का प्रयास करेगा और इसके अतिरिक्त वह पीड़ित लड़की के घर के आस-पास भी नहीं घूमेगा ।

20. याची, जब तक वह जमानत पर निर्मुक्त है, घटनास्थल से दूर रहेगा । इस प्रकार याची पीड़ित लड़की के घर के एक किलोमीटर की परिधि के भीतर नहीं आएगा । यह न्यायालय इस शर्त को इसलिए अधिरोपित कर रहा है जिससे अभियुक्त द्वारा पीड़ित लड़की को प्रभावित करने या उसे असहज करने या उसे असमर्थ बनाने का कोई प्रयास न किया जा सके । यहां **विक्रम सिंह** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] वाले मामले तथा **अपर्णा भट्ट** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले का प्रतिनिर्देश दिया जा सकता है ।

21. विचारण के लंबित रहने के दौरान यदि याची उस पर लगाए गए आरोप वाले अपराध को दोहराता है या ऐसा कोई अन्य अपराध करता है, जिसके लिए सात वर्ष से अधिक का दंडादेश विहित है या इस आदेश में यथा अनुबंधित किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो ऐसी दशा में प्रत्यर्थी के लिए सदैव यह अनुज्ञेय होगा कि वह इस जमानत को रद्द करने हेतु आवेदन करे । अन्वेषण अभिकरण के पास सदैव यह विकल्प रहेगा कि वह पश्चात्वर्ती आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय की सूचना में इस तथ्य को लाए कि अभियुक्त को पूर्व में सावधान किया गया था कि वह दांडिक कार्यवाहियों में अंतर्वलित न हो । अन्यथा यह जमानत बंधपत्र विचारण की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रवृत्त बना रहेगा और उसके पश्चात् भी वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के निबंधनों के अनुसार प्रवर्तन में बना रहेगा ।

22. याची की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता और ऐसा अधिकारी, जिसकी उपस्थिति में याची ने निजी बंधपत्रों पर अपने

---

[1] [2018] ऑल एस. सी. आर. (क्रिमिनल) 458 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 यूटीआर 679.

[2] 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 230.

हस्ताक्षर किए, जमानत आदेश में अंतर्विष्ट सभी शर्तों को स्थानीय भाषा और यदि ऐसा करना साध्य नहीं है तो हिंदी भाषा में स्पष्ट करेगा ।

23. उस दशा में, जहां याची को यह प्रतीत होता है कि वर्तमान जमानत की शर्त (शर्तें) उसके मूल, मानव या अन्य अधिकारों की उल्लंघनकारी हैं या किसी परिस्थिति के कारण उसे उनके कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे निबंधन (निबंधनों) में उपांतरण करने के लिए याची इस न्यायालय के समक्ष एक युक्तियुक्त आवेदन फाइल कर सकेगा और यह न्यायालय उक्त आवेदन का संज्ञान लेने के पश्चात् या विचारण न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के पश्चात् वह न्यायालय भी किसी शर्त को उपांतरित करने या हटाने के लिए सक्षम होगा ।

24. यह आदेश किसी भी रीति में पुलिस या अन्वेषण अभिकरण द्वारा विधि के अनुसार आगे और अन्वेषण करने को सीमित या निर्बंधित नहीं करता है ।

25. यहां ऊपर किया गया कोई संप्रेक्षण मामले के गुणागुण के संबंध में इस न्यायालय की राय को अभिव्यक्त नहीं करता है और विचारण न्यायालय को यहां ऊपर की गई टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए ।

26. कैद से मुक्ति के बदले न्यायालय यह विश्वास करता है कि अभियुक्त भी वांछनीय व्यवहार के माध्यम से पुलिस और न्यायालय तथा अन्वेषण अभिकरण को अनुगृहीत करेगा ।

27. संबद्ध पुलिस थाने का थाना प्रभारी या अन्वेषण अधिकारी इस आदेश की प्रति, अधिमानी रूप से सॉफ्ट प्रति शीघ्रातिशीघ्र और दो दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित लड़की को अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा । यदि पीड़ित लड़की को इस आदेश के निबंधनों या शर्तों का कोई उल्लंघन प्रतीत होता है या उसकी सूचना में कोई आक्षेपपूर्ण व्यवहार आता है तो उस दशा में पीड़ित लड़की संबद्ध पुलिस थाने के थाना प्रभारी या विचारण न्यायालय या इस न्यायालय को भी सूचित कर सकती है ।

28. बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए इस आदेश की प्रमाणित प्रति की कोई आवश्यकता नहीं होगी । याची की ओर से कोई भी अधिवक्ता मामले की प्रास्थिति रिपोर्ट के साथ इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के शासकीय वेब पृष्ठ से डाउनलोड कर सकता है तथा उसे सत्यप्रति के रूप में अनुप्रमाणित कर सकता है । उस दशा में, जहां अनुप्रमाणन अधिकारी या न्यायालय उसकी सत्यता को प्रमाणित करने की वांछा करता है तो ऐसा कोई अधिकारी उसकी सत्यता का सत्यापन स्वयं कर सकता है और इसके लिए वह उक्त प्रति को डाउनलोड कर सकता है तथा इस प्रकार डाउनलोड की गई प्रति का बंधपत्रों के अनुप्रमाणन के लिए उपयोग कर सकता है ।

ऊपर उल्लिखित निबंधनों के अनुसार सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाता है ।

दस्ती प्रति ।

जमानत आवेदन मंजूर किया गया ।

पु.

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

[8 जनवरी, 1994]

मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा जहां तक इसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है ।

(3) यह 28 सितंबर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "सशस्त्र बल" से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है ;

(ख) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "मानव अधिकार" से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं ;

(ङ) "मानव अधिकार न्यायालय" से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है ;

[1][(च) "अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा" से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है ;]

[1][(छ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है ;]

(ज) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है ;

[1][(झ) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है ;

(झक) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है ;]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ञ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है ;

(ढ) "राज्य आयोग" से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय 2
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ;

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, [1][राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग] और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे ।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, [1][(न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे ।]

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति – (1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [2][सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) प्रधानमंत्री – अध्यक्ष ;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष – सदस्य ;

(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री – सदस्य ;

(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य ;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य ;

(च) राज्य सभा का उप सभापति – सदस्य :

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [1][उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है ।]

[2][**5. अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना** – (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य, –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।]

[1][**6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** – (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ।]

7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन – (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है ।

[1][**8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।]

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना – (1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे ।

[2][(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी ।]

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द – (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को, –

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा ; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों,

उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे, अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय 3
आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य – आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा [1][या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निदेश पर] उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर, –

(i) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की ; या

(ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की,

शिकायत के बारे में जांच करना ;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना ;

[1][(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना ;]

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना ;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना ;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना ;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

13. जांच से संबंधित शक्तियां – (1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए, वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए, किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा ।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो ।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

[1][(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो ।

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई हो ।]

14. अन्वेषण – (1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, –

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा ।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन – आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन –

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए ; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है ।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है – यदि जांच के किसी अनुक्रम में, –

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है ; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है,

तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है ।

अध्याय 4
प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच – आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय, –

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा :

परन्तु, –

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा ;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा ;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा ।

[1][**18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई** – आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :–

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को –

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे ;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे ;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना ;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना ;

(घ) खंड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना ;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अन्तर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है ;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा ।]

19. सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया – (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :–

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा ;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर, उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा ।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें – (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5
राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन – (1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम ..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा ।

[1][(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है ;

(ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।]

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिए गए हों ।

[1][(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है :

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और [1][सदस्यों] की नियुक्ति – (1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [1][सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) मुख्य मंत्री – अध्यक्ष ;

(ख) विधान सभा का अध्यक्ष – सदस्य ;

(ग) उस राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री – सदस्य ;

(घ) विधान सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य :

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा, नहीं ।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [2][उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है] ।

23. [2][राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना] – [(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ।]

(2) [1][उपधारा (1क)] में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई [1][सदस्य] –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी [1][सदस्य] को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।

[2][**24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** – (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ।]

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन – (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है ।

[1][**26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – (1) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द – (1) राज्य सरकार, आयोग को, –

(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा ; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों,

उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें – (1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी ।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना – धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा

13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :–

(क) "आयोग" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राज्य आयोग के प्रतिनिर्देश हैं ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, "महासचिव" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 17 के खंड (i) में से "केन्द्रीय सरकार या किसी" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6

मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय – मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए –

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है ; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है ।

31. विशेष लोक अभियोजक – राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय

में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 7
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान – (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान – (1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

34. लेखा और संपरीक्षा – (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा – (1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे ।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय – (1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है ।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा ।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है ।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र, या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी

सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना – आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 8 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

(ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है ;

(घ) वह प्ररूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[1][**40क. भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति** – धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]

[2][**40ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति** – (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े ;

---

[1] 2000 के अधिनियम सं. 49 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

41. नियम बनाने की राज्य सकार की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 26 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 43 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

43. निरसन और व्यावृत्ति – (1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 30) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in